2019 का विधेयक संख्यांक 55

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019

———

खंडों का क्रम

———

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन।
4. धारा 9 का संशोधन।
5. धारा 9क का संशोधन।
6. धारा 10 का संशोधन।
7. धारा 12कक का संशोधन।
8. धारा 13क का संशोधन।
9. धारा 35कघ का संशोधन।
10. धारा 40 का संशोधन।
11. धारा 40क का संशोधन।
12. धारा 43 का संशोधन।
13. धारा 43ख का संशोधन।
14. धारा 43गक का संशोधन।
15. धारा 43घ का संशोधन।
16. धारा 44कघ का संशोधन।
17. धारा 47 का संशोधन।
18. धारा 50ग का संशोधन।
19. धारा 50गक का संशोधन।
20. धारा 54छख का संशोधन।
21. धारा 56 का संशोधन।
22. धारा 79 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

खंड

23. धारा 80ग का संशोधन।
24. धारा 80गगघ का संशोधन।
25. नई धारा 80ङङक और धारा 80ङङख का अंतःस्थापन।
26. धारा 80झखक का संशोधन।
27. धारा 80ञञकक का संशोधन।
28. धारा 80ठक का संशोधन।
29. धारा 92गघ का संशोधन।
30. धारा 92गङ का संशोधन।
31. धारा 92घ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
32. धारा 111क का संशोधन।
33. धारा 115क का संशोधन।
34. धारा 115ञख का संशोधन।
35. धारा 115ण का संशोधन।
36. धारा 115थक का संशोधन।
37. धारा 115द का संशोधन।
38. धारा 115पख का संशोधन।
39. धारा 139 का संशोधन।
40. धारा 139क का संशोधन।
41. धारा 139कक का संशोधन।
42. धारा 140क का संशोधन।
43. धारा 143 का संशोधन।
44. धारा 194घक का संशोधन।
45. धारा 194झक का संशोधन।
46. नई धारा 194ङ और धारा 194ढ का अंतःस्थापन।
47. धारा 195 का संशोधन।
48. धारा 197 का संशोधन।
49. धारा 201 का संशोधन।
50. धारा 206क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
51. धारा 228क का संशोधन।
52. धारा 234क का संशोधन।
53. धारा 234ख का संशोधन।
54. धारा 234ग का संशोधन।
55. धारा 239 का संशोधन।
56. धारा 246क का संशोधन।
57. धारा 269धध का संशोधन।
58. धारा 269धन का संशोधन।
59. नई धारा 269धप का अंतःस्थापन।
60. धारा 269न का संशोधन।

खंड

61. धारा 270क का संशोधन।

62. नई धारा 271घख का अंतःस्थापन।

63. धारा 271चकक का संशोधन।

64. धारा 272ख का संशोधन।

65. धारा 276गग का संशोधन।

66. धारा 285खक का संशोधन।

67. धारा 286 का संशोधन।

68. दूसरी अनुसूची के नियम 68ख का संशोधन।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

69. धारा 41 का संशोधन।

70. नए अध्याय 12ख का अंतःस्थापन।

71. धारा 103 का संशोधन।

72. धारा 104 का संशोधन।

73. धारा 110 का संशोधन।

74. धारा 110क का संशोधन।

75. नई धारा 114कख का अंतःस्थापन।

76. धारा 117 का संशोधन।

77. धारा 125 का संशोधन।

78. धारा 135 का संशोधन।

79. धारा 149 का संशोधन।

80. धारा 157 का संशोधन।

81. धारा 158 का संशोधन।

82. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

83. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

84. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव होना।

सीमाशुल्क टैरिफ

85. धारा 9 का संशोधन।

86. धारा 9ग का संशोधन।

87. पहली अनुसूची का संशोधन।

88. प्रतिपाटन शुल्क से उद्ग्रहणीय कतिपय माल के वर्गीकरण में उपांतरण का भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्यकरण।

89. माल के वर्णन में उपांतरण का भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्यकरण।

खंड

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

90. चौथी अनुसूची का संशोधन।

केंद्रीय माल और सेवा कर

91. धारा 2 का संशोधन।
92. धारा 10 का संशोधन।
93. धारा 22 का संशोधन।
94. धारा 25 का संशोधन।
95. नई धारा 31क का अंतःस्थापन।
96. धारा 39 का संशोधन।
97. धारा 44 का संशोधन।
98. धारा 49 का संशोधन।
99. धारा 50 का संशोधन।
100. धारा 52 का संशोधन।
101. नई धारा 53क का अंतःस्थापन।
102. धारा 54 का संशोधन।
103. धारा 95 का संशोधन।
104. नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतःस्थापन।
105. धारा 102 का संशोधन।
106. धारा 103 का संशोधन।
107. धारा 104 का संशोधन।
108. धारा 105 का संशोधन।
109. धारा 106 का संशोधन।
110. धारा 168 का संशोधन।
111. धारा 171 का संशोधन।
112. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 674(अ) का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

एकीकृत माल और सेवा कर

113. नई धारा 17क का अंतःस्थापन।
114. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 667(अ) का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

115. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ) का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

खंड

सेवा कर

116. लिकर अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के माध्यम से सेवा पर सेवा कर से, भूतलक्षी रूप से छूट के लिए विशेष उपबंध।

117. भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा छात्रों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में भूतलक्षी रूप से सेवा कर से छूट के लिए विशेष उपबंध।

118. वित्तीय कारबार के अवसंरचनात्मक विकास के लिए प्लाटों के दीर्घकालिक पट्टे से संबंधित कतिपय मामलों में भूतलक्षी रूप से सेवा कर से छूट के लिए विशेष उपबंध।

अध्याय 5

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम, 2019

119. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

120. परिभाषाएं।

121. स्कीम का अप्रत्यक्ष कर अधिनियमितियों को लागू होना।

122. कर शोध्य।

123. स्कीम के अधीन उपलब्ध अनुतोष।

124. स्कीम के अधीन घोषणा।

125. पदाभिहित समिति द्वारा घोषणा का सत्यापन।

126. पदाभिहित समिति द्वारा विवरण का जारी किया जाना।

127. त्रुटियों का परिशोधन।

128. उन्मोचन प्रमाणपत्र का जारी किया जाना, विषय और समय अवधि के बारे में निश्चायक होगा।

129. स्कीम के निर्बंधन।

130. शंकाओं का दूर किया जाना।

131. नियम बनाने की शक्ति।

132. आदेश, अनुदेश जारी करने की शक्ति।

133. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

134. अधिकारियों को संरक्षण।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

135. इस भाग का प्रारंभ।

136. धारा 45झक का संशोधन।

137. नई धारा 45झघ और धारा 45झङ का अंतःस्थापन।

138. नई धारा 45डकक का अंतःस्थापन।

खंड

139. नई धारा 45डखक का अंतःस्थापन।

140. नई धारा 45ढकक का अंतःस्थापन।

141. धारा 58ख का संशोधन।

142. धारा 58छ का संशोधन।

भाग 2

बीमा अधिनियम, 1938 का संशोधन

143. 1938 के अधिनियम संख्यांक 4 का संशोधन।

भाग 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

144. इस भाग का प्रारंभ।

145. 1956 के अधिनियम संख्यांक 42 का संशोधन।

भाग 4

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 का संशोधन

146. इस भाग का प्रारंभ।

147. 1970 के अधिनियम संख्यांक 5 का संशोधन।

भाग 5

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का संशोधन

148. 1972 के अधिनियम संख्यांक 57 का संशोधन।

भाग 6

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का संशोधन

149. इस भाग का प्रारंभ।

150. 1980 के अधिनियम संख्यांक 40 का संशोधन।

भाग 7

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का संशोधन

151. इस भाग का प्रारंभ।

152. अध्याय 5 के शीर्ष का संशोधन।

153. धारा 29क का संशोधन।

154. धारा 29ख का संशोधन।

155. धारा 29ग का संशोधन।

156. धारा 30 का प्रतिस्थापन।

157. धारा 30क का प्रतिस्थापन।

158. धारा 31 का प्रतिस्थापन।

159. धारा 32 का प्रतिस्थापन।

160. धारा 33 का संशोधन।

161. धारा 33क का प्रतिस्थापन।

खंड

162. धारा 33ख का संशोधन।

163. धारा 34 का संशोधन।

164. धारा 35 का संशोधन।

165. धारा 35क का संशोधन।

166. धारा 35ख का प्रतिस्थापन।

167. धारा 44 का संशोधन।

168. धारा 46 का संशोधन।

169. धारा 49 का संशोधन।

170. धारा 51 का संशोधन।

171. धारा 52क का प्रतिस्थापन।

भाग 8

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम, 1988 का संशोधन

172. धारा 23 का संशोधन।

173. धारा 24 का संशोधन।

174. धारा 26 का संशोधन।

175. नई धारा 54क और धारा 54ख का अंतःस्थापन।

176. धारा 55 का संशोधन।

भाग 9

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

177. इस भाग का प्रारंभ।

178. धारा 14 का संशोधन।

179. धारा 15ग का संशोधन।

180. धारा 15च का संशोधन।

181. नई धारा 15जकक का अंतःस्थापन।

भाग 10

केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000 का संशोधन

182. धारा 10 का संशोधन।

183. धारा 11 का संशोधन।

184. धारा 12 का संशोधन।

भाग 11

वित्त अधिनियम, 2002 का संशोधन

185. 2002 के अधिनियम संख्यांक 20 का संशोधन।

भाग 12

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

186. 2002 के अधिनियम संख्यांक 58 का संशोधन।

खंड

भाग 13

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

187. धारा 2 का संशोधन।

188. धारा 12क का संशोधन।

189. नई धारा 12कक का अंतःस्थापन।

190. धारा 15 का संशोधन।

191. नई धारा 72क का अंतःस्थापन।

192. धारा 73 का संशोधन।

भाग 14

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

193. 2004 के अधिनियम संख्यांक 23 का संशोधन।

भाग 15

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का संशोधन

194. 2007 के अधिनियम संख्यांक 51 का संशोधन।

भाग 16

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का संशोधन

195. धारा 2 का संशोधन।

196. धारा 10 का संशोधन।

197. धारा 17 का संशोधन।

198. धारा 84 का संशोधन।

भाग 17

वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन

199. धारा 187 का संशोधन।

200. धारा 191 का संशोधन।

भाग 18

वित्त अधिनियम, 2018 का संशोधन

201. 2018 के अधिनियम संख्यांक 13 का संशोधन।

202. निरसन।

पहली अनुसूची।

दूसरी अनुसूची।

तीसरी अनुसूची।

चौथी अनुसूची।

पांचवीं अनुसूची।

लोक सभा में 5 जुलाई, 2019
को पुरःस्थापित रूप में

2019 का विधेयक संख्यांक 55

[दि फाइनेंस (नम्बर 2) बिल, 2019 का हिंदी अनुवाद]

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय,—

(क) धारा 2 से धारा 68 तक 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी;

(ख) धारा 91 से धारा 111 और धारा 113 उस तारीख को प्रवृत्त होंगी जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो]; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस

धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ''दो लाख पचास हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन लाख रुपए'' शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ''दो लाख पचास हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच लाख रुपए'' शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा : 1961 का 43

परंतु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा द्वारा संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गड की उपधारा (2क) या धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ड़, धारा 194ढ, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रूपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के परियोजना के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(i) संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग पचास लाख रूपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और संग्रहण के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय ''अग्रिम कर'' की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या ''अग्रिम कर'', पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, ''अग्रिम कर'' की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित ''अग्रिम कर'' की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित ''अग्रिम कर'' में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, —

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के पचीस प्रतिशत की दर से;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के सैंतीस प्रतिशत की दर से;

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के सात प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के बारह प्रतिशत की दर से;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे ''अग्रिम कर'' के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है :

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है :

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर ''अग्रिम कर'' के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परंतुक के अधीन संगणित ''अग्रिम कर'' को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की

उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों:

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :—

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी है) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार भी है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (19कक) के उपखंड (iii) में निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 2 का संशोधन।

"परंतु इस उपखंड के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, जहां परिणामी कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना में निर्विलीन कंपनी की लेखा-बहियों में निर्विलयन से ठीक पहले प्रकट होने वाले मूल्य से भिन्न मूल्य पर उपक्रम या उपक्रमों की संपत्ति और दायित्वों का मूल्य अभिलिखित किया है ।"। 2013 का 18

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 9 का संशोधन।

"(viii) 5 जुलाई, 2019 को या उसके पश्चात् भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किसी व्यक्ति को, धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xviiक) में निर्दिष्ट प्रकृति की ऐसी आय, जो संदत्त की गई किसी धनराशि या भारत में अवस्थित किसी संपत्ति के अंतरण से उद्भूत हुई है ।"।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) में,— धारा 9क का संशोधन।

(i) खंड (ञ) के पहले परंतुक में, "ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में" शब्दों के स्थान पर, "इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से छह मास की अवधि के अंत में या ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में, जो भी पश्चात्वर्ती हो," शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ङ) में, "उक्त क्रियाकलाप की सन्निकट कीमत" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम" शब्द रखे जाएंगे।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन।

(I) खंड (4ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4ग) 17 सितंबर, 2018 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, धारा 194ठग की उपधारा (2) के खंड (ik) में यथानिर्दिष्ट रुपए में अंकित मूल्य के बंधपत्र के निर्गमन द्वारा भारत के बाहर किसी स्रोत से उधार ली गई धनराशियों के संबंध में किसी ऐसे अनिवासी को, जो कोई कंपनी नहीं है या भारतीय कंपनी या कारबार न्यास द्वारा किसी विदेशी कंपनी को ब्याज के रूप में संदेय कोई आय ।";

(II) 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) खंड (12क) में, "चालीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "साठ प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (15) में, उपखंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ix) किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी इकाई द्वारा किसी अनिवासी को, उसके द्वारा 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् उधार ली गई रकम के संबंध में संदेय ब्याज के रूप में कोई आय;

स्पष्टीकरण— इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में है; 2005 का 28

(ख) "इकाई" का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में है;'; 2005 का 28

(III) खंड (34क) में, "(जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है)" कोष्ठकों और शब्दों का 5 जुलाई, 2019 से लोप किया जाएगा ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक में, 1 सितंबर, 2019 से— धारा 12कक का संशोधन।

(I) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मंगा सकेगा, जिन्हें वह स्वयं का निम्नलिखित के बारे में समाधान करने के लिए आवश्यक समझे,—

(i) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता; और

(ii) न्यास या संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि का अनुपालन, जिसका अनुपालन इस कारण से अपेक्षित है कि वह उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तात्त्विक है,

और वह ऐसी जांच भी कर सकेगा, जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे; और";

(ii) खंड (ख) में, "न्यास या संस्था के उद्देश्यों और उसके क्रियाकलापों की असलियत के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "खंड (क) के उपखंड (i) और उक्त खंड के उपखंड (ii) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(II) उपधारा (4) में "न्यास या संस्था के उद्देश्यों और उसके क्रियाकलापों" से आरंभ होने वाले और "ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द करेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) न्यास या संस्था द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध इस प्रकार लागू नहीं होते हैं कि ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को धारा 13 की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण अपवर्जित किया जाए; या

(ख) न्यास या संस्था ने किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, जैसा कि उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट है और आदेश, निदेश या डिक्री, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो यह धारित करती है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, को या तो प्रश्नगत नहीं किया गया है या उसने अंतिमता प्राप्त कर ली है,

तब, प्रधान आयुक्त या आयुक्त लिखित आदेश द्वारा ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा :"।

धारा 13क का संशोधन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 13क के पहले परंतुक के खंड (घ) में, "बैंक खाते के माध्यम से" शब्दों के स्थान पर "बैंक खाते के माध्यम से या किसी अन्य ऐसी इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए," शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 35कघ का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (च) में, "बैंक खाते के माध्यम से" शब्दों के स्थान पर "बैंक खाते के माध्यम से या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए," शब्द 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 40 का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) उपखंड (i) के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां कोई निर्धारिती, किसी ऐसी राशि पर अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, किंतु उसे धारा 201 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, वहां इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि निर्धारिती ने, उक्त परंतुक में निर्दिष्ट आदाता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को उस राशि पर कर की कटौती कर ली है और उसका संदाय कर दिया है ;";

(ख) उपखंड (iक) के दूसरे परंतुक में, "निवासी" शब्द का लोप किया जाएगा ।

धारा 40क का संशोधन ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 40क में 1 अप्रैल, 2020 से,—

(i) "इलैक्ट्रानिक निकासी पद्धति के उपयोग से" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए," शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में, "ऐसे चेक या ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी पद्धति" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी इलैक्ट्रानिक पद्धति, जो विहित की जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 43 का संशोधन ।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (1) के दूसरे परंतुक में, "इलैक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 43ख का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घक) किसी ऐसी राशि की बाबत, जो निर्धारिती द्वारा ऐसे ऋण या उधार को शासित करने वाले करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किसी निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या किसी सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय है, या";

(ii) स्पष्टीकरण 3क के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 3कक— शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहा खंड (घक) में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत कोई कटौती, उस पूर्ववर्ती वर्ष की (जो 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वत्तर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष है) धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना में अनुज्ञात की जाती है, जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत किया गया था, वहां निर्धारिती उस पूर्ववर्ती वर्ष की, जिसमें राशि का उसके द्वारा वस्तुतः संदाय किया गया है, आय की संगणना करने में इस धारा के अधीन ऐसी राशि की बाबत किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।";

(iii) स्पष्टीकरण 3ग के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 3गक— शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी ऐसी राशि की कटौती, जो खंड (घक) के अधीन संदेय ब्याज है, तभी अनुज्ञात होगी यदि ऐसे ब्याज का वस्तुतः संदाय किया गया है और उक्त उपखंड में निर्दिष्ट ऐसा ब्याज, जिसे ऋण या उधार में संपरिवर्तित कर दिया गया है, वस्तुतः संदाय किया हुआ नहीं समझा जाएगा ।";

(iv) स्पष्टीकरण 4 में खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(ङ) "निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" से कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है, जो लोक निक्षेप ग्रहण या धारित करती है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में रजिस्ट्रीकृत है; 1934 का 2

(च) "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में उसका है;

(छ) "सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" से ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है जो लोक निक्षेप ग्रहण या धारित नहीं करती है और जिसकी कुल आस्तियां अंतिम संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार पांच अरब रुपए से कम नहीं है तथा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में रजिस्ट्रीकृत है ।'।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 43गक की उपधारा (4) में, "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे । धारा 43गक का संशोधन ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 43घ में, 1 अप्रैल, 2020 से,— धारा 43घ का संशोधन ।

(i) खंड (क) में, "राज्य औद्योगिक विनिधान निगम" शब्दों के पश्चात्, "या निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) दीर्घ पंक्ति में, "राज्य औद्योगिक विनिधान निगम या" शब्दों के पश्चात्, "कोई निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण में, खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ज) "निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी", "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" और "सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" पदों का वही अर्थ होगा, जो धारा 43ख के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में उनका है ।'।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ की उपधारा (1) के परंतुक में "इलैक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 44कघ का संशोधन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकख) में और दीर्घ पंक्ति के पहले 1 अप्रैल, 2020 से,— धारा 47 का संशोधन ।

(अ) उपखंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएगें, अर्थात् :—

"(ग) व्युतपन्नियां ; या

(घ) अन्य ऐसी प्रतिभूतियां, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ।";

(आ) "किसी अनिवासी" शब्दों के पश्चात् "या किसी विनिर्दिष्ट अस्तित्व" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(घ) "प्रतिभूति" शब्द का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है; 1956 का 32

(ङ) "विनिर्दिष्ट निधि" से एक न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय के रूप में भारत में निगमित या स्थापित कोई ऐसी निधि अभिप्रेत है,—

(i) जिसे प्रवर्ग III की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 द्वारा विनियमित है; 1992 का 15

(ii) जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है;

(iii) जो एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न कर रही है;

(iv) जिसकी सभी यूनिट अनिवासियों द्वारा धारित हैं ।

(च) "न्यास" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन स्थापित कोई न्यास अभिप्रेत है; 1882 का 2

(छ) "यूनिट" से किसी विनिधानकर्ता का फायदाप्रद हित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शेयर या भागीदारी हित भी हैं;

(ज) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जो तत्समय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में मानी जा रही है । 1999 का 42

धारा 50ग का संशोधन

18. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में "समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 50गक का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 50गक में, स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंध प्राप्त या प्रोद्भावी किसी ऐसे प्रतिफल को लागू नहीं होंगे, जो व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा अंतरण के परिणामस्वरूप और ऐसी शर्तों के, जो विहित किए जाएं, अध्यधीन है ।"।

धारा 54छख का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 54छख में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(i) उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु उपधारा (6) के खंड (घ) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा अर्जित किसी नई आस्ति की दशा में, जो कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रख दिए गए हों :';

(ii) उपधारा (5) के परंतुक में, "2019" अंकों के स्थान पर, "2021" अंक रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (6) के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, "पचास" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है, "पच्चीस" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 56 का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (viiख) में 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) परंतुक के खंड (i) में "जोखिम पूंजी निधि" शब्दों के स्थान पर, "जोखिम पूंजी निधि या कोई विनिर्दिष्ट निधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां इस खंड के उपबंधों को, पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने मद्दे लागू नहीं किया गया है और कंपनी ऐसी शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहती है, वहां शेयर के पुरोधरण के लिए प्राप्त किया गया कोई प्रतिफल, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें उक्त शर्तों में से किसी शर्त का पालन करने की असफलता हुई है, उस कंपनी की आय-कर से प्रभार्य आय समझा जाएगा; ";

(ग) स्पष्टीकरण के, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(कक) "विनिर्दिष्ट निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है, जिसे किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में भारत में स्थापित किया गया है या निगमित किया गया है और जिसे प्रवर्ग III की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया है और जो भारतीय
1992 का 15 प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 द्वारा विनियमित है;

1882 का 2 (कख) "न्यास" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित कोई न्यास अभिप्रेत है ।';

(ii) खंड (viii) में "धारा 145क के खंड (ख) में" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 145ख की उपधारा (1) में" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे ।";

(iii) खंड (x) में,—

(अ) उपखंड (ख) के दूसरे परंतुक में "बैंक खाते" शब्दों के स्थान पर, "बैंक खाते या किसी ऐसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति से, जो विहित की जाए," शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक में, खंड (x) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2020 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(xi) व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से और ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए ।"।

धारा 79 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 79 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना

'79. (1) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है, पूर्ववर्ष में शेयरधृति में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां किसी भी ऐसी हानि को, जो उस पूर्ववर्ष के किसी पूर्ववर्ष में उपगत हुई थी, तब तक अग्रनीत नहीं किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेयर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित है, न रहे हों, जो उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेयरों को फायदाप्रद रूप से धारण करते थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे :

परंतु यदि धारा 80झकग में यथानिर्दिष्ट किसी पात्र स्टार्ट-अप की दशा में पूर्वोक्त शर्त को पूरा भी नहीं किया जाता है, पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में उपगत हानि को फिर भी पूर्ववर्ती वर्ष की आय के विरुद्ध अग्रनीत करने और मुजरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी के सभी शेयरधारक, जो उस वर्ष या वर्षों के, जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन मतदान शक्ति वाले शेयर धारण करते थे, ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन और यदि ऐसी हानि उस वर्ष, जिसमें ऐसी कंपनी निगमित हुई है, से प्रारंभ होने वाले सात वर्ष के दौरान ऐसी हानि उपगत हुई है, उन शेयरों को धारण करना जारी रखेंगे ।

(2) इस उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात,—

(क) उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां उक्त मतदान शक्ति और शेयर धारण में कोई परिवर्तन किसी शेयरधारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप या शेयरधारक के किसी नातेदार को उपहार के माध्यम से शेयरों के अंतरण के मद्दे हुआ हो;

(ख) किसी भारतीय कंपनी, जो किसी विदेशी कंपनी के समामेलन या निर्विलयन के परिणामस्वरूप किसी विदेशी कंपनी की समनुषंगी है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि समामेलित या निर्विलियत विदेशी कंपनी के इक्यावन प्रतिशत शेयर समामेलित या पारिणामिक विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहेंगे, के शेयरधारण में किसी परिवर्तन को लागू नहीं होगी ;

(ग) किसी कंपनी को लागू नहीं होगी, जहां अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुने जाने का
2016 का 31 युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में किसी पूर्ववर्ष में शेयरधारण में कोई परिवर्तन होता है:

(घ) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी कंपनी को और उसकी समनुषंगियों को और ऐसी समनुषंगी की समनुषंगी को लागू नहीं होगी, जहां,—

2013 का 18 (i) केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन किए गए आवेदन पर अधिकरण ने ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड को निलंबित कर दिया है और नए निदेशकों की नियुक्ति की है, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ii) ऐसी कंपनी और उसकी समनुषंगियों तथा ऐसी समनुषंगी की समनुषंगी कंपनी के शेयरधारण में कोई परिवर्तन पूर्ववर्ष में अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 के अधीन अधिकरण द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के परिणामस्वरूप हुआ है ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी यदि ऐसी अन्य कंपनी, कंपनी की साम्या शेयर पूंजी के आधे से अधिक अभिहित मूल्य को धारण करती है;

(ii) "अधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (90) में उसका है ।'। 2013 का 18

धारा 80ग का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग की उपधारा (2) में, खंड (xxiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xxv) केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी होते हुए, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के विनिर्दिष्ट खाते में अभिदाय के रूप में,—

(क) कम से कम तीन वर्ष की नियत अवधि के लिए; और

(ख) जो ऐसी स्कीम के अनुसार है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट खाते" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई अतिरिक्त खाता अभिप्रेत है ।'। 2013 का 23

धारा 80गगघ का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2020 से "पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो" शब्दों के स्थान पर "पूर्ववर्ष में उसके वेतन के,—

(क) चौदह प्रतिशत से, जहां ऐसा अभिदाय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) दस प्रतिशत, जहां ऐसा अभिदाय किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया जाता है,

से अधिक न हो'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।''।

नई धारा 80ङङक और धारा 80 ङङख का अंतःस्थापन।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80ङङ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2020 से, अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

कतिपय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती ।

'80ङङक. (1) किसी ऐसे निर्धारिती की, जो धारा 80ङङ के अधीन कटौती का दावा करने का पात्र कोई व्यष्टि नहीं है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसके द्वारा किसी आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था से लिए गए उधार पर संदेय ब्याज की कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और यह व्यष्टि की 1 अप्रैल, 2020 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

(i) उधार, वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को आरंभ और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है;

(ii) आवासीय गृह संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(iii) निर्धारिती के स्वामित्व में, उधार मंजूर किए जाने की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है ।

(4) जहां इस धारा के अधीन कोई कटौती उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए अनुज्ञात की जाती है, वहां ऐसे ब्याज की बाबत कटौती, अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 80ङङ की उपधारा (5) के खंड (क) में है;

(ख) "स्टांप शुल्क मूल्य" पद से किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय कोई मूल्य अभिप्रेत है ।

वैद्युत यान के क्रय के संबंध में कटौती ।

80ङङख. (1) किसी निर्धारिती, जो व्यष्टि है, की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए उसके द्वारा वैद्युत यान के क्रय के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर संदेय ब्याज की कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती इन शर्तों के अधीन रहते हुए होगी कि ऋण वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया है ।

(4) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की जाती है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे ब्याज के संबंध में कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वैद्युत यान" से ऐसा यान अभिप्रेत है, जिसे अनन्य रूप से किसी वैद्युत मोटर द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, जिसकी कर्षण ऊर्जा की अनन्य रूप से यान में प्रतिष्ठापित कर्षण बैटरी द्वारा पूर्ति की जाती है, और जिसमें वैद्युत पुनर्योजित ब्रैकिंग प्रणाली है जिससे ब्रेक लगाने पर यान की गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में संपरिवर्तित करने की व्यवस्था हो जाती है;

1949 का 10

(ख) "वित्तीय संस्था", से ऐसी कोई बैंककारी कंपनी, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है या उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट बैंक या बैंककारी संस्था अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कोई निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय संस्था से बैंककारी वित्तीय संस्था या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कोई निक्षेप न ग्रहण करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है, जैसा धारा 43ख के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ङ) और खंड (छ) में परिभाषित है ।'।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक में, 1 अप्रैल, 2020 से,— धारा 80झखक का संशोधन ।

(अ) उपधारा (2) के खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् अनुमोदित परियोजनाओं के लिए इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो खंड (घ) से खंड (झ) के लिए निम्नलिखित खंड रख दिए गए हों, अर्थात् :—

'(घ) परियोजना निम्नलिखित से अन्यून माप वाले भूखंड पर है,—

(i) एक हजार वर्गमीटर, जहां परियोजना बैंगलूरू, चैन्नेई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई (संपूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र) महानगरों के भीतर अवस्थित है; या

(ii) दो हजार वर्गमीटर, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान में अवस्थित है;

(ङ) परियोजना, खंड (घ) में यथा विनिर्दिष्ट भूखंड पर केवल गृह निर्माण परियोजना ही है;

(च) गृह निर्माण परियोजना में समाविष्ट निवासी इकाई का कारपेट क्षेत्र निम्नलिखित से अधिक नहीं है,—

(i) साठ वर्गमीटर, जहां परियोजना बैंगलूरू, चैन्नेई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई (संपूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र) महानगरों के भीतर अवस्थित है; या

(ii) नब्बे वर्गमीटर, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान में अवस्थित है;

(छ) गृह निर्माण परियोजना में किसी निवासी इकाई का स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रूपए से अधिक नहीं है;

(ज) जहां गृह निर्माण परियोजना की कोई आवासीय इकाई किसी व्यष्टि को आबंटित की जाती है, वहां उस व्यक्ति को या ऐसे व्यष्टि के पति अथवा पत्नी या अवयस्क बच्चों को किसी गृह निर्माण परियोजना में कोई अन्य आवासीय इकाई आबंटित नहीं की जाएगी;

(झ) जहां परियोजना—

(I) बैंगलूरू, चैन्नेई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई (संपूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र) महानगरों में अवस्थित है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अधीन भूखंड के संबंध में अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र अनुपात का नब्बे प्रतिशत से अन्यून है; या

2004 का 23

(II) जहां ऐसी परियोजना उपखंड (I) में निर्दिष्ट स्थान से भिन्न किसी स्थान में अवस्थित है, वहां ऐसे फर्श क्षेत्र अनुपात के अस्सी प्रतिशत से अन्यून है; और

(ञ) निर्धारिती गृह परियोजनाओं के संबंध में पृथक् लेखा बहियां रखता है ।';

(आ) उपधारा (6) के खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(च) "स्टांप शुल्क मूल्य" से किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है ।'।

धारा 80ञञकक का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80ञञकक के स्पष्टीकरण के पहले परंतुक के खंड (i) के उपखंड (ख) में "समाशोधन प्रणाली के उपयोग से" शब्दों के स्थान पर "समाशोधन प्रणाली के उपयोग से या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 80ठक का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो कोई अनुसूचित बैंक या भारत से बाहर किसी विदेश की विधियों द्वारा या उनके अधीन निगमित कोई बैंक है और जिसका कोई विदेशी बैंककारी यूनिट विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है, सकल कुल आय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, आय से निम्नलिखित रकम के बराबर की कटौती अनुज्ञात की जाएगी,—

(क) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अनुमति या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुमति या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के सौ प्रतिशत और तत्पश्चात् ; 1949 का 10 1992 का 15

(ख) पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के पचास प्रतिशत ।

(1क) जहां किसी निर्धारिती की, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का कोई यूनिट है, सकल कुल आय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, निर्धारिती के विकल्प पर आय से, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अनुमति या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुमति प्राप्त की गई थी, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाली पन्द्रह वर्ष की अवधि में से किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के सौ प्रतिशत रकम के बराबर की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।"; 1949 का 10 1992 का 15

(ii) उपधारा (2) के आरंभिक भाग में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 92गघ का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 92गघ में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (3) में, "सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण या उसकी पुनःसंगणना करने की कार्यवाही करेगा" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण में अवधारित सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय को उपांतरित करते हुए आदेश पारित करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) के खंड (क) में, "कुल आय के निर्धारण, पुनःनिर्धारण या उसकी पुनःसंगणना का" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 92गड. का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 92गड. में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(I) खंड (iii) में, "धारा 92गग के अधीन किए गए" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 92गग के अधीन 1 अप्रैल 2017 को को या उसके पश्चात किए गए" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2018 से रखे गए समझे जाएंगे;

(II) परंतुक के खंड (i) में, "एक करोड़ रुपए; और" शब्दों के स्थान पर "एक करोड़ रुपए; या" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2018 से रखे गए समझे जाएंगे;

(III) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस उपधारा के, जैसी कि वह वित्त (सं. 2) अधिनियम 2019 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी उपबंधों के अधीन संदत्त कर, यदि कोई हो के किसी प्रतिदाय का दावा और उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) में,-

(i) "अतिरिक्त धन" शब्दों के स्थान पर ",यथास्थिति, अतिरिक्त धन या उसके भाग" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2018 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धन या उसके किसी भाग को निर्धारिती के किसी ऐसे सहयुक्त उद्यमों में से किसी उद्यम से, जो भारत में निवासी नहीं है, संप्रत्यावर्तित किया जा सकेगा ।";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं 1 सितंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस दशा में, जहां अतिरिक्त धन या उसका भाग विहित समय के भीतर संप्रत्यावर्तित नहीं किया गया है, वहां निर्धारिती अपने विकल्प पर, यथास्थिति, ऐसे अतिरिक्त धन या उसके भाग पर अठारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय कर सकेगा ।

(2ख) निर्धारिती द्वारा उपधारा (2क) के अधीन इस प्रकार संदत्त अतिरिक्त धन या उसके भाग पर कर को, संप्रत्यावर्तित नहीं किए गए अतिरिक्त धन या उसके भाग की बाबत कर के अंतिम संदाय के रूप में समझा जाएगा और इस प्रकार संदत्त कर की रकम की बाबत निर्धारिती द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए किसी अतिरिक्त प्रत्यय का दावा नहीं किया जाएगा ।

(2ग) उस रकम की बाबत, जिस पर उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार कर संदत्त किया गया है, निर्धारिती को इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(2घ) जहां उपधारा (2क) में निर्दिष्ट अतिरिक्त कर निर्धारिती द्वारा संदत्त किया गया है, वहां उससे उपधारा (1) के अधीन द्वितीय समायोजन करने की और ऐसे कर के संदाय की तारीख से उपधारा (2) के अधीन ब्याज की संगणना करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।"।

धारा 92घ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 92घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी, अर्थात, :—

'92घ. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति,—

कतिपय व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज का रखा जाना और उनका प्रस्तुत किया जाना।

(i) जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, उसकी बाबत ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं ।

(ii) जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का कोई घटक अस्तित्व है, किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "घटक अस्तित्व" का वही अर्थ होगा, जो धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (घ) में उसका है;

(आ) "अंतर्राष्ट्रीय समूह" का वही अर्थ होगा, जो धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (छ) में उसका है।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड वह अवधि विहित कर सकेगा, जिसके लिए जानकारी और दस्तावेज उस उपधारा के अधीन रखे और बनाए रखे जाएंगे ।

(3) निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस संबंध में जारी की गई सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उसमें निर्दिष्ट कोई जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करे :

परंतु निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर तीस दिन की अवधि को तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेज को धारा 286 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी को ऐसी रीति में उस तारीख को या उसके पूर्व, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।'।

धारा 111क का संशोधन ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 111क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "धारा 10 के खंड (38) के स्पष्टीकरण" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे।

धारा 115क का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (4) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा में की कोई बात, धारा 80ठक के अधीन किसी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिट को अनुज्ञात किसी कटौती को लागू नहीं होगी ।"।

धारा 115ञख का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 की दीर्घ पंक्ति में, खंड (iiज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(iiज) निम्नलिखित की दशा में शेष अवक्षयण और हानि की अग्रनीत की गई सकल रकम,—

(अ) कंपनी और उसकी समनुषंगी और ऐसी समनुषंगी की समनुषंगी, जहां अधिकरण ने केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन किए गए आवेदन पर ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड को निलंबित कर दिया है और नए निदेशकों को नियुक्त किया है, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया है;

2013 का 18

(आ) कंपनी, जिसके विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन को ग्रहण कर लिया गया है। 2016 का 31

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में उसका है; 2016 का 31

(ii) "अधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (90) में उसका है; 2013 का 18

(iii) कोई कंपनी, किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी उस समय होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी, उस कंपनी की साम्या शेयर पूंजी के अंकित मूल्य के आधे से अधिक को धारण करती है;

(iv) "हानि" में अवक्षयण सम्मिलित नहीं होगा; या'।

धारा 115ण का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (8) में, 1 सितंबर, 2019 से "वर्तमान आय" शब्दों के स्थान पर, "वर्तमान आय या 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् संचित आय" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 115 थक का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115थक की उपधारा (1) में, "(जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं है)" कोष्ठक और शब्दों का 5 जुलाई 2019 से लोप किया जाएगा ।

धारा 115द का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(अ) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए संव्यवहारों से किसी विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि द्वारा व्युत्पन्न अपनी आय में से वितरित आय की किसी रकम की बाबत कोई अतिरिक्त आय-कर प्रभार्य नहीं होगा :";

(आ) स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ia) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए तत्समय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में माना गया है;'; 1999 का 42

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(iii) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है; 2005 का 28

(iv) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो धारा 43 के खंड (5) के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में उसका है ।";

(v) "विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि" से धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई पारस्परिक निधि अभिप्रेत है और,—

(क) जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है;

(ख) जो केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करती है;

(ग) जिसकी सभी इकाइयां अनिवासियों द्वारा धारित हैं;

(vi) "इकाई" से निधि में किसी विनिधानकर्ता का फायदाप्रद हित अभिप्रेत हैं'।

धारा 115पख का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 115पख की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2020 से—

(क) खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(i) ऐसी हानियों में से, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणना के परिणामस्वरूप विनिधान निधि को हुई हानि को, यदि कोई हो,—

(क) अग्रनीत किए जाने की अनुज्ञा दी जाएगी और अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार उसका मुजरा विनिधान निधि द्वारा किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उसकी अनदेखी की जाएगी;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट हानि से भिन्न किसी अन्य हानि की, यदि कोई हो, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अनदेखी की जाएगी, यदि ऐसी हानि किसी ऐसी यूनिट की बाबत उद्भूत हुई है, जिसे यूनिट धारक द्वारा न्यूनतम बारह मास की अवधि के लिए धारित नहीं किया गया है ।';

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(2क) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न किसी हानि को, यदि कोई हो, जो 31 मार्च, 2019 को विनिधान निधि के स्तर पर संचित हुई है,—

(i) उसी रीति में, जो उपधारा (1) में उपबंधित की गई है, यूनिट धारक द्वारा विनिधान निधि में किए गए विनिधानों की बाबत ऐसे यूनिट धारक की हानि के रूप में समझा जाएगा, जो 31 मार्च, 2019 को ऐसी यूनिट को धारण कर रहा था; और

(ii) ऐसे यूनिट धारक को, उस वर्ष से, जिसमें प्रथम बार हानि उद्भूत हुई थी, उस वर्ष को प्रथम वर्ष के रूप में मानते हुए संगणित शेष अवधि के लिए अग्रनीत करने की अनुज्ञा दी जाएगी और हानि का उसके द्वारा अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार मुजरा किया जाएगा :

परंतु उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार समझी गई हानि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् विनिधान निधि को उपलब्ध नहीं होगी ।'।

धारा 139 का संशोधन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) छठे परंतुक में और स्पष्टीकरण के पूर्व, "धारा 10खक या" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 10खक या धारा 54 या धारा 54ख या धारा 54घ या धारा 54ङग या धारा 54च या धारा 54छ या धारा 54छक या धारा 54छख या" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) छठे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि खंड (ख) में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे इस उपधारा के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है और जो पूर्ववर्ष के दौरान,—

(i) किसी बैंककारी कंपनी या किसी सहकारी बैंक के साथ रखे गए एक या अधिक चालू खातों में एक करोड़ रुपए से अधिक किसी रकम या कुल रकमों को जमा करता है; या

(ii) किसी विदेश यात्रा के लिए स्वयं हेतु या किसी अन्य व्यक्ति के लिए दो लाख रुपए से अधिक किसी रकम या कुल रकमों का व्यय उपगत करता है; या

(iii) विद्युत के उपभोग के मद्दे एक लाख रुपए से अधिक रकम या कुल रकमों का व्यय उपगत करता है; या

(iv) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं,

नियत तारीख को या उसके पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित, जो विहित की जाए, और ऐसी अन्य विशिष्टियों का, जो विहित की जाए, वर्णन करते हुए अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा :'';

(ग) स्पष्टीकरण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 6**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो धारा 269धध के स्पष्टीकरण के खंड (i) में उसका है;

(ख) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा, जो धारा 269धध के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में उसका है ।'।

धारा 139क का संशोधन ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 139क में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(i) उपधारा (1) के खंड (vi) में "खंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"खंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति; या

(vii) जो ऐसा संव्यवहार करने का आशय रखता है, जो राजस्व के हित में बोर्ड द्वारा विहित किया जाए,'';

(ii) उपधारा (5घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5ङ) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के अधीन अपना स्थायी खाता संख्यांक देने या सूचित करने या उसका हवाला देने की अपेक्षा की जाती है, और—

(क) जिसे स्थायी खाता संख्यांक नहीं दिया गया है किन्तु वह आधार संख्यांक रखता है, स्थायी खाता

संख्यांक के बदले में अपना आधार संख्यांक प्रस्तुत कर सकेगा या उसकी सूचना दे सकेगा या उसका हवाला दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्थायी खाता संख्यांक दिया जाएगा;

(ख) जिसे स्थायी खाता संख्यांक दे दिया गया है और जिसने धारा 139कक की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपनी आधार संख्या सूचित कर दी है, और वह स्थायी खाता संख्यांक के बदले अपनी आधार संख्या दे सकेगा या सूचित कर सकेगा या उसका हवाला दे सकेगा ।'';

(iii) उपधारा (6) में, ''साधारण सूचकांक रजिस्टर संख्यांक'' शब्दों के स्थान पर, '', यथास्थिति, साधारण सूचकांक रजिस्टर संख्यांक या आधार संख्यांक'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''(6क) ऐसा संव्यवहार, जो विहित किया जाए, करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे संव्यवहारों से संबंधित दस्तावेजों में अपने, यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक का हवाला देगा और ऐसे स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित भी करेगा;

(6ख) उपधारा (6क) में निर्दिष्ट विहित संव्यवहारों से संबंधित किसी दस्तावेज को प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे दस्तावेज में, यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक का सम्यक् रूप से हवाला दिया गया है और यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसा स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक ऐसी रीति में अधिप्रमाणित है, जो विहित की जाए ।'';

(v) उपधारा (8) के खंड (ख) और खंड (च) में, ''साधारण सूचकांक रजिस्टर संख्यांक'' शब्दों के स्थान पर, '',यथास्थिति, साधारण सूचकांक रजिस्टर संख्यांक या आधार संख्यांक'' शब्द रखे जाएंगे;

(vi) स्पष्टीकरण में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) ''आधार संख्यांक'' का वही अर्थ होगा जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में है; 2016 का 18

(कक) ''निर्धारण अधिकारी'' के अंतर्गत आय-कर प्राधिकारी भी है, जिसे स्थायी खाता संख्यांक देने का कर्तव्य सौंपा गया है;

(कख) ''अधिप्रमाणन'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना या बायोमैट्रिक सूचना के साथ स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक, उसके सत्यापन के लिए आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा प्राधिकारी या अभिकरण, उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, उसकी परिशुद्धता या कमी का सत्यापन करता है;'।

धारा 139कक का संशोधन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 139कक की उपधारा (2) के परंतुक में, ''स्थायी खाता संख्यांक को अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो उस व्यक्ति ने स्थायी खाता संख्यांक आबंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया था'' शब्दों के स्थान पर, ''स्थायी खाता संख्यांक को, ऐसी तारीख के पश्चात्, जो अधिसूचित की जाए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अमान्य कर दिया जाएगा'' शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे ।

धारा 140क का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 140क में,—

(i) उपधारा (1) में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

''(iiक) धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत;'';

(ii) उपधारा (1क) के खंड (i) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा,—

''(खक) धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत;'';

(iii) उपधारा (1ख) के स्पष्टीकरण में खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा,—

''(iक) धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत;''।

धारा 143 का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, ''संदत्त किसी अग्रिम कर,'' शब्दों के पश्चात्, ''धारा 89 के अधीन अनुज्ञेय कर की कोई राहत,'' शब्द और अंक, अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 194घक में, ''उस पर एक प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, ''उसमें समाविष्ट आय की रकम के पांच प्रतिशत'' शब्द, 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे । धारा 194घक का संशोधन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 194झक के स्पष्टीकरण में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 सितंबर, 2019 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 194झक का संशोधन ।

'(कक) ''स्थावर संपत्ति के लिए प्रतिफल'' में क्लब की सदस्यता फीस, कार पार्किंग फीस, विद्युत या जल सुविधा फीस, रखरखाव फीस, अग्रिम फीस की प्रकृति के सभी प्रभार या समान प्रकृति के कोई ऐसे अन्य प्रभार, जो स्थावर संपत्ति के अंतरण के अनुषंगी हैं, सम्मिलित होंगे;'।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठघ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 सितंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 194ड और धारा 194ढ का अंतःस्थापन ।

'194ड. (1) कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है (उनसे भिन्न, जिनसे धारा 194ग या धारा 194ञ के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती करना अपेक्षित है) और जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी संविदा के अनुसरण में किसी संकर्म (जिसके अंतर्गत किसी संकर्म को करने के लिए श्रम की आपूर्ति भी है) को करने के लिए या वृत्तिक सेवाओं हेतु फीस के माध्यम से किसी निवासी को किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि को जमा करते समय या ऐसी राशि का नकद में या चेक या मांगदेय पत्र को जारी करके या किसी अन्य पद्धति द्वारा संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर आय-कर के रूप में ऐसी राशि के पांच प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा : कतिपय व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा कतिपय राशियों का संदाय।

परंतु इस धारा के अधीन उस समय कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निवासी को संदत्त, यथास्थिति, ऐसी राशि या ऐसी राशियों का योग पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

(2) धारा 203क के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिससे इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करना अपेक्षित है ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''संविदा'' का वही अर्थ होगा, जो धारा 194ग के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है;

(ख) ''वृत्तिक सेवाओं'' का वही अर्थ होगा, जो धारा 194ञ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है;

(ग) ''संकर्म'' का वही अर्थ होगा, जो धारा 194ग के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में उसका है ।

194ढ. प्रत्येक व्यक्ति जो,— नकद रूप में कतिपय रकमों का संदाय ।

(i) ऐसी कोई बैंककारी कंपनी है, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसके अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) लागू होता है; 1949 का 10

(ii) ऐसी कोई सहकारी समिति है, जो बैंककारी कारबार चलाने में लगी हुई है; या

(iii) कोई ऐसा डाकघर है;

जो किसी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् प्राप्तिकर्ता कहा गया है) ऐसी किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या डाकखाने के पास प्राप्तिकर्ता द्वारा धारित खाते से पूर्ववर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक, यथास्थिति, राशि या कुल राशि का नकद रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि के संदाय के समय, ऐसी राशि जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, के दो प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा :

परंतु इस उपधारा के उपबंध निम्नलिखित को किसी संदाय के संबंध में लागू नहीं होंगे,—

(i) सरकार;

(ii) बैंककारी या डाकखाने के कारबार को चलाने में लगी कोई बैंककारी कंपनी, सहकारी सोसाइटी; 1934 का 2

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार बैंककारी कारबार चलाने में लगी किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की ओर से कोई कारबार संवाददाता;

(iv) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार के अनुसार बैंककारी कारबार चलाने में लगी हुई किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी श्वेत लेबल स्वचालित टेलर मशीन; 2007 का 51

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।'।

धारा 195 का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 195 में, 1 नवंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (2) में, "वह निर्धारण अधिकारी से आवेदन कर सकेगा कि वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी राशि का" शब्दों के स्थान पर, "वह निर्धारण अधिकारी से, ऐसे प्ररूप और रीति में आवेदन कर सकेगा कि वह राशि का ऐसी रीति में जो विहित की जाए," शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (7) में, "वह निर्धारण अधिकारी से आवेदन कर सकेगा कि वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी राशि का" शब्दों के स्थान पर, "वह निर्धारण अधिकारी को आवेदन, ऐसे प्ररूप और रीति में राशि अवधारित करने के लिए, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 197 का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, "धारा 194ठखग" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 194ठखग, धारा 194ड" शब्द, अंक और अक्षर, 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे ।

धारा 201 का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 201 में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (1) के पहले परंतुक में, "निवासी" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "आदाता" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (1क) के परंतुक में, "निवासी" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "आदाता" शब्द रखा जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में, "दिया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "दिया जाता है या उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 200 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन संशोधन विवरण परिदत्त किया जाता है, के अंत से दो वर्ष, जो भी पश्चात्वर्ती हो" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 206क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 206क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 सितंबर, 2019 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

कर की कटौती के बिना निवासियों को किसी आय के संदाय के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया जाना ।

"206क. (1) धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी, जो किसी निवासी को, ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के माध्यम से उस दशा में, जहां संदायकर्ता कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी है, चालीस हजार रुपए से अनधिक और किसी अन्य दशा में पांच हजार रुपए से अनधिक किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे विवरण परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा और ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में होंगे और ऐसी रीति में सत्यापित होंगे और उनमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी और उन्हें ऐसे समय के भीतर परिदत्त किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

(2) बोर्ड यह विहित कर सकेगा कि कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में वर्णित व्यक्ति से भिन्न है और जो किसी निवासी को ऐसी किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, जो अध्याय 17 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी है, ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे विवरण परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा और ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में होंगे और ऐसी रीति में सत्यापित होंगे और उनमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी और उन्हें ऐसे समय के भीतर परिदत्त किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति, विहित प्राधिकारी को, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिदत्त विवरण में प्रस्तुत की गई किसी त्रुटि का सुधार करने या उसमें दी गई जानकारी में कुछ अभिवृद्धि करने या उसमें से कुछ हटाने या उसे अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित करते हुए संशोधन विवरण भी परिदत्त कर सकेगा, जैसा प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।"।

धारा 228क का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 228क में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "भारत में संपत्ति वाले" शब्दों के स्थान पर "भारत में संपत्ति रखने वाले किसी निवासी या" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "प्रत्येक ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे कर वसूली अधिकारी को अग्रेषित कर सकता है जिसकी अधिकारिता में ऐसी संपत्ति स्थित है" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे निवासी पर अधिकारिता रखने वाले कर वसूली अधिकारी को या जिसकी अधिकारिता में ऐसी संपत्ति स्थित है, अग्रेषित कर सकता है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

"निर्धारिती की भारत के बाहर देश में (जो ऐसा देश है, जिसके साथ केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम और उस देश में प्रवृत्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आय-कर की वसूली के लिए करार किया जाना है) संपत्ति है" शब्दों के स्थान पर "निर्धारिती किसी देश का निवासी है या उस देश में कोई संपत्ति रखता है (जो ऐसा देश है, जिसके साथ केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम और उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आय-कर की वसूली के लिए करार किया जाना है)" शब्द रखे जाएंगे ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 234क की उपधारा (1) के खंड (ख) में, उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— धारा 234क का संशोधन ।

"(iiक) धारा 89 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;"।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 234ख की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 में, खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:— धारा 234ख का संशोधन ।

"(iक) धारा 89 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;"।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:— धारा 234ग का संशोधन ।

"(iक) धारा 89 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;"।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 239 में 1 सितंबर, 2019 से,— धारा 239 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "विहित प्ररूप में होगा और विहित रीति से सत्यापित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "धारा 139 के उपबंधों के अनुसार विवरणी देकर प्रस्तुत किया जाएगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (खख) में, "निर्धारण या पुनःनिर्धारण का" शब्दों के स्थान पर, "किया गया" शब्द, 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे । धारा 246क का संशोधन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 269धध की दीर्घ पंक्ति में, "इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति का उपयोग करके, जो विहित की जाए," शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे । धारा 269धध का संशोधन ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 269धन की दीर्घ पंक्ति में, "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के, जो विहित की जाए," शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे । धारा 269धन का संशोधन ।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 269धन के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 269धप का अंतःस्थापन ।

"269धप. प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई कारबार कर रहा है, यदि कारबार में, यथास्थिति, उसके कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष से ठीक पूर्व वर्ष के दौरान पचास करोड़ से अधिक हैं, तो वह, ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही संदाय की अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धतियों की सुविधा के अतिरिक्त विहित इलैक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय को स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा ।"। विहित इलैक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय का स्वीकार किया जाना ।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 269न की दीर्घ पंक्ति में, "इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति का उपयोग करके, जो विहित की जाए," शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे । धारा 269न का संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 270क में,— धारा 270क का संशोधन ।

(अ) "जहां आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते है, "जहां आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां धारा 148 के अधीन पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है" शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) उपधारा (2) के खंड (ङ) में, "जहां आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है" शब्दों के स्थान पर, "जहां आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां धारा 148 के अधीन पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है" शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे;

(इ) उपधारा (3) के खंड (i) के उपखंड (ख) में, "जहां आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है" शब्दों के स्थान पर, "जहां आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां धारा 148 के अधीन पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है" शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 271घक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271घख का अंतःस्थापन ।

"271घख. (1) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 269धप में निर्दिष्ट विहित संदाय के इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से संदाय ग्रहण करने की सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है, तो वह शास्ति के रूप में, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करने का दायी होगा : धारा 269धप के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

परंतु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि ऐसी असफलता के लिए उपयुक्त और पर्याप्त कारण थे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोई शास्ति संयुक्त आय-कर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।''।

धारा 271चकक का संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 271चकक के आरंभिक भाग में "के खंड (ट)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का 1 सितंबर, 2019 से लोप किया जाएगा ।

धारा 272ख का संशोधन ।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 272ख में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर ", यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139क की उपधारा (6क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों में, अपना, यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक उत्कथित करने या उक्त उपधारा के उपबंधों के अनुसार ऐसे संख्यांक को अधिप्रमाणित करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा करने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा;

(2ख) यदि कोई व्यक्ति, जिससे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि, यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक,—

(i) धारा 139क की उपधारा (5) के खंड (ग) या उपधारा (6क) में विहित संव्यवहारों से संबंधित दस्तावेजों में सम्यक् रूप से उत्कथित किया गया हैं; या

(ii) उक्त धारा की उपधारा (6क) के अधीन निर्दिष्ट संव्यवहार की बाबत सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया है।

ऐसा करने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा'';

(ग) उपधारा (3) में, "उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपधारा (2) या उपधारा (2क) या उपधारा (2ख)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 276गग का संशोधन ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग के परंतुक के खंड (ii) में, उपखंड (ख) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2020 से निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी नहीं है, संदेय कर, जो निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व संदत्त अग्रिम कर या स्व निर्धारण कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किए गए या संग्रहीत किए गए किसी कर को घटाकर आए, दस हजार रुपए से अधिक नहीं है ।"।

धारा 285खक का संशोधन ।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(i) उपधारा (1) में, खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ट) कोई रिपोर्ट करने वाली विहित संस्था; या

"(ठ) खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, जो विहित किया जाए,";

(ii) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (4) में, "ऐसे विवरण को अविधिमान्य विवरण माना जाएगा और" शब्दों का लोप किया जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति "विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति ने विवरण में "गलत जानकारी प्रस्तुत की थी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 286 का संशोधन ।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (क) के उपखंड (i) में, "या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व" शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

दूसरी अनुसूची के नियम 68ख का संशोधन।

68. आय-कर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 3 में, नियम 68ख के उपनियम (1) में 1 सितंबर, 2019 से, —

(क) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "सात वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "परंतु" शब्द के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) इस प्रकार संशोधित परंतुक से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-—

"परंतु बोर्ड, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पूर्वोक्त अवधि को तीन वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा;"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

69. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 41 की उपधारा (1) में, "निर्यातित माल या आयातित माल" शब्दों से आरंभ होने वाले और "संदाय करने का दायी होगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 41 का संशोधन ।

"निर्यातित माल या आयातित माल का वहन करने वाला किसी प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सीमाशुल्क स्टेशन से प्रवहण के प्रस्थान से पहले किसी उचित व्यक्ति को जलयान या वायुयान की दशा में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके प्रस्थान सूची या निर्यात सूची और किसी यान की दशा में निर्यात रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप और रीति में देगा, जो विहित की जाए और यदि भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, प्रस्थान सूची या निर्यात सूची या निर्यात रिपोर्ट या उसके किसी भाग को ऐसे समय के भीतर देने में असफल रहता है और उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो ऐसा भारसाधक व्यक्ति पचास हजार रुपए से अनधिक शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।"।

70. सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 12क के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— नए अध्याय 12ख का अंतःस्थापन ।

'अध्याय 12ख

पहचान का सत्यापन और अनुपालन

99ख. (1) यथास्थिति, प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उचित अधिकारी इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका सत्यापन करना वह राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए या निम्नलिखित के लिए तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक समझता है, अर्थात् :— पहचान का सत्यापन और उसका अनुपालन।

(क) ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, आधार संख्या का अधिप्रमाणन करने या उसे रखे जाने का सबूत प्रस्तुत करने; या

(ख) ऐसे अन्य दस्तावेज या जानकारी, जो विहित की जाए, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करने :

परंतु यदि व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई या इस प्रकार समनुदेशित की गई है, किन्तु ऐसे व्यक्ति का अधिप्रमाणन तकनीकी कारणों या उसके नियंत्रण से परे कारणों से असफल हुआ है, तो उसे ऐसी रीति या समय-सीमा में, जो विहित की जाए, पहचान के ऐसे अन्य विकल्प या जीवनक्षम साधन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो विहित किए जाएं, को लागू नहीं होंगे ।

(3) अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संबंधित व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति—

(i) उक्त उपधारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहा है या उसने उक्त उपधारा के अधीन सही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो वह—

(क) आयातित या निर्यात माल की निकासी;

(ख) प्रतिदाय की मंजूरी;

(ग) वापसी की मंजूरी;

(घ) शुल्क से छूट;

(ङ) अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण; या

(च) कोई अन्य फायदा, मौद्रिक और अन्यथा, जो आयात या निर्यात से उद्भूत हो,

जो ऐसे व्यक्ति से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, संबंधित है;

(ii) उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार अधिप्रमाणन में असफल हो गया है, तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति खंड (i) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी मद का फायदा नहीं लेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन निलंबन का आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक संबद्ध व्यक्ति उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है या उसके अधीन सही दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्या" पद का वही अर्थ होगा जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों और फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में है ।'।

2016 का 18

धारा 103 का संशोधन ।

'71. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 103 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) जहां उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 100 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसा कोई माल रखता है जो ऐसे अधिहरण का दायी है जिसे उसने अपने शरीर के भीतर छिपाया है वहां वह ऐसे व्यक्ति को परिरुद्ध कर सकेगा; और

(क) सीमाशुल्क उप आयुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से यथासाध्य शीघ्रता से ऐसे उपस्कर, जो सीमाशुल्क केंद्रों पर उपलब्ध हों, का प्रयोग करने वाले ऐसे व्यक्ति की स्क्रीनिंग या उसे स्कैन करेगा, किन्तु ऐसे व्यक्ति के ऐसे अधिकारों के, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपलब्ध हो, जिनके अंतर्गत ऐसी स्क्रीनिंग या स्कैनिंग के लिए उसकी सहमति भी है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और निकटतम मजिस्ट्रेट को, यदि ऐसा माल उसके शरीर के अंदर छिपा हुआ पाया जाता है, ऐसी स्क्रीनिंग या स्कैनिंग की रिपोर्ट को अग्रेषित करेगा; या

(ख) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष अनावश्यक विलंब के बिना उसे पेश करेगा ।'';

(ii) उपधारा (6) में, "यदि" शब्द के पश्चात् "उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उचित अधिकारी से या" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 104 का संशोधन ।

72. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 में,—

(i) उपधारा (1) में, "भारत में या भारतीय सीमाशुल्क सागर खंड के भीतर" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (4) में,—

(अ) खंड (ख) में, "रुपए" शब्द के स्थान पर, "रुपए; या" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शुल्क से वापसी या किसी छूट को, यदि वापसी या शुल्क से छूट की रकम पचास लाख रुपए से अधिक है, कपटपूर्ण रूप से प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास करने; या

(घ) जहां इस अधिनियम या विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रयोजनों के लिए कपटपूर्वक कोई लिखत प्राप्त करता है और ऐसी लिखत का उपयोग किया जाता है, वहां लिखत के ऐसे उपयोग से संबंधित शुल्क पचास लाख रुपए से अधिक है;'';

1992 का 22

(iii) उपधारा (6) में,—

(अ) खंड (घ) में, "रुपए" शब्द के स्थान पर, "रुपए; या" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) इस अधिनियम या विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रयोजन के लिए, कपटपूर्वक कोई लिखत वहां अभिप्राप्त करता है, जहां ऐसी लिखत का इस अधिनियम के अधीन उपयोग किया जाता है, यदि लिखत के ऐसे उपयोग से संबंधित शुल्क पचास लाख रुपए से अधिक है;";

1992 का 22

(iv) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण—** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लिखत" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 28ककक के स्पष्टीकरण 1 में उसका है ।'।

धारा 110 का संशोधन ।

73. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 में,—

(i) उपधारा (1) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु जहां किसी कारण से अभिग्रहीत माल को हटाना, उसका परिवहन, भंडारण या वास्तविक कब्जा लेना साध्य नहीं है, वहां उचित अधिकारी, अभिग्रहीत माल की अभिरक्षा, माल के स्वामी या हिताधिकारी स्वामी या ऐसे व्यक्ति को, जो स्वयं को आयातकर्ता बताता है या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति में, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे माल का अभिग्रहण किया गया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा वचन निष्पादित करने पर कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना उस माल को नहीं हटाएगा, उसे अलग नहीं करेगा या अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा, दे सकेगा :

परंतु यह और कि जहां ऐसे किसी माल को अभिगृहीत करना साध्य नहीं है, वहां समुचित अधिकारी माल के स्वामी या फायदाग्राही स्वामी या किसी व्यक्ति, जो स्वयं को स्वामी बताता है या किसी अन्य व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल पाया गया है, पर यह निदेश देते हुए आदेश तामील कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय ऐसा माल नहीं हटाएगा, उसे अलग नहीं करेगा या अन्यथा ऐसे माल का व्यवहार नहीं करेगा ।'';

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान उचित अधिकारी की यह राय है कि राजस्व के हित की संरक्षा करने या तस्करी को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त के अनुमोदन से लिखित में आदेश द्वारा अनंतिम रूप से किसी बैंक खाते को छह मास से अनधिक की अवधि के लिए कुर्क कर सकेगा :

परंतु सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी अवधि को अतिरिक्त अवधि तक, जो छह मास से अधिक की नहीं होगी, बढ़ा सकेगा और समय के ऐसे विस्तार की सूचना ऐसे व्यक्ति को दे सकेगा, जिसके बैंक खाते को अनंतिम रूप से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले कुर्क किया गया है ।''।

धारा 110क का संशोधन ।

74. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110क में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "दस्तावेजों और वस्तुओं" शब्दों के पश्चात् "या अनंतिम रूप से कुर्क बैंक खाते" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "दस्तावेजों या वस्तुओं" शब्दों के पश्चात् "अनंतिम रूप से कुर्क बैंक खाते" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) "स्वामी को" शब्दों के पश्चात् "या बैंक खाता धारक को" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; ।

नई धारा 114कख का अंतःस्थापन।

75. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कपट, आदि द्वारा लिखत प्राप्त करने के लिए शास्ति ।

'114कख. जहां किसी व्यक्ति ने किसी लिखत को कपट द्वारा, दुरभिसंधि करके, तथ्यों को छिपाकर या जानबूझकर मिथ्या विवरण दिया है और ऐसे लिखत का किसी व्यक्ति द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किया गया है, ऐसा व्यक्ति, जिसको लिखत जारी की गई है, का वह ऐसे लिखत के अंकित मूल्य से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लिखत" का वही अर्थ होगा, जो धारा 28ककक के स्पष्टीकरण 1 में उसका है ।'।

धारा 117 का संशोधन ।

76. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 117 में, "एक लाख" शब्दों के स्थान पर, "चार लाख" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 125 का संशोधन ।

77. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (1) के पहले परंतुक में, "इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा जुर्माना आरोपित नहीं किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 135 का संशोधन ।

78. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (घ) में, "प्रयास करेगा" शब्दों के स्थान पर "प्रयास करेगा; या" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) किसी प्राधिकारी से, कपट द्वारा दुरभिसंधि द्वारा जानबूझकर मिथ्या कथन द्वारा या तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्ण रूप से कोई लिखत अभिप्राप्त करेगा और ऐसी लिखत का ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाएगा;";

(ग) मद (i) में,—

I. उपमद ई में, "से अधिक है," शब्दों के स्थान पर "से अधिक है; या" शब्द रखे जाएंगें;

II. उपमद ई के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"(उ) किसी प्राधिकारी से, कपट द्वारा दुरभिसंधि द्वारा जानबूझकर मिथ्या कथन द्वारा या तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्ण रूप से कोई लिखत अभिप्राप्त करना और ऐसी लिखत का किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाना, यदि लिखत के उपयोग से संबंधित शुल्क पचास लाख रुपए से अधिक है ।";

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण—** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लिखत" का वही अर्थ होगा, जो धारा 28ककक के स्पष्टीकरण 1 में उसका है ।'।

धारा 149 का संशोधन ।

79. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 149 में, "संशोधित किए जाने वाले सीमाशुल्क सदन" शब्दों के पश्चात् "ऐसे रूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 157 का संशोधन ।

80. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(टक) अधिप्रमाणन की रीति और ऐसे अधिप्रमाणन के लिए समय-सीमा, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज या सूचना और ऐसे दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करने की रीति और ऐसे प्रस्तुतीकरण के लिए समय-सीमा और पहचान के लिए वैकल्पिक साधन प्रस्तुत करने की रीति तथा ऐसी पहचान प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा, छूट दिए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, वे शर्तें, जिनके अधीन अध्याय 12ख के अधीन निलंबन किया जा सकेगा;";

(ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ढ) धारा 149 के अधीन किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए प्ररूप और रीति, समय-सीमा तथा निर्बंधन और शर्तें;''।

धारा 158 का संशोधन ।

81. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के खंड (ii) में, "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख" शब्द रखे जाएंगे ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

82. (1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 423(अ), तारीख 1 जून, 2011, सा.का.नि. 499(अ), तारीख 1 जुलाई, 2011, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 का संशोधन हो जाएगा और उसे अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तत्स्थानी तारीख से ही दूसरी अनुसूची में उनमें प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट रीति में भूतलक्षी रूप से संशोधित हुआ समझा जाएगा और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप में और प्रभावी रूप में इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी । 1962 का 52

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार के पास उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार के पास सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

83. (1) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 का संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1270(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2018, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई थी, संशोधित हो जाएगी और तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तारीख से ही संशोधित समझी जाएगी और सदैव संशोधित की हुई समझी जाएगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त अधिसूचना के अधीन की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की हुई समझी जाएगी और सदैव की हुई समझी जाएगी मानो इस धारा के द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो। 1962 का 52 1975 का 51

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के पास उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और उसके बारे में उसे संशोधित करने की शक्ति प्राप्त हुई समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन उक्त अधिसूचना को सभी तात्विक समयों पर संशोधित करने की शक्ति प्राप्त थी ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव होना।

84. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 665(अ), तारीख 2 अगस्त, 1976 का संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1270(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2018, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई थी, सभी प्रयोजनों के लिए 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई और सदैव प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 1962 का 52 1975 का 51

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

85. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 9 का संशोधन ।

(1क) जहां केंद्रीय सरकार की, ऐसी जांच करने पर, जो वह आवश्यक समझे, यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित प्रति शुल्क की प्रवंचना या तो उस वस्तु, जिस पर ऐसा शुल्क अधिरोपित किया गया है, का वर्णन या नाम या संरचना को बदलकर या ऐसी वस्तु के असंयोजित या गैर-संयोजित रूप में ऐसी वस्तु के आयात द्वारा या उसके उद्भव के देश को बदलकर या किसी अन्य रीति में हुई है, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार अधिरोपित प्रति शुल्क निष्प्रभावी हो गया है, तो वहां वह ऐसी अन्य वस्तु पर भी प्रति शुल्क का विस्तार कर सकेगी ।

86. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ग में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 9ग का संशोधन ।

1962 का 52

"(1) अवधारण के आदेश या उसके पुनर्विलोकन के विरुद्ध अपील, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील अधिकरण कहा गया है) को निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में की जाएगी, अर्थात् :—

(i) किसी वस्तु के आयात के संबंध में कोई सहायिकी या प्रतिपाटन; या

(ii) भारत में ऐसी वर्धित मात्राओं में और ऐसी अवस्था में किसी वस्तु का आयात, जिससे उस वस्तु के आयात के संबंध में सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण की अपेक्षा करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंच सके या पहुंचने की आशंका हो ।"।

87. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,— पहली अनुसूची का संशोधन ।

(क) चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा;

(ख) पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से भी संशोधन किया जाएगा ।

88. (1) सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना सं. सा.का.नि. 186(अ), तारीख 22 फरवरी, 2016 द्वारा संशोधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 804(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 2015, सभी प्रयोजनों के लिए 21 अक्तूबर, 2015 से ही प्रवृत्त हुई और सदैव प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। प्रतिपाटन शुल्क से उद्ग्रहणीय कतिपय माल के वर्गीकरण में उपांतरण का भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्यकरण ।

1975 का 51

(2) ऐसे सभी प्रतिपाटन शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा, जिसे संग्रहीत किया गया है किंतु जिसे इस प्रकार संग्रहित नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुआ होता ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

89. (1) सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 तथा नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना सं. सा.का.नि. 285(अ), तारीख 5 जुलाई, 2011 द्वारा संशोधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 665(अ), तारीख 8 मार्च, 2016, सभी प्रयोजनों के लिए 8 मार्च, 2016 से ही प्रवृत्त हुई और सदैव प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । माल के वर्णन में उपांतरण का भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्यकरण ।

1975 का 51

(2) ऐसे सभी प्रतिपाटन शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है किंतु जिसे इस प्रकार संग्रहित नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुआ होता।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

90. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में, टैरिफ मद 2709 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "एक रुपया प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी । चौथी अनुसूची का संशोधन ।

धारा 2 का संशोधन ।

91. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (4) में, "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," शब्दों के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 12

धारा 10 का संशोधन ।

92. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 1—दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (घ) के अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ङ) में "अधिसूचित किया जाए"; शब्दों के स्थान पर, "अधिसूचित किया जाए; और" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष के सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो किसी राज्य में उसकी आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,—

(क) किसी ऐसे मालों या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं ।";

1961 का 43

(घ) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 1— इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "सकल आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, "किसी राज्य में आवर्त या किसी संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त" में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात् :—

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

93. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि सरकार, राज्य के अनुरोध पर और परिषद् की सिफारिशों पर बीस लाख रुपए के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है ।"।

धारा 25 का संशोधन ।

94. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा :

परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है ।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों या किसी राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्यांक" पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसका है ।"।

2016 का 18

नई धारा 31क का अंतःस्थापन ।

95. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा ।

"31क. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रानिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा ।"।

धारा 39 का संशोधन ।

96. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा ।";

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।"।

धारा 44 का संशोधन ।

97. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।"।

धारा 49 का संशोधन ।

98. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर संबंधी इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा ।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा ।"।

99. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 50 का संशोधन ।

"परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है ।"।

100. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 में,— धारा 52 का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।'';

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।''।

101. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 53क का अंतःस्थापन ।

"53क. जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार राज्य कर खाते या संघ राज्यक्षेत्र कर खाते को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी"। कतिपय रकमों का अंतरण ।

102. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 54 का संशोधन ।

"(8क) सरकार राज्य सरकार के प्रतिदाय का वितरण ऐसी रीति में कर सकेगी, जो विहित की जाए ।"।

103. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 95 में,— धारा 95 का संशोधन ।

(i) उपखंड (क) में,—

(क) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "धारा 100 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) 'राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण' से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ।"।

104. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतःस्थापन ।

"101क. (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 101ख के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण नामक प्राधिकरण का गठन करेगी । राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन ।

(2) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(i) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है या किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यायाधीश है या रहा है;

(ii) एक तकनीकी सदस्य (केंद्र), जो भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क) सेवा, समूह क का सदस्य है या रहा है और जिसने समूह क में कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;

(iii) एक तकनीकी सदस्य (राज्य), जो राज्य सरकार के मूल्यवर्धित कर अपर आयुक्त या राज्य कर अपर आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी है या रहा है और जिसे किसी विद्यमान विधि या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या वित्त और कराधान के क्षेत्र में प्रशासन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है ।

(3) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके नामनिर्देशिती के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा :

परंतु अध्यक्ष के पद की, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति की दशा में, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, जिसको ऐसी रिक्ति भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है :

परंतु यह और कि जहां अध्यक्ष, अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहां राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य उस तारीख तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जिसको अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करता है ।''।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केंद्र) और तकनीकी सदस्य (राज्य) ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिशों पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(5) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की कोई नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(6) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले सरकार अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है ।

(7) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन और भत्तों में या उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी फेरफार नहीं किया जाएगा ।

(8) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का पात्र होगा ।

(9) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केंद्र) या तकनीकी सदस्य (राज्य) उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का भी पात्र होगा ।

(10) अध्यक्ष या कोई सदस्य, सरकार को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, सरकार द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण किए जाने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद पर बना रहेगा ।

(11) सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें ऐसी सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या

(ङ) उसने अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य को खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(12) उपधारा (11) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों को, सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात्, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर तथा अध्यक्ष या उक्त सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के सिवाय, पद से नहीं हटाया जाएगा ।

(13) सरकार, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष या तकनीकी सदस्यों को, जिसकी बाबत उपधारा (12) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निर्देश किया गया है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से पद से निलंबित किया जा सकेगा ।

(14) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, पद पर न रहने पर, उस राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के समक्ष, जहां वह यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य था, उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवाक् करने के लिए पात्र नहीं होगा ।"।

राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील ।

"101ख. (1) जहां धारा 97 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (3) के अधीन दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है और जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है, तो वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जहां ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील फाइल कर सकेगा :

परंतु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण— शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिसको अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी, उसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।"।

राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश ।

"101ग. (1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त और सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित करने वाला ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर भिन्न राय है, तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासंभव रूप से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अवधारित किया जाएगा ।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए, और उसे सुनाए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा ।"।

धारा 102 का संशोधन ।

105. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 102 में,—

(क) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "धारा 98 या धारा 101" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 98 या धारा 101 या धारा 101ग" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) "या अपीलार्थी" शब्दों के स्थान पर "या अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 103 का संशोधन ।

106. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 103 में,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा—

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा 103ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही स्थायी खाता संख्यांक है (आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया); 1961 का 43

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी ।'' ; 1961 का 43

(ii) उपधारा (2) में "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 104 का संशोधन ।

107. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 104 में,—

(क) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में, "धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् "या धारा 101ग के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 105 का संशोधन ।

108. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 105 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां";

(ख) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 106 का संशोधन ।

109. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 106 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया";

(ख) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 168 का संशोधन ।

110. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) में "धारा 39" शब्दों और अंकों के पश्चात् "धारा 44 की उपधारा (1), धारा 52 की उपधारा (4) और धारा 52 की उपधारा (5)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 171 का संशोधन ।

111. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए "मुनाफाखोरी" पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है ।"।

2017 का 12

112. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 674(अ), तारीख 28 जून, 2017 की अनुसूची में क्रम सं. 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :— केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि.674(अ) का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

1	2	3
"103क	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र''।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार के पास उक्त अधिनियम, की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो संग्रहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा ।

एकीकृत माल और सेवा कर

2017 का 13

113. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 17क का अंतःस्थापन ।

"17क. जहां कोई रकम, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाता से राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अंतरित की गई है, वहां सरकार, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक नकद खाता से अंतरित रकम के बराबर रकम को राज्य कर लेखा और संघ राज्यक्षेत्र कर लेखा को अंतरित कर देगी ।"। कतिपय रकमों का अंतरण ।

2017 का 13

114. (1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 667(अ), तारीख 28 जून, 2017 की अनुसूची में क्रम सं. 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 667(अ) का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

1	2	3
"103क	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र''।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी ।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो संग्रहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा ।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

2017 का 14

115. (1) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 711(अ), तारीख 28 जून, 2017 की अनुसूची में क्रम सं. 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ) का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

1	2	3
"103क	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र''।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संग्रहित किया गया है, किंतु जो संग्रहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा ।

सेवा कर

लिकर अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के माध्यम से सेवा पर सेवा कर से, भूतलक्षी रूप से छूट के लिए विशेष उपबंध ।

116. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्याय कहा गया है) धारा 66ख में, जैसी वह 1 जुलाई, 2017 से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा उसके लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान थी, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2016 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति फीस या आवेदक फीस, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, के रूप में प्रतिफल के बदले लिकर अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के रूप में, उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा । 1994 का 32 2017 का 12

(2) ऐसे सभी सेवा कर का, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु इस प्रकार संग्रहण नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही होती, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त (सं0 2) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) उक्त अध्याय का लोप होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदाय के लिए, भूतलक्षी रूप से इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त अध्याय सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा छात्रों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में भूतलक्षी रूप से सेवा कर से छूट के लिए विशेष उपबंध ।

117. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्याय कहा गया है), धारा 66 में जैसी कि वह 1 जुलाई, 2012 के पूर्व विद्यमान थी या धारा 66ख में जैसी वह 1 जुलाई, 2017 से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा उसके लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान थी, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 जुलाई, 2003 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भारतीय प्रबंध सस्थानों द्वारा छात्रों को, कार्यपालक विकास कार्यक्रम के सिवाय निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा,— 1994 का 32 2017 का 12

(क) प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंधन में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर किए गए हैं;

(ख) प्रबंधन में अध्येता कार्यक्रम;

(ग) प्रबंधन में पांच वर्ष का एकीकृत कार्यक्रम,

उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गईं कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु इस प्रकार संग्रहण नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही होती, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त (सं0 2) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) उक्त अध्याय का लोप होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदाय के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त अध्याय सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

वित्तीय कारबार के अवसंरचनात्मक विकास के लिए प्लाटों के दीर्घकालिक पट्टे से संबंधित कतिपय मामलों में भूतलक्षी रूप से सेवा कर से छूट के लिए विशेष उपबंध ।

118. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्याय कहा गया है), जैसा वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा उसके लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान था, धारा 66ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अक्तूबर, 2013 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान किसी औद्योगिक या वित्तीय कारबार क्षेत्र के विकासकर्ताओं के लिए राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम या उपक्रमों द्वारा या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र के पचास प्रतिशत या अधिक के स्वामित्व वाले अन्य अस्तित्व द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई वित्तीय कारबार हेतु अवसंरचना के विकास के लिए प्लाटों का तीस वर्ष या अधिक का दीर्घकालिक पट्टा देने के माध्यम से सेवा के संबंध में संदेय बयाने (प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत, विकास प्रभार के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात) की रकम पर कोई सेवा कर उद्गृहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा । 1994 का 32 2017 का 12

(2) ऐसे सभी सेवा कर का, जिनका संग्रहण किया गया है, किंतु इस प्रकार संग्रहण नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही होती, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त (सं0 2) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) उक्त अध्याय का लोप होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदाय के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त अध्याय सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

अध्याय 5

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

119. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम, 2019 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "स्कीम" कहा गया है) है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

120. इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "घोषित रकम" से घोषणाकर्ता द्वारा धारा 124 के अधीन घोषित रकम अभिप्रेत है;

(ख) "प्राक्कलित रकम" से पदाभिहित समिति द्वारा धारा 126 के अधीन प्राक्कलित रकम अभिप्रेत है;

(ग) "बकाया रकम" से शुल्क की ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन निम्नलिखित के मद्दे शुल्क के बकाया के रूप में वसूलनीय है,—

(i) घोषणाकर्ता द्वारा अपील फाइल करने की समयावधि के अवसान के पूर्व किसी आदेश या अपील में किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है; या

(ii) घोषणाकर्ता से संबंधित किसी अपील में किसी आदेश को अंतिमता प्राप्त हो गई है; या

(iii) घोषणाकर्ता ने, 30 जून, 2019 को या उसके पहले, अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन कोई विवरणी फाइल की है, जिसमें उसने कर दायित्व को स्वीकार किया है, किन्तु उसका संदाय नहीं किया है;

(घ) "शुल्क की रकम" से अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन संदेय केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सेवा कर तथा उपकर की रकम अभिप्रेत है;

(ङ) "संदेय रकम" से घोषणाकर्ता द्वारा अंतिम रूप से संदेय ऐसी कोई रकम अभिप्रेत है, जिसे पदाभिहित समिति द्वारा अवधारित किया गया है और जिसे उसके द्वारा जारी विवरण में उपदर्शित किया गया है, जिससे वह इस स्कीम के अधीन फायदों के लिए पात्र बन सके और इसकी संगणना शोध्य कर की ऐसी रकम के रूप में की जाएगी, जिसमें कर की राहत की रकम को घटा दिया गया हो;

(च) "अपील मंच" से, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) अभिप्रेत है;

(छ) "संपरीक्षा" से अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन किसी जांच या अन्वेषण से भिन्न की गई कोई संवीक्षा, सत्यापन और परीक्षण अभिप्रेत है और जो उस समय आरंभ होगी, जब केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी से संपरीक्षा करने संबंधी कोई लिखित संसूचना प्राप्त होती है;

(ज) "घोषणाकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 124 के अधीन घोषणा करने के लिए पात्र है और जो ऐसी घोषणा फाइल करता है;

(झ) "घोषणा" से धारा 124 के अधीन फाइल की गई घोषणा अभिप्रेत है;

(ञ) "विभागीय अपील" से अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन, ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा अपील मंच के समक्ष फाइल की गई अपील अभिप्रेत है;

(ट) "पदाभिहित समिति" से धारा 125 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(ठ) "उन्मोचन प्रमाणपत्र" से धारा 126 के अधीन पदाभिहित समिति द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ड) "किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन जांच या अन्वेषण" के अंतर्गत, निम्नलिखित कार्रवाइयां सम्मिलित होंगी,—

(i) परिसरों की तलाशी;

(ii) समन जारी करना;

(iii) लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(iv) कथनों को लेखबद्ध करना;

(ढ) "अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति" से धारा 121 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां अभिप्रेत हैं;

(ण) "आदेश" से किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन अवधारण का कोई ऐसा आदेश अभिप्रेत है, जिसे ऐसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन जारी कारण बताओ सूचना के संबंध में पारित किया गया है;

(त) "ऐसा आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है" से अपील मंच द्वारा, उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील के संबंध में पारित कोई आदेश अभिप्रेत है;

(थ) "व्यक्ति" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(i) कोई व्यष्टि;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब;

(iii) कोई कंपनी;

(iv) कोई सोसाइटी;

(v) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(vi) कोई फर्म;

(vii) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं;

(viii) सरकार;

(ix) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(x) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 2 में यथापरिभाषित कोई निर्धारिती;

(xi) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आता है;

(द) "परिमाणन" से उसके सजातीय पदों सहित अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन संदेय शुल्क की रकम की लिखित संसूचना अभिप्रेत हैं;

(ध) "विवरण" से पदाभिहित समिति द्वारा धारा 126 के अधीन जारी कोई विवरण अभिप्रेत है;

(न) "कर राहत" से धारा 123 के अधीन मंजूर की गई राहत की रकम अभिप्रेत है;

(प) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इस स्कीम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति में उसका है और किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति में दो या अधिक ऐसे अर्थों में किसी विरोध की दशा में, ऐसे अर्थ को अंगीकृत किया जाएगा, जो इस स्कीम के उपबंधों से अधिक संगत है।

स्कीम का अप्रत्यक्ष कर अधिनियमितियों को लागू होना।

121. यह स्कीम निम्नलिखित अधिनियमितियों को लागू होगी, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 या वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय 5 और तद्धीन बनाए गए नियम; — 1944 का 1, 1986 का 5, 1994 का 32

(ख) निम्नलिखित अधिनियम, अर्थात् :—

(i) कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940; — 1940 का 27

(ii) काफी अधिनियम, 1942; — 1942 का 7

(iii) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946; — 1946 का 22

(iv) रबड़ अधिनियम, 1947; — 1947 का 24

(v) नमक उपकर अधिनियम, 1953; — 1953 का 49

(vi) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955; — 1955 का 16

(vii) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957; — 1957 का 58

(viii) खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क) अधिनियम, 1958; — 1958 का 27

(ix) चीनी (विशेष उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1959; — 1959 का 58

(x) टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963; — 1963 का 41

(xi) उपज उपकर अधिनियम, 1966; — 1966 का 15

1972 का 62 (xii) चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972;

1974 का 28 (xiii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974;

1974 का 47 (xiv) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974;

1975 का 26 (xv) तंबाकू उपकर अधिनियम, 1975;

1976 का 55 (xvi) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976;

1976 का 56 (xvii) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976;

1978 का 40 (xviii) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978

1982 का 3 (xix) चीनी उपकर अधिनियम, 1982;

1983 का 28 (xx) जूट विनिर्मिति उपकर अधिनियम, 1983;

1986 का 3 (xxi) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985;

1986 का 11 (xxii) मसाला उपकर अधिनियम, 1986;

2004 का 22 (xxiii) वित्त अधिनियम, 2004;

2007 का 17 (xxiv) वित्त अधिनियम, 2007;

2015 का 20 (xxv) वित्त अधिनियम, 2015;

2016 का 28 (xxvi) वित्त अधिनियम, 2016;

(ग) कोई अन्य अधिनियम, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

122. इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, "कर शोध्यों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,— कर शोध्य ।

(क) जहां,—

(i) किसी ऐसे आदेश से, उद्भूत होने वाली किसी एकल अपील की जो किसी अपील मंच के समक्ष 30 जून, 2019 को लंबित है, वहां शुल्क की वह कुल रकम, जो उक्त अपील में विवादित है;

(ii) किसी आदेश से उद्भूत होने वाली एक से अधिक अपीलों की दशा में, जिनमें से एक घोषणाकर्ता द्वारा फाइल की गई है तथा दूसरी विभागीय अपील है और जो अपील मंच के समक्ष 30 जून, 2019 को लंबित है, वहां शुल्क की ऐसी रकम, घोषणाकर्ता द्वारा उसकी अपील में विवादित है और शुल्क की ऐसी रकम, विभागीय अपील में विवादित है, का योगः

परंतु उपरोक्त खंडों में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां किसी ऐसी अपील की सुनवाई 30 जून, 2019 को या उसके पूर्व अंतिम रूप से कर ली गई है।

दृष्टांत 1—किसी घोषणाकर्ता को 1000 रुपए की शुल्क की रकम और 100 रुपए की शास्ति की रकम के लिए कारण बताओ सूचना जारी की जाती है। 1000 रुपए की शुल्क की रकम और 100 रुपए की शास्ति की रकम के लिए आदेश किया जाता है। घोषणाकर्ता ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करता है। शुल्क की रकम, जिसके बारे में विवाद किया गया है, 1000 रुपए है और इस प्रकार शोध्य कर 1000 रुपए है।

दृष्टांत 2—किसी घोषणाकर्ता को 1000 रुपए की शुल्क की रकम और 100 रुपए की शास्ति की रकम के लिए कारण बताओ सूचना जारी की जाती है। 900 रुपए की शुल्क की रकम और 90 रुपए की शास्ति की रकम के लिए आदेश किया जाता है। घोषणाकर्ता इस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करता है। शुल्क की रकम, जिसके बारे में विवाद किया गया है, 900 रुपए है और इस प्रकार शोध्य कर 900 रुपए है।

दृष्टांत 3—किसी घोषणाकर्ता को 1000 रुपए की शुल्क की रकम और 100 रुपए की शास्ति की रकम के लिए कारण बताओ सूचना जारी की जाती है। 900 रुपए की शुल्क की रकम और 90 रुपए की शास्ति की रकम के लिए आदेश किया जाता है। घोषणाकर्ता अवधारण के इस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करता है। विभागीय अपील 100 रुपए के शुल्क और 10 रुपए की शास्ति के लिए है। विवादित शुल्क की रकम 900 रुपए धन 100 रुपए अर्थात् 1000 रुपए है।

दृष्टांत 4—घोषणाकर्ता को 1000 रुपए की शुल्क की रकम के लिए कारण बताओ सूचना जारी की जाती है। घोषणाकर्ता अवधारण के इस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करता है। पहले अपील प्राधिकारी ने शुल्क की रकम को कम करके 900 रुपए कर दिया। घोषणाकर्ता ने दूसरी अपील फाइल की। शुल्क की रकम, जिस पर विवाद है, 900 रुपए है और इस प्रकार शोध्य कर 900 रुपए है।

(ख) जहां घोषणाकर्ता द्वारा 30 जून, 2019 को या उससे पूर्व अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन कारण बताओ सूचना प्राप्त की जाती है, वहां उक्त सूचना में घोषणाकर्ता द्वारा संदेय की जाने वाली कथित शुल्क की रकमः

परंतु यदि उक्त घोषणाकर्ता और अन्य व्यक्तियों को, उन्हें संयुक्त रूप से और पृथकतः रकम के लिए दायी बनाते हुए दी गई है, तो उक्त सूचना में संयुक्त रूप से और पृथकतः उपदर्शित संदेय रकम को घोषणाकर्ता द्वारा संदेय शुल्क की रकम में हिसाब में लिया जाएगा;

(ग) जहां घोषणाकर्ता के विरुद्ध जांच या अन्वेषण या लेखापरीक्षा लंबित है वहां किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन संदेय शुल्क की रकम, जिसका 30 जून, 2019 को या उससे पूर्व परिमाणन किया गया है;

(घ) जहां घोषणाकर्ता द्वारा रकम का स्वैच्छिक रूप से प्रकटन किया गया है, वहां घोषणा में कथित शुल्क की कुल रकम;

(ङ) जहां घोषणाकर्ता से संबंधित बकाया की रकम शोध्य है, वहां बकाया की रकम।

स्कीम के अधीन उपलब्ध अनुतोष।

123. (1) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, इस स्कीम के अधीन किसी घोषणाकर्ता को उपलब्ध अनुतोष की संगणना नीचे दिए अनुसार की जाएगीः—

(क) जहां शोध्य कर कारण बताओ सूचना से या ऐसी सूचना से उद्भूत एक या अधिक अपीलों से संबद्ध है, जो 30 जून, 2019 को लंबित है और शुल्क की रकम,—

(i) पचास लाख रुपए या कम है वहां शोध्य कर का सत्तर प्रतिशत;

(ii) पचास लाख रुपए से अधिक है वहां शोध्य कर का पचास प्रतिशत;

(ख) जहां कर देय केवल विलंब फीस या शास्ति के लिए कारण बताओ सूचना से संबद्ध है और उक्त सूचना में की शुल्क की रकम का संदाय कर दिया गया है या कुछ नहीं है, वहां विलंब फीस या शास्ति की संपूर्ण रकम;

(ग) जहां शोध्य कर बकाया की किसी रकम से संबद्ध है, और,—

(i) शुल्क की रकम पचास लाख रुपए या कम है वहां शोध्य कर का साठ प्रतिशत;

(ii) शुल्क की रकम पचास लाख रुपए से अधिक है वहां शोध्य कर का चालीस प्रतिशत;

(iii) अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन किसी रिटर्न में, जिसमें घोषणाकर्ता ने किसी शुल्क की रकम को संदेय के रूप में उपदर्शित किया है, किन्तु संदत्त नहीं किया है और उपदर्शित शुल्क की रकम,—

(अ) पचास लाख रुपए या कम है वहां शोध्य कर का साठ प्रतिशत;

(आ) उपदर्शित रकम पचास लाख रुपए या अधिक है वहां शोध्य कर का चालीस प्रतिशत;

(घ) जहां शोध्य कर, घोषणाकर्ता के विरुद्ध किसी जांच, अन्वेषण या लेखा परीक्षा से संबद्ध है और 30 जून, 2019 को या उसके पूर्व परिमाणित रकम,—

(i) पचास लाख रुपए या कम है वहां शोध्य कर का सत्तर प्रतिशत;

(ii) पचास लाख रुपए से अधिक है वहां शोध्य कर का पचास प्रतिशत;

(ङ) जहां शोध्य कर, घोषणाकर्ता द्वारा स्वेच्छया किसी प्रकटन संदेय है, वहां शोध्य कर की बाबत कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन संगणित अनुतोष इस शर्त के अध्यधीन होगा कि अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन अपील कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर पूर्व निक्षेप के रूप में या जांच, अन्वेषण या संपरीक्षा के दौरान निक्षेप के रूप में संदत्त रकम की कटौती घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को उपदर्शित करते हुए विवरणी जारी करते समय की जाएगीः

परंतु यदि घोषणाकर्ता द्वारा पहले से संदत्त पूर्व निक्षिप्त या निक्षिप्त रकम पदाभिहित समिति द्वारा जारी विवरणी में यथा उपदर्शित घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम से अधिक है, तो घोषणाकर्ता किसी प्रतिदाय के लिए हकदार नहीं होगा।

स्कीम के अधीन घोषणा।

124. (1) इस स्कीम के अधीन, निम्नलिखित के सिवाय, सभी व्यक्ति, घोषणा करने के लिए पात्र होंगे, अर्थात् :—

(क) जिसने किसी अपील मंच के समक्ष कोई अपील फाइल की है और ऐसी अपील पर 30 जून, 2019 को या उसके पूर्व अविमस्य से सुनवाई पूरी कर ली गई है;

(ख) जिसे अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के किसी उपबंध के अधीन किसी ऐसे मामले के लिए, जिसके संबंध में वह घोषणा फाइल करने का आशय रखता है, दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है;

(ग) जिसे किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन कोई कारण बताओ सूचना जारी की गई है और जिसके संबंध में अंतिम सुनवाई 30 जून, 2019 को या उसके पूर्व पूरी कर ली गई है;

(घ) जिसे किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन, किसी त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय या प्रतिदाय के लिए कोई कारण बताओ सूचना जारी की गई है;

(ङ) जिसे किसी जांच या अन्वेषण या संपरीक्षा के अध्यधीन है और उक्त जांच या अन्वेषण या संपरीक्षा में अंतर्वलित शुल्क की रकम को 30 जून, 2019 को या उससे पूर्व परिमाणित नहीं किया गया है;

(च) स्वेच्छया प्रकटन करने वाला—

(i) जिसे किसी जांच या अन्वेषण या संपरीक्षा के अध्यधीन किए जाने के पश्चात् स्वेच्छया प्रकटन करने वाला कोई व्यक्ति; या

(ii) स्वेच्छया प्रकटन करने वाला कोई व्यक्ति, जिसने अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन विवरणी फाइल की है, उसने यथा संदेय शुल्क की किसी रकम को उपदर्शित किया है किन्तु उसका संदाय नहीं किया है;

(छ) जिसने किसी मामले के निपटान के लिए समझौता आयोग में कोई आवेदन फाइल किया है;

1944 का 1 (ज) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में उपवर्णित उत्पाद-शुल्क्य के माल के संबंध में घोषणा करने की ईप्सा करने वाले व्यक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररूप में, की जाएगी जो विहित की जाए।

पदाभिहित समिति द्वारा घोषणा का सत्यापन।

125. (1) पदाभिहित समिति, घोषणाकर्ता द्वारा धारा 124 के अधीन की गई घोषणा की शुद्धता का सत्यापन, ऐसी रीति में किया जाए जो विहित की जाएः

परंतु उस दशा में, जहां घोषणाकर्ता द्वारा शुल्क की किसी रकम का स्वेच्छया प्रकटन किया गया है, वहां ऐसा कोई सत्यापन नहीं किया जाएगा।

(2) पदाभिहित समिति की संरचना और कार्यकरण वह होगा, जो विहित किया जाए।

पदाभिहित समिति द्वारा विवरण का जारी किया जाना।

126. (1) जहां घोषणाकर्ता द्वारा संदेय की जाने वाली प्राक्कलित रकम जो पदाभिहित समिति द्वारा प्राक्कलित है, घोषणाकर्ता द्वारा घोषित रकम के बराबर है, वहां पदाभिहित समिति उक्त घोषणा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को उपदर्शित करने वाली विवरणी इलैक्ट्रानिक प्ररूप में जारी करेगी।

(2) जहां घोषणाकर्ता द्वारा संदेय की जाने वाली प्राक्कलित रकम जो पदाभिहित समिति द्वारा प्राक्कलित है घोषणाकर्ता द्वार, घोषित रकम से अधिक है, वहां पदाभिहित समिति घोषणा की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम का प्राक्कलन इलैक्ट्रानिक प्ररूप में जारी करेगी।

(3)उपधारा (2) के अधीन ऐसा प्राक्कलन जारी किए जाने के पश्चात्, पदाभिहित समिति घोषणाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी यदि वह घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को उपदर्शित करने वाले विवरण के जारी करने से पूर्व ऐसी वांछा करता है :

परंतु घोषणाकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, पदाभिहित समिति द्वारा केवल एक स्थगन मंजूर किया जा सकेगा।

(4) घोषणाकर्ता को सुनने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक रूप में विवरण, जिसमें घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम उपदर्शित हो, घोषणा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर जारी की जाएगी।

(5) घोषणाकर्ता, ऐसी विवरणी को जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पदाभिहित समिति द्वारा जारी विवरण में यथा उपदर्शित संदेय रकम का इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से संदाय करेगा।

(6) जहां, घोषणाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से भिन्न अपील मंच के समक्ष देय करों के परिणामस्वरूप किसी आदेश या नोटिस के विरुद्ध कारण बताओ सूचना के प्रति कोई अपील या निर्देश या उत्तर फाइल किया है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपील या निर्देश या उत्तर वापस लिया गया समझा जाएगा।

(7) जहां घोषणाकर्ता ने शोध्य कर की बाबत किसी आदेश के विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका या अपील या निर्देश फाइल किया है वहां घोषणाकर्ता, ऐसी रिट याचिका, अपील या निर्देश को वापस लेने के लिए, ऐसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा और न्यायालय की अनुमति से ऐसी रिट याचिका, अपील या निर्देश को वापस लेने के पश्चात् पदाभिहित समिति को ऐसे प्रत्याहरण का सबूत ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपखंड (5) में निर्दिष्ट संदाय के सबूत के साथ प्रस्तुत करेगा।

(8) पदाभिहित समिति के विवरण में उपदर्शित रकम के संदाय पर अपील के वापस लिए जाने के सबूत के पेश किए जाने पर, जहां कहीं लागू हो, पदाभिहित समिति, उक्त संदाय और सबूत पेश किए जाने के तीस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी करेगी।

त्रुटियों का परिशोधन।

127. घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को उपदर्शित करने वाले विवरण के जारी किए जाने की तारीख के तीस दिन के भीतर पदाभिहित समिति, ऐसी अंकगणितीय त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि, जो अभिलेख को देखते हुए स्पष्ट है, का सुधार करने के लिए ही अपने आदेश को, घोषणाकर्ता द्वारा पदाभिहित समिति द्वारा ऐसी त्रुटि को इंगित किए जाने पर या स्वप्रेरणा से उपांतरित कर सकेगी।

उन्मोचन प्रमाणपत्र का जारी किया जाना, विषय और समय अवधि के बारे में निश्चायक होगा।

128. (1) इस स्कीम के अधीन संदेय रकम के संबंध में धारा 126 के अधीन जारी प्रत्येक उन्मोचन प्रमाणपत्र, उसमें कथित विषय और समयावधि के बारे में निश्चायक होगा, और,—

(क) घोषणाकर्ता, घोषणा के अंतर्गत आने वाले विषय और समय अवधि के संबंध में अतिरिक्त शुल्क, ब्याज या शास्ति का संदाय करने का दायी नहीं होगा;

(ख) घोषणाकर्ता, घोषणा के अंतर्गत आने वाले विषय और समय अवधि के संबंध में किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा;

(ग) ऐसी घोषणा के अंतर्गत किसी विषय और समय अवधि को अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन किसी अन्य कार्यवाही में पुनः चालू नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई व्यक्ति, जो अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश में पक्षकार है, प्रतिवाद नहीं करेगा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी ने इस स्कीम के अधीन उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी करके विवादित मुद्दे पर विनिश्चय में मौन स्वीकृति दे दी है;

(ख) किसी समय अवधि के लिए किसी विषय के संबंध में उन्मोचन प्रमाणपत्र का जारी किया जाना,—

(i) पश्चात्वर्ती समय अवधि के लिए उसी विषय के लिए; या

(ii) उसी समय अवधि के लिए किसी भिन्न विषय के लिए,

कारण बताओ सूचना जारी करने से निवारित नहीं करेगा।

(ग) स्वैच्छिक प्रकटन के मामले में, जहां घोषणा में दी गई कोई तात्त्विक विशिष्टि बाद में उन्मोचन प्रमाणपत्र के जारी होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर मिथ्या पाई जाती है, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि मानो घोषणा कभी भी नहीं की गई थी और लागू अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की जाएंगी।

स्कीम के निर्बंधन।

129. (1) इस स्कीम के अधीन संदत्त कोई रकम,—

(क) अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति या किसी अन्य अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय खाते के माध्यम से संदत्त नहीं की जा सकती है;

(ख) किन्हीं परिस्थितियों के अधीन प्रतिदेय नहीं होगी;

(ग) किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति या किसी अन्य अधिनियम के अधीन—

(i) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में नहीं ली जा सकती है; या

(ii) किसी व्यक्ति, को घोषणा के अंतर्गत आने वाले विषय और समयावधि के संबंध में उत्पाद-शुल्क्य माल या कराधेय सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में हकदार नहीं बना सकती है।

(2) यदि पहले से ही संदत्त पूर्व निक्षेप या अन्य निक्षेप, पदाभिहित समिति के विवरण में यथा उपदर्शित संदेय रकम से अधिक है, अंतर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

शंकाओं का दूर किया जाना।

130. शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि धारा 123 की उपधारा (1) में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, इस स्कीम में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह घोषणाकर्ता को उस विषय और समयावधि के सिवाय, जिनके संबंध में घोषणा की गई है,इन कार्यवाहियों से भिन्न किसी कार्यवाही में कोई फायदा, रियायत या उन्मुक्ति प्रदान करती है।

नियम बनाने की शक्ति।

131. (1) केंद्रीय सरकार, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बनाए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप, जिसमें कोई घोषणा की जा सकेगी और यह रीति, जिसमें ऐसी घोषणा का सत्यापन किया जा सकेगा;

(ख) पदाभिहित समिति के गठन की रीति और उसकी प्रक्रिया और कार्यकरण के नियम;

(ग) घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम के प्राक्कलन का प्ररूप और रीति और उससे संबंधित प्रक्रिया;

(घ) घोषणाकर्ता द्वारा संदाय करने का प्ररूप और रीति तथा अपील वापस लेने के संबंध में सूचना;

(ङ) ऐसे उन्मोचन प्रमाणपत्र का प्ररूप और रीति, जो घोषणाकर्ता को दिया जा सकेगा;

(च) वह रीति, जिसमें अनुदेश जारी और प्रकाशित किए जा सकेंगे;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।

(3) केंद्रीय सरकार, इस स्कीम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाए जाने के पचात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

132. (1) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, समय-समय पर, इस स्कीम के उचित प्रशासन के लिए प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे और ऐसे प्राधिकारी तथा इस स्कीम के निष्पादन में नियोजित सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों और निदेशों का पालन और अनुसरण करेंगे:

परंतु ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश जारी नहीं किए जाएंगे, जिससे किसी भी पदाभिहित प्राधिकारी से किसी विशिष्ट मामले का किसी विशिष्ट रीति से निपटारा करने की अपेक्षा की जाए:

परंतु यह और कि ऐसे किसी आदेश, अनुदेश या निदेश को पहले परंतुक के उल्लंघन करने के रूप में स्वप्रेरणा से चुनौती नहीं दी जाएगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह स्कीम के उचित और दक्ष प्रशासन तथा राजस्व के संग्रहण के प्रयोजन के लिए मामलों के किसी वर्ग की बाबत स्कीम के प्रशासन और राजस्व के संग्रहण से संबंधित कार्य में प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के बारे में निदेश या अनुदेश वर्णित करते हुए साधारण या विशेष आदेश, समय-समय पर जारी कर सकेगा और यदि उक्त बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो ऐसा आदेश विहित रीति से प्रकाशित किया जा सकेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

133. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश, ऐसी तारीख से, जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अधिकारियों को संरक्षण।

134. (1) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध इस स्कीम या इसके अधीन बनाए गए नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या करने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी।

(2) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध इस स्कीम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए वाद से भिन्न कोई कार्यवाही केंद्रीय सरकार या ऐसे अधिकारी को कार्यवाही और उसके कारण की लिखित में एक मास पूर्व की सूचना दिए बिना या ऐसे कारण के उद्भूत होने से तीन मास के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी।

(3) किसी भी अधिकारी के विरुद्ध घोषणाकर्ता द्वारा संदेय शुल्क की रकम की संगणना में किसी त्रुटि के बाद में पता चलने के आधार पर कोई कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी, जब तक किसी कदाचार का कोई सबूत न हो।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

135. इस भाग के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 45झक का संशोधन।

136. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 45झक की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— 1934 का 2

"(ख) उसके पास पच्चीस लाख रुपए या एक अरब रुपए से अनधिक ऐसी रकम की निधि है, जो बैंक, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परंतु बैंक, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शुद्ध स्वामित्वाधीन विभिन्न रकमें अधिसूचित कर सकेगा ।"।

नई धारा 45झघ और धारा 45झङ का अंतःस्थापन।

137. मूल अधिनियम की धारा 45झग के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

रिजर्व बैंक की निदेशकों को पद से हटाने की शक्ति।

"45झघ. (1) जहां बैंक का लोक हित में या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, जिसके कार्यकलाप निक्षेपकर्ताओं/लेनदारों के हित/वित्तीय स्थायित्व के प्रति हानिकर रीति में संचालित किए जा रहे हों, को रोकने के लिए या ऐसी किसी कंपनी के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो बैंक, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, आदेश द्वारा, सरकार के स्वामित्वाधीन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनी के निदेशक (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) को आदेश द्वारा, उस तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद से हटा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध निदेशक को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध बैंक को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता :

परंतु यदि बैंक की राय में कोई विलंब उस कंपनी या इसके निक्षेपकर्ताओं के हित पर हानिकर होगा तो बैंक पूर्वोक्त अवसर देने के समय या तत्पश्चात् किसी भी समय आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि पूर्वोक्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार किए जाने के लंबित रहने तक, निदेशक ऐसे आदेश की तारीख से,—

(क) उस कंपनी के ऐसे निदेशक (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के रूप में कार्य नहीं करेगा;

(ख) वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस कंपनी के प्रबंधन से किसी भी रूप में संबंधित नहीं होगा या उसमें भाग नहीं लेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कंपनी के निदेशक के संबंध में कोई आदेश किया गया है वहां वह गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक के रूप में नहीं रहेगा और किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के प्रबंध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी रूप में ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में एक बार में विनिर्दिष्ट पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी, संबद्ध नहीं रहेगा या उसमें भाग नहीं लेगा ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया गया है वहां बैंक लिखित में आदेश द्वारा ऐसे निदेशक के स्थान पर, जिसे उस धारा के अधीन उसके पद से हटा दिया गया है, ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति,—

(क) बैंक के प्रसादपर्यंत और तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या ऐसी और अवधि, जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी, उसके अधीन रहते हुए पद धारण करेगा;

(ख) निदेशक के रूप में उसके पद या उसके संबंध में कर्तव्यों के निष्पादन में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात या न की गई किसी बात के कारण ही कोई बाध्यता या दायित्व उपगत नहीं करेगा ।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी संविदा ज्ञापन या संगम के अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी निदेशक को पद से हटाए जाने पर, वह निदेशक पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (सरकारी कंपनी से भिन्न) के निदेशक-मंडल का अधिक्रमण ।

45झङ (1) जहां बैंक का लोकहित में या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (सरकारी वित्तीय कंपनी से भिन्न) के लेनदारों/जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर रीति से संचालित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को कार्यों के निवारण हेतु या वित्तीय स्थिरता या ऐसी कंपनी के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक है, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करते हुए, बैंक, आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के निदेशक-मंडल को पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा, यद्यपि ऐसी कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, अतिष्ठित कर सकेगा ।

(2) बैंक, उपधारा (1) के अधीन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक-मंडल के अधिक्रमण पर, किसी उपयुक्त व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए, जो विनिश्चित की जाए, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(3) बैंक, प्रशासन को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे और प्रशासक ऐसे निदेशों का अनुसरण करने के लिए बाध्य होगा ।

(4) गैर-बैंककारी कंपनी के निदेशक-मंडल के अधिक्रमण का आदेश दिए जाने पर,—

(क) निदेशक-मंडल के अधिक्रमण की तारीख से अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक अपने पदों को रिक्त कर देंगे;

(ख) सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक-मंडल द्वारा या ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा पारित संकल्प द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाता है, जब तक ऐसी कंपनी के प्रबंध-मंडल का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रशासक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा ।

(5)(क) रिजर्व बैंक, प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए तीन या अधिक ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास विधि, वित्त, बैंककारी, प्रशासन या लेखाकर्म का अनुभव हो, को मिलाकर एक समिति गठित कर सकेगा।

(ख) समिति ऐसे समयों और स्थानों पर सभा करेगी और प्रक्रिया के ऐसे नियमों को अपनाएगी, जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(6) बैंक द्वारा गठित समिति के सदस्यों और प्रशासक के वेतन और भत्ते वे होंगे, जैसा बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और संबंधित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा संदेय होंगे ।

(7) उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश में यथाविनिर्दिष्ट निदेशक मंडल के अधिक्रमण की अवधि के अवसान पर और उसके पहले गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का प्रशासक, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन को सुकर बनाएगा ।

(8) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उसके पद की समाप्ति या हानि के लिए किसी प्रतिकर के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(9) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रशासक, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक-मंडल के पुनर्गठन के तुरंत पश्चात् अपने पद को रिक्त करेगा ।''।

138. मूल अधिनियम की धारा 45डक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 45डकक का अंतःस्थापन ।

''45डकक. यदि कोई लेखापरीक्षक धारा 45डक के अधीन बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या दिए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो बैंक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है, एक ही समय पर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए विनियमित अस्तित्व के लेखापरीक्षक के रूप में कर्तव्यों का प्रयोग कर रहे किसी लेखापरीक्षक को हटा सकेगा या विवर्जित कर सकेगा ।''। लेखापरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति ।

139. मूल अधिनियम की धारा 45डख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 45डखक का अंतःस्थापन ।

'45डखक. (1) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक, यदि किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की बहियों के निरीक्षण पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित या वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को जारी रखने में समर्थ बनाने के लिए वित्तीय स्थायित्व के हित में है, स्कीमें बना सकेगा जो निम्नलिखित किसी एक या अधिक के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :— गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का समाधान ।

(क) किसी अन्य गैर-बैंककारी संस्था के साथ समामेलन;

(ख) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का पुनर्निर्माण;

(ग) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का विभिन्न इकाइयों या संस्थाओं में विभाजन और उस गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, जो वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण है, में क्रियाकलापों की निरंतरता को परिरक्षित करने के लिए पृथक् इकाइयों या संस्थाओं में व्यवहार्य और अव्यवहार्य कारबारों में निहित करना और ऐसे प्रयोजन के लिए 'सेतु संस्थाओं' के नाम से ज्ञात संस्थाएं स्थापित करना ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''सेतु संस्थाओं'' से इस उपधारा में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन अस्थायी सांस्थानिक ठहराव अभिप्रेत है, जिसे गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को परिरक्षित करने के लिए किया गया है ।

(2) उपरोक्त उपबंध की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी—

(क) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंधन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी के वेतन और भत्तों में कमी;

(ख) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंधन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी या उनके नातेदारों द्वारा धारित सभी या कुछ शेयरों को रद्द करना;

(ग) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की किसी आस्ति का विक्रय ।

(3) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंधन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या कोई अन्य अधिकारी, जिनके वेतन और भत्तों में कमी की गई या शेयर धारक, जिनके शेयर स्कीम के अधीन रद्द किए गए हैं, किसी प्रतिकर के लिए हकदार नहीं होंगे ।'।

नई धारा 45ढकक का अंतःस्थापन ।

140. मूल अधिनियम की धारा 45ढक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

समूह कंपनियों की बाबत शक्ति ।

"45ढकक. (1) बैंक किसी भी समय किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को ऐसे समय के भीतर और ऐसे अंतरालों पर, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की किसी समूह कंपनी को कारबार या मामलों से संबंधित ऐसे विवरण या जानकारी, जैसा बैंक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राप्त करना आवश्यक या समीचीन समझे, अपने वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न करके या पृथक् रूप से इसे प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बैंक, किसी भी समय, किसी बैंककारी वित्तीय कंपनी की किसी समूह कंपनी और इसके लेखा खातों का निरीक्षण या लेखा परीक्षा करवा सकेगा। 2013 का 18

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "समूह कंपनी" से निम्नलिखित किसी संबंध के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या अधिक अस्तित्वों की कोई व्यवस्था अभिप्रेत है :—

(i) समनुषंगी — मूल (लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक द्वारा यथा अधिसूचित);

(ii) संयुक्त जोखिम (लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक द्वारा यथा अधिसूचित);

(iii) सहबद्ध (लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक द्वारा यथा अधिसूचित);

(iv) संप्रवर्तक- प्रोन्नत व्यक्ति (सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियमों के अधीन); 1992 का 15

(v) संबंधित पक्षकार ;

(vi) सामान्य ब्रांड नाम (किसी अस्तित्व के रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम का किसी अन्य अस्तित्व द्वारा कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग); और

(vii) किसी अस्तित्व में बीस प्रतिशत या उससे अधिक के साम्य शेयरों में विनिधान;

(ख) "लेखांकन मानक" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210क की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानक अभिप्रेत है ।'। 2013 का 18 1956 का 1

धारा 58ख का संशोधन ।

141. मूल अधिनियम की धारा 58ख में,—

(i) उपधारा (2) में, "दो हजार रुपए" और "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "एक लाख रुपए" और "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4क) में, "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (4कक) में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (4ककक) में, "पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपधारा (5) में,—

(अ) खंड (क) में, "कोई निक्षेप" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए बिना कोई निक्षेप" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) में, "धारा 45ढक" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 45ञ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(vi) उपधारा (6) में, "दो हजार रुपए" और "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "एक लाख रुपए" और "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 58छ का संशोधन ।

142. मूल अधिनियम की धारा 58छ में, उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (क) में "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस हजार" शब्द रखे जाएंगें;

(आ) खंड (ख) में, "पांच लाख" और, "पच्चीस हजार" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "दस लाख" और "एक लाख" शब्द रखे जाएंगें।

भाग 2

बीमा अधिनियम, 1938 का संशोधन

1938 के अधिनियम संख्यांक 4 का संशोधन

143. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

2005 का 28

"(3) कोई बीमाकर्ता, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी शाखा के माध्यम से पुनःबीमा कारबार में लगी विदेशी कंपनी है, तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी, जब तक उसकी शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि कम से कम दस अरब रुपए न हो ।"।

भाग 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ

144. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1956 के अधिनियम संख्यांक 42 का संशोधन।

145. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23क के खंड (क) में, "रिपोर्ट किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज को देने की अपेक्षा की जाती है, उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करार या शर्तों या उपविधियों में उनके लिए विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "रिपोर्ट किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज यो बोर्ड को देने की अपेक्षा की जाती है, उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करार या शर्तों या उपविधियों या अधिनियम अथवा तदधीन बनाए गए नियमों में उनके लिए विनिर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 4

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ

146. इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1970 के अधिनियम संख्याक 5 का संशोधन

147. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) पांच से अनधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, नियुक्त किए जाएंगे :

परन्तु केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस प्रकार नियुक्त किसी पूर्णकालिक निदेशक को किसी भी अन्य तत्स्थानी नए बैंक में तैनात कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "तत्स्थानी नया बैंक" पद के अन्तर्गत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित "तत्स्थानी नया बैंक" है;"।

1980 का 40

भाग 5

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का संशोधन

1972 के अधिनियम संख्यांक 57 का संशोधन

148. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (2) में, "केवल चार कंपनियां ही" शब्दों के स्थान पर "कंपनियों की संख्या चार तक ही" शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 6

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

149. इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1980 के अधिनियम संख्याक 40 का संशोधन

150. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) पांच से अनधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, नियुक्त किए जाएंगे :

परन्तु केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस प्रकार नियुक्त किसी पूर्णकालिक निदेशक को किसी भी अन्य तत्स्थानी नए बैंक में तैनात कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "तत्स्थानी नया बैंक" पद के अन्तर्गत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खंड (घ) में यथापारिभाषित "तत्स्थानी नया बैंक" है;"। 1970 का 5

भाग 7

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

151. इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अध्याय 5 के शीर्ष का संशोधन ।

152. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 5 में, शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :— 1987 का 53

"आवास वित्त संस्थाओं से संबंधित उपबंध"; ।

धारा 29क का संशोधन ।

153. मूल अधिनियम की धारा 29क में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) इस अध्याय में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है, निम्नलिखित के बिना किसी आवास वित्त को अपने मुख्य कारबार के रूप में प्रारंभ नहीं करेगी या आवास वित्त को अपने मुख्य कारबार के रूप में नहीं चलाएगी;—

(क) इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना; और

(ख) दस करोड़ रुपए या ऐसी अन्य उच्चतर रकम, जो रिजर्व बैंक समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, की शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि रखे बिना ।

(2) प्रत्येक ऐसी आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है, जो ऐसे प्ररूप में, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रिजर्व बैंक को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी :

परंतु किसी आवास वित्त संस्था द्वारा, जो कोई कंपनी है, राष्ट्रीय आवास बैंक को किया गया आवेदन, जो वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2019 के अध्याय 6 के भाग 7 के प्रारंभ होने की तारीख को राष्ट्रीय आवास बैंक के पास विचारार्थ लंबित है, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित कर दिया जाएगा और तदुपरांत आवेदन इस उपधारा के उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा और उसका निपटान तदनुसार किया जाएगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध ऐसी आवास वित्त संस्था को लागू नहीं होंगे, जो कोई कंपनी है और जिसके पास वित्त (सं02) अधिनियम, 2019 के अध्याय 6 के भाग 7 के प्रारंभ होने की तारीख को उपधारा (5) के अधीन अनुदत्त विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है और ऐसी आवास वित्त संस्था को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया समझा जाएगा ।";

(ख) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) दोनों स्थानों पर "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा :—

"परंतु रिजर्व बैंक, जब वह ऐसा करना आवश्यक समझे, राष्ट्रीय आवास बैंक से ऐसी आवास वित्तीय संस्था की लेखा बहियों का निरीक्षण करने की और रिजर्व बैंक को आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।";

(घ) उपधारा (5) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (6) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (iv) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) पहले परंतुक में,—

(अ) दोनों स्थानों पर "आवास वित्त संस्था" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) दोनों स्थानों पर "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (7) में,—

(i) "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में,—

(अ) खंड (I) के उपखंड (ख) की मद (1) में, उपमद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(iii) सभी अन्य आवास वित्त कंपनियां; और"

(आ) खंड (II) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(II) "समनुषंगियों" और "उसी समूह की कंपनियों" का वही अर्थ है जो उनका कंपनी अधिनियम, 2013 में है :

2013 का 18

परंतु राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उसी समूह में समझी जाने वाली कंपनियों को विनिर्दिष्ट करेगा ।'।

धारा 29ख का संशोधन ।

154. मूल अधिनियम की धारा 29ख में,—

(i) "आवास वित्त संस्था" शब्दों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) में, "ऐसे उच्चतर प्रतिशत, जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हों, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे," शब्दों के स्थान पर "ऐसे उच्चतर प्रतिशत, जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हों, जिसे रिजर्व बैंक, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे," शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (3) में दोनों स्थान पर, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29ग का संशोधन ।

155. मूल अधिनियम की धारा 29ग की उपधारा (2) में,—

(क) "राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए," शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए," शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को" शब्दों के स्थान पर "रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक को" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) परंतुक में "परंतु राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "परंतु राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (3) में "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 30 का प्रतिस्थापन ।

156. मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"30. यदि रिजर्व बैंक लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा,—

धन के निक्षेप की याचना करने वाले प्रास्पेक्टस या विज्ञापन का रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन या प्रतिषेध।

(क) जनता से धन के निक्षेपों की याचना करने वाले किसी प्रास्पेक्टस या विज्ञापन के किसी आवास वित्त संस्था जो कंपनी है, द्वारा निकाले जाने का विनियमन या प्रतिषेध कर सकेगा; और

(ख) वे शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन पर कोई ऐसा प्रोस्पेक्टस या विज्ञापन उस दशा में, जिसमें कि उसका निकाला जाना प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, निकाला जा सकेगा ।''।

धारा 30क का प्रतिस्थापन ।

157. मूल अधिनियम की धारा 30क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

नीति निर्धारित करने और निदेश जारी करने की रिजर्व बैंक की शक्ति ।

"30क. (1) यदि रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या देश की आवास वित्त प्रणाली को इसके फायदे के लिए विनियमित करने के लिए या किसी आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, के ऐसे कार्यकलापों को निवारित करने के लिए, जिनका संचालन ऐसी रीति से किया जा रहा है, जो निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकर है या ऐसी रीति से किया जा रहा है जो आवास वित्त संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, नीति का निर्धारण कर सकेगा और सभी आवास वित्त संस्थाओं या उनमें से किसी की आय, मान्यता, लेखा मानकों, डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए समुचित उपबंध करने, आस्तियों के लिए जोखिम भार पर आधारित पूंजी पर्याप्तता तथा इतर तुलन-पत्र मदों के लिए प्रत्यय संपरिवर्तन कारकों के संबंध में और, यथास्थिति, किसी आवास वित्त संस्था या किसी वर्ग की आवास वित्त संस्था या साधारणतया आवास वित्त संस्थाओं द्वारा निधियों के अभिनियोजन के संबंध में भी निदेश दे सकेगा और ऐसी आवास वित्त संस्थाएं इस प्रकार अवधारित नीति और इस प्रकार जारी किए गए निदेशों का अनुसरण करने के लिए आबद्ध होंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक, आवास वित्त संस्थाओं को, जो कंपनियां हैं, साधारणतया या किसी समूह की आवास वित्त संस्थाओं को अथवा आवास वित्त संस्थाओं को विशिष्टतया निम्नलिखित के बारे में निदेश दे सकेगा :—

(क) वह प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम या अन्य निधि आधारित या निधि इतर आधारित सौकर्य नहीं किया जा सकेगा; और

(ख) वह अधिकतम रकम, जिसके अग्रिम या अन्य वित्तीय सौकर्य या शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के विनिधान जो, गैर आवास वित्त संस्था की समादत्त पूंजी, आरक्षितियों और निक्षेपों को तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उस आवास वित्त संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या कंपनियों के किसी समूह के लिए किए जा सकेंगे ।

(3) रिजर्व बैंक यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, आवास वित्त संस्थाओं, जो कंपनियां हैं, जो धारा 31 में निर्दिष्ट निक्षेप या तो साधारणतया या ऐसी आवास वित्त संस्थाओं के समूह, जो निक्षेप स्वीकार कर रहे हैं और विशिष्टतया उनसे संबंधित या उससे संबद्ध किसी विषय में निक्षेपों की प्राप्ति, जिसके अंतर्गत आवास वित्त संस्था, जो निक्षेप स्वीकार करने वाली कंपनी है, की क्रेडिट रेटिंग, ऐसे निक्षेपों पर संदेय ब्याज दर और वह अवधि, जिनके लिए निक्षेप स्वीकार किए जा सकेंगे, के लिए निदेश जारी कर सकेगा ।"।

(4) यदि निक्षेप प्रतिगृहित करने वाली कोई आवास वित्तीय संस्था, जो कोई कंपनी है, उपधारा (3) के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो रिजर्व बैंक उस आवास वित्त संस्था द्वारा निक्षेप स्वीकार करने को प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

धारा 31 का प्रतिस्थापन ।

158. मूल अधिनियम की धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

राष्ट्रीय आवास बैंक की आवास वित्त संस्थाओं से निक्षेपों के संबंध में जानकारी संगृहीत करने की शक्ति।

"31. (1) राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी समय यह निदेश दे सकेगा कि निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली प्रत्येक आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, उस आवास वित्त संस्था द्वारा प्राप्त निक्षेपों से संबंधित या संसक्त ऐसे कथन, ऐसी जानकारी या विशिष्टियां राष्ट्रीय आवास बैंक को, ऐसे प्ररूप में, ऐसे अंतरालों पर, और इतने समय के भीतर दे, जो राष्ट्रीय आवास बैंक ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट किया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कथन, जानकारी या विशिष्टियां, जो उपधारा (1) के अधीन दी जानी हैं, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय से संबंधित हो सकेंगी, अर्थात् निक्षेपों की रकम, वे प्रयोजन और अवधियां जिनके लिए तथा ब्याज की वे दरें और अन्य निबंधन और शर्तें, जिन पर ऐसे निक्षेप, प्राप्त किए जाते हैं ।

(3) निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली प्रत्येक आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यह अपेक्षा की जाने पर, तथा उतने समय के भीतर जितना राष्ट्रीय आवास बैंक विनिर्दिष्ट करे, अपने वार्षिक तुलनपत्र की तथा लाभ-हानि लेखा की या अन्य वार्षिक लेखाओं की, उस रूप में, जिसमें कि वे उस वर्ष के अंतिम दिन हैं जिससे लेखा संबंधित है, एक प्रति अपने खर्चे पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को भिजवाएगी, जिससे उनके पास उतनी राशि से अधिक के निक्षेप हैं जितनी राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है ।"।

धारा 32 का प्रतिस्थापन ।

159. मूल अधिनियम की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

आवास वित्त संस्थाओं का इस अध्याय के अधीन विवरण, आदि प्रस्तुत करने का कर्तव्य ।

"32. प्रत्येक आवास वित्तीय संस्था, जो कंपनी है, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा मांगा गया विवरण, सूचना या विशिष्टियां प्रस्तुत करेगी और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसे दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करेगी ।"।

160. मूल अधिनियम की धारा 33 में,— धारा 33 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "आवास वित्त संस्था" शब्द, जहां-कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है," शब्द रखे जाएंगे;

(ii) दोनों स्थानों पर "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1क) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) में, दोनों स्थानों पर "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (3) में, "किसी भी समय आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा" शब्दों से पहले "और रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए निदेश दिए जाने पर" शब्द रखे जाएंगे ।

161. मूल अधिनियम की धारा 33क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 33क का प्रतिस्थापन ।

33क. (1) यदि कोई आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है, किसी धारा के उपबंधों का अतिक्रमण करती है या इस अध्याय के उपबंधों में से किसी के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या आदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है तो रिजर्व बैंक, आवास वित्त संस्था को किसी निक्षेप का प्रतिग्रहण करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा । निक्षेप स्वीकार करने और आस्तियों के अन्य संक्रामण को प्रतिषिद्ध करने की रिजर्व बैंक की शक्ति ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी करार या लिखत या किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में या निक्षेपकों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसी आवास वित्त संस्था का, जिसके विरुद्ध निक्षेप का प्रतिग्रहण करने से प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी किया गया है, यह निदेश दे सकेगा कि वह अपनी संपत्ति और आस्तियों का राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी अवधि तक, जो आदेश की तारीख से छह मास से अधिक न हो, विक्रय, अंतरण न करे, उनको भारित या बंधक न करे या उनके संबंध में किसी भी रीति से व्यौहार न करे ।''।

162. मूल अधिनियम की धारा 33ख में,— धारा 33ख का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के खंड (ग) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में, "कंपनी का रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "कंपनी का रजिस्ट्रार और रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

163. मूल अधिनियम की धारा 34 में,— धारा 34 का संशोधन ।

(i) "किसी भी समय" शब्दों के पश्चात् "और रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए निदेश दिए जाने पर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) दोनों स्थानों पर, "निक्षेपों को स्वीकार करने वाली आवास वित्त संस्था" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) राष्ट्रीय आवास बैंक उपधारा (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।"।

164. मूल अधिनियम की धारा 35 में,— धारा 35 का संशोधन ।

(i) "कोई व्यक्ति किसी आवास वित्त संस्था की ओर से याचना नहीं करेगा" शब्दों के स्थान पर, "कोई व्यक्ति किसी आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है, की ओर से याचना नहीं करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, " राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर " रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

165. मूल अधिनियम की धारा 35क में,— धारा 35क का संशोधन ।

(क) " आवास वित्त संस्था" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, " आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) " राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, " , यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35ख का प्रतिस्थापन

166. मूल अधिनियम की धारा 35ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

किसी आवास वित्त संस्था को छूट देने की रिजर्व बैंक की शक्ति ।

" 35ख. (1) रिजर्व बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि इस अध्याय का कोई या सभी उपबंधी, किसी आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है या ऐसी आवास वित्त संस्थाओं का समूह है, को साधारणतया अथवा ऐसी किसी अवधि के लिए, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी शर्तों, परिसीमाओं या निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, लागू नहीं होंगे ।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र रखी जाएगी ।

धारा 44 का संशोधन ।

167. मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में, दोनों स्थानों पर, " राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, " , यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 46 का संशोधन ।

168. मूल अधिनियम की धारा 46 में, " राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, " राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 49 का संशोधन ।

169. मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(क) उपधारा (2ख) में, " राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, " राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2ग) में, " किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश" शब्दों के स्थान पर, " राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) के खंड (कक) में, " राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, " राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 51 का संशोधन ।

170. मूल अधिनियम की धारा 51 में " राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, " राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 52क का प्रतिस्थापन ।

171. मूल अधिनियम की धारा 52क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

जुर्माना अधिरोपित करने की राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक की शक्ति ।

" 52क. (1) धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, यदि उस धारा में उल्लिखित प्रकृति का कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम ऐसी आवास वित्त संस्था द्वारा किया जाता है जो कंपनी है, तो, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, ऐसी कंपनी पर—

(क) पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(ख) जहां उल्लंघन या व्यतिक्रम उस धारा की उपधारा (2क) या उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (कक) के अधीन हो वहां पांच लाख रुपए से अनधिक की या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में, जहां रकम अनुमान्य है, अंतर्वलित रकम के दोगुने की, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहने वाला है वहां प्रथम शास्ति के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक की शास्ति और अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है, पर सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों न की जाए और ऐसी आवास वित्त संस्था को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति, उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा धनराशि के संदाय की मांग करते हुए जारी की गई सूचना की आवास वित्त संस्था पर तामील की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और आवास वित्त संस्था के, ऐसी अवधि के भीतर उस धनराशि का संदाय करने में, असफल रहने की दशा में, उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश पर जहां आवास वित्त संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय स्थित है, शास्ति उद्गृहीत की जा सकेगी :

परन्तु प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निदेश इस निमित्त प्राधिकृत, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(4) उपधारा (3) के अधीन निदेश जारी करने वाला न्यायालय, आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, द्वारा संदेय धनराशि को विनिर्दिष्ट करने वाला एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा, मानो वह किसी सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो ।

(5) ऐसे किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में जिसकी बाबत इस धारा के अधीन, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, किसी आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, के विरुद्ध कोई भी परिवाद किसी न्यायालय में फाइल नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां धारा 49 में निर्दिष्ट प्रकृति के उल्लंघन या व्यतिक्रम की बाबत किसी न्यायालय में आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है, के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उस आवास वित्त संस्था के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने के लिए कोई कार्यवाही इस धारा के अधीन नहीं की जाएगी ।''।

भाग 8

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 का संशोधन

1988 का 45

धारा 23 का संशोधन ।

172. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 नवंबर, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण— शांकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी प्रारंभक अधिकारी द्वारा धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस को लागू नहीं होगी और कभी भी लागू हुई नहीं समझी जाएगी ।''।

धारा 24 का संशोधन ।

173. मूल अधिनियम की धारा 24 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (3) में, '' उपधारा (1) के अधीन सूचना के जारी किए जाने की तारीख से'' शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, '' उस मास के अंतिम दिन से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की जाती है'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) में, '' उपधारा (1) के अधीन सूचना के जारी किए जाने की तारीख से'' शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, '' उस मास के अंतिम दिन से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की जाती है'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ग) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'' **स्पष्टीकरण—** इस धारा के प्रयोजन के लिए परिसीमा अवधि की संगणना में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा कार्यवाहियां रोक दी जाती हैं, छोड़ दी जाएगी :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि को छोड़े जाने के तुरंत पश्चात् प्रारंभक अधिकारी के पास कुर्की का आदेश पारित करने के लिए उपधारा (4) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि तीस दिन से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि को तीस दिन तक बढ़ा दिया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा अवधि को तद्नुसार बढ़ा हुआ समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां पूर्वोक्त अवधि को छोड़े जाने के तुरंत पश्चात् न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास कुर्की का आदेश निर्दिष्ट करने के लिए उपधारा (5) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि सात दिन से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि को सात दिन तक बढ़ा दिया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा अवधि को तद्नुसार बढ़ा हुआ समझा जाएगा ।''।

धारा 26 का संशोधन ।

174. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (7) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 सितंबर, 2019 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'' स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए परिसीमा अवधि की संगणना में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा कार्यवाहियां रोक दी जाती हैं, छोड़ दी जाएगी :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि को छोड़े जाने के तुरंत पश्चात् न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास आदेश पारित करने के लिए निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक बढ़ा दिया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा अवधि को तदनुसार बढ़ा हुआ समझा जाएगा ।''।

नई धारा 54क और धारा 54ख का अंतःस्थापन।

175. मूल अधिनियम की धारा 54 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 सितंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

सूचना की अनुपालना या इत्तिला देने में असफलता ।

''54क. (1) कोई व्यक्ति, जो—

(i) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन जारी किन्हीं समनों की अनुपालना करने में; या

(ii) धारा 21 के अधीन यथाअपेक्षित इत्तिला देने में,

असफल होता है, तो वह शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम या असफलता के लिए पच्चीस हजार रुपए का संदाय करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी शास्ति, उस प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी, जिसने समन जारी किया था या जिसने उसमें निर्दिष्ट इत्तिला देने की अपेक्षा की थी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश, प्राधिकारी द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित की जानी प्रस्तावित है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि ऐसे समन की अनुपालना करने या इत्तिला न दिए जाने के उपयुक्त और पर्याप्त कारण थे ।

अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत।

54ख. किसी प्राधिकारी की अभिरक्षा में अभिलेखों या दस्तावेजों की प्रविष्टियां, यथास्थिति, धारा 3 या इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन की किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्रहण की जाएंगी और ऐसी सभी प्रविष्टियों को या तो,—

(i) प्राधिकारी की अभिरक्षा में ऐसी प्रविष्टियों वाले अभिलेखों और दस्तावेजों को पेश करके; या

(ii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अभिरक्षा में अभिलेख या दस्तावेज हैं, और यह कथन करते हुए कि यह मूल प्रविष्टियों की सत्य प्रति है और यह कि ऐसी मूल प्रविष्टियां उसकी अभिरक्षा में के अभिलेख या दस्तावेजों में अंतर्विष्ट हैं, अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रविष्टियों की प्रति पेश करके साबित की जा सकेंगी ।''।

धारा 55 का संशोधन ।

176. मूल अधिनियम की धारा 55 में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(i) " बोर्ड" शब्द के स्थान पर, " सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण—** इस धारा के प्रयोजन के लिए, " सक्षम प्राधिकारी" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (16), खंड (21), खंड (34ख) और खंड (34ग) में क्रमशः परिभाषित कोई आयुक्त, निदेशक, प्रधान आय-कर आयुक्त या कोई प्रधान आय-कर निदेशक अभिप्रेत है ।'। 1961 का 43

भाग 9

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

177. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 14 का संशोधन।

178. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 14 में,— 1992 का 15

(i) उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) बोर्ड और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक पूंजी व्यय योजना के अनुसार पूंजी व्यय ।";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) बोर्ड एक आरक्षित निधि का गठन करेगा और किसी वर्ष की साधारण निधि के वार्षिक अधिशेष के पच्चीस प्रतिशत को ऐसी आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा और ऐसी निधि, पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के वार्षिक व्ययों के योग से अधिक नहीं होगी ।

(4) उपधारा (2) में उल्लिखित सभी व्ययों को उपगत करने और उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट आरक्षित निधि को अंतरण करने के पश्चात्, निधि के अधिशेष को भारत की संचित निधि को अंतरित किया जाएगा ।"।

धारा 15ग का संशोधन

179. मूल अधिनियम की धारा 15ग में, "बोर्ड द्वारा लिखित रूप में मांग किए जाने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "बोर्ड द्वारा लिखित रूप में मांग, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक सूचना के किसी साधन द्वारा की गई मांग भी है, किए जाने के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15च का संशोधन

180. मूल अधिनियम की धारा 15च के खंड (क) में, "जो एक लाख रूपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस रकम तक की हो सकेगी," शब्दों के स्थान पर, "जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 15जकक का अंतःस्थापन।

181. मूल अधिनियम की धारा 15जक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'15जकक. यदि कोई व्यक्ति, जो,—

बोर्ड के अभिलेखों में परिवर्तन, उन्हें नष्ट करने, आदि के लिए और इलैक्ट्रानिक डाटा बैस के संरक्षण में असफलता के लिए शास्ति।

(क) जानबूझकर किसी ऐसी जानकारी, अभिलेख, दस्तावेज (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं) , जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अपेक्षित है, में कोई परिवर्तन करता है, उसे नष्ट करता है, विकृत करता है, उसे छिपाता है, उसे मिथ्या ठहराता है या उसमें कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, जिससे बोर्ड की अधिकारिता के भीतर किसी विषय को बाधित करता है, उसमें रुकावट डालता है या किसी अन्वेषण, जांच, संपरीक्षा, निरीक्षण या उसके समुचित प्रशासन को प्रभावित करता है ;

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में उस दशा में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी जानकारी, अभिलेख या दस्तावेज को परिवर्तित किया है, उसे छिपाया या नष्ट किया है, जब वह जानबूझकर बोर्ड को विषय के संबंध में तुरंत रिपोर्ट करने में असफल रहता है या उस समय तक उसका परिरक्षण करने में असफल रहता है, जब तक ऐसी जानकारी किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, संपरीक्षा, निरीक्षण या कार्यवाही के लिए सुसंगत बनी रहती है, जिसे बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो और जब तक उसे पूरा न कर दिया जाए ;

(ख) ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए बिना, डाटाबेस में विनियामक डाटा तक पहुंच बनाता है या पहुंच बनाने का प्रयास करता है या पहुंच को रोकता है या पहुंच संबंधी पैरामीटरों को उपांतरित करता है ;

(ग) ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए बिना, सिस्टम डाटाबेस में अनुरक्षित रखे गए विनियामक डाटा को डाउनलोड करता है, उससे उद्धरण लेता है, उसकी प्रतिलिपियां लेता है या उसे किसी रूप में पुनःउद्धृत करता है ;

(घ) जानबूझकर सिस्टम डाटाबेस में कोई कंप्यूटर वायरस या कोई अन्य कंप्यूटर संदूषण को प्रविष्ट करता है या व्यापार को रोक देता है ;

(ङ) बिना किसी प्राधिकार के सिस्टम डाटाबेस के कार्यकरण में व्यवधान उत्पन्न करता है ;

(च) जानबूझकर सिस्टम डाटाबेस में के किसी विनियामक डाटा को क्षति पहुंचाता है, उसे नष्ट करता है, उसका विलोप करता है, उसमें परिवर्तन करता है, उसके मूल्य या उसकी उपयोगिता को कम करता है ; या

(छ) जानबूझकर ऊपर खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने में किसी व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराता है या उससे ऐसा कार्य करवाता है,

तो वह ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगी, किंतु जो अधिकतम दस करोड़ रुपए तक या ऐसे किसी कार्य से प्राप्त किए गए लाभ की रकम के तीन गुना तक की हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो, दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, ''कंप्यूटर संदूषण'', ''कंप्यूटर वायरस'' और ''क्षति पहुंचाने'' पदों का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 में क्रमशः उनका है ।'। 2000 का 21

भाग 10

केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000 का संशोधन

2000 का 54

182. केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) में,— धारा 10 का संशोधन

(क) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

" (iv) राज्य सड़क परियोजनाओं, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की परियोजनाएं भी हैं, के विकास और अनुरक्षण हेतु निधियों के आबंटन के लिए मानदंड तैयार करना;";

(ख) खंड (v) और खंड (vii) का लोप किया जाएगा ।

183. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 11 का संशोधन

" (1) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (iv) के अधीन तैयार किए गए मानदंड पर आधारित राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण पर खर्च किए जाने वाली निधि का अंश ऐसी रीति में आबंटित किया जाएगा, जैसा कि धारा 7क में निर्दिष्ट समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए।"।

184. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा; धारा 12 का संशोधन

भाग 11

वित्त अधिनियम, 2002 का संशोधन

185. वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में,—

(क) मद सं0 1 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, " दस रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी; 2002 के अधिनियम सं.20 का संशोधन ।

(ख) मद सं0 2 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, " चार रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी।

भाग 12

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

2002 का 58

186. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, ''31 मार्च, 2019'' अंकों और शब्द के स्थान पर, " 31 मार्च, 2021" अंक और शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2019 से रखे गए समझे जाएंगे । 2002 के अधिनियम संख्यांक 58 का संशोधन ।

भाग 13

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

187. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ढ) के उपखंड (i) में " उप दलाल" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (धक) के उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ii) " रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण महानिदेशक जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए";'।

धारा 12क का संशोधन ।

188. मूल अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) में " धारा 12 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर " धारा 11क, धारा 12 की उपधारा (1), धारा 12कक की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

नई धारा 12कक का अंतःस्थापन ।

189. मूल अधिनियम की धारा 12क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वर्धित सम्यक तत्परता।

"12कक. (1) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, प्रत्येक विनिर्दिष्ट संव्यवहार प्रारंभ करने से पूर्व,—

(क) ऐसा विनिर्दिष्ट संव्यवहार करने से पूर्व ग्राहकों की पहचान का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणन करेगा;

(ख) स्वामित्व और वित्तीय स्थिति, जिसके अंतर्गत ग्राहक की निधियों का स्रोत है, की जांच करने के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अतिरिक्त उपाय करेगा;

(ग) विनिर्दिष्ट संव्यवहार संचालित करने के पीछे प्रयोजन को अभिलिखित करने और संव्यवहारकारी पक्षकारों के बीच आशयित संबंध के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा, जो विहित किए जाएं।

(2) जब ग्राहक उपधारा (1) में अधिकथित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है, रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व विनिर्दिष्ट संव्यवहार का किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा ।

(3) जब ग्राहक द्वारा किया जाने वाला विनिर्दिष्ट संव्यवहार या विनिर्दिष्ट संव्यवहारों की श्रृंखला को संदेहास्पद समझा जाता है या उसमें अपराध के आगमों के अंतर्वलित होने की संभावना है, रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ग्राहक के साथ कारबार संबंध की भावी मानीटरी को बढ़ा देगा, जिसके अंतर्गत और अधिक संवीक्षा या संव्यवहार की ऐसी रीति सम्मिलित है, जो विहित की जाएं ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए " अधिप्रमाणन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसे आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदे तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उपधारा (ग) में परिभाषित किया गया है । 2016 का 18

(4) उपधारा (1) के अधीन बढ़ी हुई सम्यक् तत्परता संबंधी उपायों को लागू करते समय अभिप्राप्त की गई जानकारी को, किसी ग्राहक और रिपोर्टिंग अस्तित्व के बीच संव्यवहार की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित रखा जाएगा ।''।

धारा 15 का संशोधन ।

190. मूल अधिनियम की धारा 15 में, " धारा 12 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर " धारा 11क, धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 12कक की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

नई धारा 72क का अंतःस्थापन ।

191. मूल अधिनियम की धारा 72 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अंतःमंत्रालयीय समन्वयन समिति ।

" 72क. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अंतःविभागीय और अंतः अभिकरण समन्वय हेतु एक 'अंतःमंत्रालयीय समन्वयन समिति' का गठन करेगी, अर्थात् :—

(क) सरकार, विधि प्रवर्तन अभिकरणों, भारतीय वित्तीय सतर्कता यूनिट और विनियामकों या पर्यवेक्षकों के बीच कार्यकरण संबंधी सहयोग;

(ख) सभी सुसंगत या सक्षम प्राधिकरणों के बीच नीति संबंधी सहयोग और समन्वय;

(ग) संबंधित प्राधिकारियों के बीच ऐसा परामर्श, वित्तीय सेक्टर और यथा उपयुक्त अन्य सेक्टरों, जो धन शोधन निवारण या आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने संबंधी विधियों, विनियमों और दिशानिर्देशों से संबंधित हैं, के बीच परामर्श;

(घ) धन शोधन निवारण या आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने संबंधी नीतियों का विकास और कार्यान्वयन; और

(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।''।

धारा 73 का संशोधन ।

192. मूल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (2) में, खंड (ञञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ञञक) वह रीति और शर्तें, जिनके अधीन धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रिपोर्टिंग अस्तित्वों द्वारा ग्राहकों की पहचान अधिप्रमाणित की जाएगी;

(ञञख) धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन ग्राहक के स्वामित्व और वित्तीय हैसियत की पहचान करने की रीति;

(ञञग) धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन संव्यवहार करने वाले पक्षकारों के बीच विनिर्दिष्ट संव्यवहार करने के पीछे का प्रयोजन और उनके बीच संबंधों की आशयित प्रकृति को लेखबद्ध करने के लिए अतिरिक्त उपाय;

(ञञघ) धारा 12कक की उपधारा (3) के अधीन भावी मानीटरी में अभिवृद्धि करने की रीति;''।

भाग 14

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

2004 के अधिनियम संख्यांक 23 का संशोधन।

193. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 99 में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(I) खंड (क) के उपखंड (ii) में, " तय की गई कीमत" शब्दों के स्थान पर, " अंतरस्थ मूल्य" शब्द रखे जाएंगे;

(II) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण—** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " अंतरस्थ मूल्य" पद से तय की गई कीमत और तय पाई जाने वाली (स्ट्राइक) कीमत के बीच का अंतर अभिप्रेत है ।'।

भाग 15

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का संशोधन

2007 के अधिनियम संख्यांक 51 का संशोधन।

194. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

बैंक इत्यादि द्वारा संदाय के इलेक्ट्रानिक ढंगों के उपयोग के लिए प्रभार अधिरोपित नहीं किया जाना ।

" 10क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई बैंक या प्रणाली प्रदाता, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 269धप के अधीन विहित इलैक्ट्रानिक संदाय के ढंगों का उपयोग करने के लिए किसी पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभार अधिरोपित नहीं करेगा ।"।

1961 का 43

भाग 16

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

2015 का 22

195. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 जुलाई, 2015 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(2) " निर्धारिती" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(क) जो पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम की धारा 6 के अर्थांतर्गत भारत में निवासी है;

(ख) जो पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थांतर्गत भारत में निवासी नहीं है या साधारण निवासी नहीं है किन्तु उस पूर्ववर्ष में भारत में निवासी था, जिससे धारा 4 में निर्दिष्ट आय संबंधित है; या उस पूर्ववर्ष में, जिसमें भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्ति अर्जित की गई है,

परन्तु भारत से बाहर अप्रकटित आस्ति के अर्जन की दशा में पूर्ववर्ष का अवधारण धारा 72 के खंड (ङ) के उपबंधों पर सकल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा;''।

धारा 10 का संशोधन ।

196. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(i) उपधारा (3) में, " निर्धारण" शब्द के पश्चात् " या पुनर्निर्धारण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जुलाई, 2015 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में, " निर्धारण" शब्द के पश्चात् " या पुनर्निर्धारण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जुलाई, 2015 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

197. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, " रद्द कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर, " रद्द कर सकेगा या शास्ति में अभिवृद्धि या कमी करने के लिए उसमें फेरफार कर सकेगा" शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे।

धारा 84 का संशोधन ।

198. मूल अधिनियम की धारा 84 में, " धारा 138," शब्द और अंकों के स्थान पर, " धारा 138, धारा 144क," शब्द, अंक और अक्षर 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे ।

भाग 17

वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन

धारा 187 का संशोधन ।

199. वित्त अधिनियम, 2016 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 187 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 2016 का 28

" परंतु जहां कर, उपकर और शास्ति का संदाय इस उपधारा के अधीन अधिसूचित देय तारीख के भीतर नहीं किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो उस तारीख, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, या उससे पहले ऐसी रकम, देय तारीख के ठीक पश्चात् प्रारंभ होने वाली और ऐसे संदाय की तारीख को समाप्त होने वाले प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ऐसी रकम पर ब्याज सहित संदाय कर सकेंगे ।"।

धारा 191 का संशोधन ।

200. मूल अधिनियम की धारा 191 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें इस स्कीम के अधीन कर, उपकर और शास्ति की संदेय रकम से अधिक रकम का संदाय प्रतिदेय होगा ।"।

भाग 18

वित्त अधिनियम, 2018 का संशोधन

2018 के अधिनियम संख्यांक 13 का संशोधन।

201. वित्त अधिनियम, 2018 की छठीं अनुसूची में, मद सं0 1 और मद सं0 2 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, " दस रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

निरसन

202. वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 2 का निरसन किया जाता है और यह कभी अधिनियमित नहीं की गई समझी जाएगी। 2019 का 7

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक की धारा 87 के खंड (क), धारा 90, धारा 185 और धारा 201 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे। 1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,12,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	10,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,10,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी,जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2016-17 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां पचास करोड़ रुपए से अधिक न हो	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय	कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त रायलल्टियों ; अथवा

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त	

	आय-कर की दर
किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) धारा 112क में निर्दि-ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में (एक लाख रुपए से अधिक की) अन्य आय पर, जो [धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर, जहां ऐसी रायल्टी, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति की रायल्टी नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(अं) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर, जहां ऐसी रायलटी, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति की रायल्टी नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार	10 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक की आय पर	10 प्रतिशत ;
(ओ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर, जहां ऐसी रायल्टी, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति की रायल्टी नहीं है]—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ix) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में ऐसी आय पर, जो एक लाख रुपये से अधिक है	10 प्रतिशत ;
(x) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(xi) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, --

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, —

(I) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रूपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(II) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(III) ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ; और

(IV) ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपये से अधिक है ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आयों का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आयों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखघक या धारा 115खखङ या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115ङ या धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,12,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	10,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,10,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, —

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

(ग) जिसकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से; और

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, —

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दो करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में, —

(i) जहां पूर्ववर्ष 2017-18 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है — कुल आय का 25 प्रतिशत;

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न — कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त रायल्टियों ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश सम्मिलित नहीं हैं।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से प्राप्त होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से प्राप्त होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में--

(क) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है, वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,--

(i) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(2) जहां निर्धारिती की, 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं।

दूसरी अनुसूची

[धारा 82(1) देखिए]

अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 423(अ), तारीख 1 जून, 2011 (46/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 जून, 2011)	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 443 पर, स्तंभ (2) में, "**3823** 11 90", अंकों के स्थान पर "**3823** 11 00" अंक रखे जाएंगे।	31 मार्च, 2017 से 14 सितंबर, 2017
सा.का.नि. 499(अ), तारीख 1 जुलाई, 2011 (53/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2011)	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 476 पर, स्तंभ (2) में, "**3823** 11 90", अंकों के स्थान पर "**3823** 11 00" अंक रखे जाएंगे।	31 मार्च, 2017 से 14 सितंबर, 2017
सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 (12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012)	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 230 और 230क पर, स्तंभ (2) में, "**3823** 11 90", अंकों के स्थान पर "**3823** 11 00" अंक रखे जाएंगे।	31 मार्च, 2017 से 30 जून, 2017

तीसरी अनुसूची

[धारा 83(1) देखिए]

अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 (50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017)	(i) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 251 और 252 पर के सामने स्तंभ (2) में, "**3823** 11 90", अंकों के स्थान पर "**3823** 11 00" अंक रखे जाएंगे ।	1 जुलाई, 2017 से 14 सितंबर, 2017

चौथी अनुसूची

[धारा 87(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) अध्याय 39 में, शीर्ष 3918 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 68 में, शीर्ष 6813 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 69 में, शीर्ष 6905 और 6907 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 70 में, शीर्ष 7009 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 71 में,—

(i) शीर्ष 7106, 7108, 7110 और 7112 की सभी टैरिफ मदों के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर 12.5% प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 7107 00 00, 7109 00 00 और 7111 00 00 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर 12.5% प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 83 में,—

(i) टैरिफ मद 8301 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8302 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 84 में,—

(i) टैरिफ मद 8415 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8421 23 00, 8421 31 00, 8421 39 20 और 8421 39 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 85 में,—

(i) टैरिफ मद 8512 10 00, 8512 20 10, 8512 20 20, 8512 20 90, 8512 30 10, 8512 30 90 और 8512 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8512 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8518 21 00 और 8518 22 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8521 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8525 80 10, 8525 80 20, 8525 80 30 और 8525 80 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 8539 10 00, 8539 21 20 और 8539 29 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 87 में, शीर्ष 8706 और 8707 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9001 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 98 में, टिप्पण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. शीर्ष 9804 को मुद्रित पुस्तकों को लागू नहीं होने के रूप में लिया जाएगा ।"।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 87(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में,—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 1 में, टैरिफ मद 0106 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- सरी सृप (जिसके अंतर्गत सर्प और कछुए हैं)";

(2) अध्याय 2 में,—

(i) शीर्ष 0201 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"गोकुलीय प्राणियों का मास, ताजा और द्रुतशीतित";

(ii) शीर्ष 0207 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"शीर्ष 0105 के कुक्कुट का मास और खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित";

(3) अध्याय 3 में, —

(i) शीर्ष 0303 में,—

(क) टैरिफ मद 0303 14 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "आकोरहाइनकर क्लार्की" शब्दों के स्थान पर, "आकोरहाइनकर क्लार्की" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 0303 19 00 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन सभी जातियां, पाइसियस केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, आस्टियो हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी मेगलोब्रोमा सभी जातियां)," शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस, केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, आस्टियो हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी मेगलोब्रामा सभी जातियां)," शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 0303 25 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में,—

(i) "साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस" शब्दों के स्थान पर, "साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "मेग्लोब्रोमा" शब्द के स्थान पर "मेग्लोब्रामा" शब्द रखा जाएगा ;

(घ) टैरिफ मद 0303 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "हिप्पोग्लोसाईडया", शब्द के स्थान पर, "हिप्पोग्लोसोइडे" शब्द रखा जाएगा ;

(ङ) टैरिफ मद 0303 49 00 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "स्केड(डेकाप्टस्स्प)", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "स्केड (डेकाप्टप्टीज्ञन सभी जातियां)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(च) टैरिफ मद 0303 59 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0303 59	- -	अन्यः			
0303 59 10	- - -	भारतीय माकरेल (रासट्रेल्लिगर सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 59 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(ii) शीर्ष 0304 में, टैरिफ मद 0304 42 00 और 0304 82 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "आकोरहाइनकस क्लार्कि" शब्दों के स्थान पर, "आकोरहाइनकर क्लार्की" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 0305 में,—

(क) टैरिफ मद 0305 32 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "इदूक्लिचथिडिए" शब्द के स्थान पर, "ईदूक्लिचथिडिए" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 0305 43 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "आकोरहाइनकस क्लार्की" शब्दों के स्थान पर, "आकोरहाइनकर क्लार्कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 0306 में, टैरिफ मद 0306 17 19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"0306 17 20	- - -	वन्नामेयी झींगा (लेटोपनाइस वन्नामेयी)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 17 30	- - -	भारतीय सफेद झींगा (फेन्नेरोपेनिसस इडिकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 17 40	- - -	काली टिगर झींगा (पेनियस मोनाडोन)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 17 50	- - -	फ्लावर झींगा (पेनियस सेमीसुलक्टस)	कि.ग्रा.	30%	-";

(v) शीर्ष 0308 में,—

(क) शीर्ष 0308 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "मोलस्क, जीवित, ताजा, शीतित, शुष्कित, लवणित या जलवण जल में रखी" शब्दों के स्थान पर, "मोलस्क, जीवित, ताजा, शीतित, द्रुतशीतित, शुष्कित, लवणित या जलवण जल में रखी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 0308 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"0308 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(4) अध्याय 4 के शीर्ष 0406 में,—

(i) टैरिफ मद 0406 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"- ताजा (अपक्व या असंसाधित) पनीर, जिसके अंतर्गत छेना पानी है और दही";

(ii) टैरिफ मद 0406 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"- प्रसंस्कृत पनीर, जो घर्षित या चूर्णित नहीं है";

(5) अध्याय 5 में, शीर्ष 0506 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "अजिलेटिवीकृत चूर्ण", शब्दों के स्थान पर, "अजिलेटिवीकृत ; चूर्ण" शब्द रखे जाएंगे ;

(6) अध्याय 7 में,—

(i) टिप्पण 2 में, "माजोराना हेर्टसिस", शब्दों के स्थान पर, "माजोराना होर्टसिस", शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 0705 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "लैक्टूकासैटाइल" शब्द के स्थान पर, "लैक्टूका सैटीवा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) टैरिफ मद 0709 93 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"0709 93	- -	कद्दू, स्कवैश और गुअर्डस (कुकुरबिता सभी जातियां):			
0709 93 10	- - -	कद्दू	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 20	- - -	स्कवैश	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 30	- - -	करेला	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 40	- - -	लौकी	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 50	- - -	चिचिंडा	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 60	- - -	कुंदरू	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	30%	20%";

(iv) टैरिफ मद 0709 99 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0709 99 30	- - -	ओकरा/भिंडी	कि.ग्रा.	30%	20%";

(v) टैरिफ मद 0713 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0713 10	-	मटर (पाइसम सेटाइवम):			
0713 10 10	- - -	सूखी मटर	कि.ग्रा.	50%	40%
0713 10 20	- - -	हरी मटर	कि.ग्रा.	50%	40%
0713 10 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	50%	40%";

(7) अध्याय 8 में,—

(i) टैरिफ मद 0804 50 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

		"- - - *आम, ताजा:*			
0804 50 21	- - - -	अल्फांजो (हापुस)	कि.ग्रा.	30%	20%

0804 50 22	- - - -बंगापाल्ली	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 23	- - - -चौसा	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 24	- - - -दसहरी	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 25	- - - -लंगडा	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 26	- - - -केसर	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 27	- - - -तोतापुरी	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 28	- - - -मल्लिका	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 29	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	30%	20%";

(ii) टैरिफ मद 0807 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0807 19	- - *अन्य:*			
0807 19 10	- - - खरबूजा	कि.ग्रा.	30%	20%
0807 19 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	30%	20%";

(iii) शीर्ष 0809 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "खुबानी और सोल्स" शब्दों के स्थान पर, "खुबानी और स्लोस" शब्द रखे जाएंगे ;

(8) अध्याय 9 में, उपशीर्ष 0906 19 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - *अन्य:";*			

(9) अध्याय 10 में, टैरिफ मद 1005 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1005 90	- *अन्य:*			
	- - - डेन्ट मक्का (जेया मायस वार. इनडेनटा):			
1005 90 11	- - - -पीला	कि.ग्रा.	60%	-
1005 90 19	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	60%	-
1005 90 20	- - - फल्टिं मक्का (जेया मायस वार. इनडरटा)	कि.ग्रा.	60%	-
1005 90 30	- - - पाप कार्न (जेया मायस वार. इवर्टा)	कि.ग्रा.	60%	-
1005 90 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	60%	-";

(10) अध्याय 11 में, टैरिफ मद 1102 90 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	"- - - *चावल का आटा :*			
1102 90 21	- - - -ब्राउनचावल का आटा	कि.ग्रा.	30%	-
1102 90 22	- - - -सफेद चावल का आटा	कि.ग्रा.	30%	-
1102 90 29	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(11) अध्याय 12 में, शीर्ष 1212 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "साइकोरियम इंटाइब्स सेटिवम" शब्दों के स्थान पर, "साइकोरियम इंटाइब्स सेटिवम" शब्द रखे जाएंगे ;

(12) अध्याय 15 में,—

(i) टैरिफ मद 1512 19 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

	"- - - सूरजमुखी का तेल, खाद्य श्रेणी";

(ii) टैरिफ मद 1512 19 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

	"- - - सूरजमुखी का तेल, गैर खाद्य श्रेणी";

(13) अध्याय 21 में, शीर्ष 2103 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "उसके लिए, मिश्रित" शब्दों के स्थान पर, "उसके लिए ; मिश्रित" शब्द रखे जाएंगे ;

(14) अध्याय 22 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (क) में, "इसके अंतर्गत आने वाले उत्पाद" शब्दों के स्थान पर, "इस अध्याय के उत्पाद" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टैरिफ मद 2206 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "किण्वत सुपेय और गैर-एल्कोहाली सुपेय का मिश्रण" शब्दों के स्थान पर, "किण्वत सुपेय का मिश्रण तथा किण्वत सुपेय और गैर-एल्कोहाली सुपेय का मिश्रण" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 2208 में,—

(क) टैरिफ मद 2208 20 12, टैरिफ मद 2208 20 92 और टैरिफ मद 2208 50 13 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2208 60 93 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2208 60 00	-	वोडका	लि.	150%	–":

(15) अध्याय 25 के टिप्पण 2 के खंड (ख) में, "पर मापांकित" शब्दों के स्थान पर, "के रूप में मापांकित" शब्द रखे जाएंगे ;

(16) अध्याय 26 में,—

(i) टिप्पण 3 के खंड (क) में, "धातुमल, भस्म और अवशिष्ट नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "भस्म और अवशिष्ट नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 2620 में,—

(क) टैरिफ मद 2620 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2620 19	- -	*अन्यः*			
2620 19 10	- - -	जस्टा ड्रास	कि.ग्रा.	10%	-
2620 19 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	–";

(ख) टैरिफ मद 2620 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2620 29	- -	*अन्यः*			
2620 29 10	- - -	सीसा ड्रास	कि.ग्रा.	5%	-
2620 29 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	5%	–";

(17) अध्याय 27 में,—

(i) अनुपूरक टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अनुपूरक टिप्पण :

इस अध्याय में, किसी बीआईएस मानक के प्रति निर्देश उस मानक के अंतिम प्रकाशित संस्करण के प्रति निर्देश है । उदाहरण के लिए, आईएसः 1459 का प्रति निर्देश से आईएस 1459 : 2018 होगा, आईएस : 1974 से नहीं ।";

(ii) शीर्ष 2707 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "तारकोल के आसवन के तेल और अन्य उत्पाद, वैसे ही उत्पाद" शब्दों के स्थान पर, "तारकोल के आसवन के तेल और अन्य उत्पाद ; वैसे ही उत्पाद" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 2710 में,—

(क) उपशीर्ष 2710 12, टैरिफ मद 2710 12 11 से 2710 12 90, उपशीर्ष 2710 19 और टैरिफ मद 2710 19 10 से 2710 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"2710 12	- -	*हल्का तेल और निमिर्तिया :*			
	- - -	*नाप्थाः*			
2710 12 21	- - - -	हल्का नाप्था	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 22	- - - -	भारी नाप्था	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 29	- - - -	नाप्था की संपूर्ण श्रृंखला	कि.ग्रा.	10%	-
	- - -	मानक आईएस 1745 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट 60/80 विलायक, 50/120 विलायक और 145/205 विलायक (पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन विलायक) :			
2710 12 31	- - - -	60/80 विलायक	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 32	- - - -	50/120 विलायक	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 39	- - - -	145/205 विलायक	कि.ग्रा.	10%	-
	- - -	*मानक आईएस 2796, आईएस 17021 या आईएस 17026 के अनुरूप मोटर गैसोलीन :*			
2710 12 41	- - - -	*मानक आईएस 2796 के अनुरूप मोटर गैसोलीन*	कि.ग्रा.	10%	-

	2710 12 42	- - - -मानक आईएस 17021 के अनुरूप ई20 ईंधन	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 12 49	- - - -मानक आईएस 17026 के अनुरूप एम15 ईंधन	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 12 50	- - - *मानक आईएस 1604 के अनुरूप उड्डयन गैसोलीन*	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 12 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
5	2710 19	- - *अन्यः*			
	2710 19 20	- - - 125/240 विलायक (पैट्रोलियम हाइड्रोकार्बन विलायक) मानक आईएस 1745 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट	कि.ग्रा.	10%	-
		- - - *मध्यवर्ती केरोसिन और मध्यवर्ती केरोसिन से अभिप्राप्त तेलः*			
	2710 19 31	- - - -*मध्यवर्ती केरोसिन*	कि.ग्रा.	10%	-
10	2710 19 32	- - - -मानक आईएस 1459 के अनुरूप मध्यवर्ती केरोसिन	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 39	- - - -उड्डयन ट्रबाइन ईंधन, मानक आईएस 1571 के अनुरूप केरोसिन प्रकार	कि.ग्रा.	10%	-
		- - - गैस तेल और गैस तेल से अभिप्राप्त तेल :			
	2710 19 41	- - - -गैस तेल	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 42	- - - -वैकुम गैस तेल	कि.ग्रा.	10%	-
15	2710 19 43	- - - -मानक आईएस 15770 के अनुरूप हल्का डीजल तेल	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 44	- - - -मानक आईएस 1460 के अनुरूप, स्वचालित डीजल ईंधन, जिसमें बायो डीजल नहीं है,	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 49	- - - -मानक आईएस 16861 के अनुरूप उच्च दीप्ति उच्च गति डीजल ईंधन	कि.ग्रा.	10%	-
		- - - *मानक आईएस 1593के अनुरूप ईंधन तेल :*			
20	2710 19 51	- - - -श्रेणी एलवी	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 52	- - - -श्रेणी एमवी 1	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 53	- - - -श्रेणी एमवी 2	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 59	- - - -श्रेणी एचवी	कि.ग्रा.	10%	-
		- - - *मानक आईएस 16731के अनुरूप ईंधन (वर्ग एफ) या समुद्री ईंधन :*			
25	2710 19 61	- - - -आयुत तेल	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 69	- - - -अवशिष्ट तेल	कि.ग्रा.	10%	-
		- - - *बेस तेल और स्नेहक तेलः*			
	2710 19 71	- - - -बेस तेल	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 72	- - - -मानक आईएस 13656 के अनुरूप ईंजन तेल (आंतरिक ज्वलन ईंजन क्रेंकेस तेल)	कि.ग्रा.	10%	-
30	2710 19 73	- - - -मानक आईएस 14234 के अनुरूप ईंजन तेल	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 74	- - - -मानक आईएस 1118 के अनुरूप स्वचालित गैयर तेल	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 75	- - - -मानक आईएस 8406 के अनुरूप औद्योगिक गैयर तेल	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 76	- - - -मानक आईएस 493 के अनुरूप साधारण प्रयोजन मशीनरी और स्पैंडल तेल	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 77	- - - -मानक आईएस 1012 के अनुरूप टरबाईन स्नेहक तेल	कि.ग्रा.	10%	-
35	2710 19 78	- - - -अन्य स्नेहक तेल, किसी अन्य बीआईएस मानक के अनुरूप	कि.ग्रा.	10%	-
	2710 19 79	- - - -अन्य स्नेहक तेल, जो किसी अन्य बीआईएस मानक के अनुरूप नहीं है	कि.ग्रा.	10%	-
		- - - *कटिंग तेल, हाईड्रोलिक तेल, औद्योगिक व्हाइट तेल, जूट बैचिंग तेल, प्रसाधन उद्योग के लिए खनिज तेल, ट्रांसफार्मर तेलः*			
	2710 19 81	- - - -मानक आईएस 1115 के अनुरूप कटिंग तेल	कि.ग्रा.	10%	-

2710 19 82	- - - -मानक आईएस 3065 के अनुरूप कटिंग तेल (स्वच्छ)	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 19 83	- - - -मानक आईएस 3098 या आईएस 11656 के अनुरूप हाईड्रोलिक तेल	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 19 84	- - - -मानक आईएस 1083 के अनुरूप औद्योगिक व्हाइट तेल	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 19 85	- - - -मानक आईएस 335 या आईएस 12463के अनुरूप ट्रांसफार्मर और परिपथ अवरोधक के लिए विद्युतरोधित तेल (ट्रांसफार्मर और परिपथ अवरोधक तेल)	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 19 86	- - - -मानक आईएस 7299 के अनुरूप प्रसाधन उद्योग के लिए खनिज तेल	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 19 87	- - - -मानक आईएस 1758के अनुरूप जूट बैचिंग तेल	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 19 88	- - - -किसी अन्य बीआईएस मानक के अनुरूप अन्य कटिंग तेल, हाईड्रोलिक तेल, औद्योगिक व्हाइट तेल, जूट बैचिंग तेल, खनिज तेल प्रसाधन उद्योग के लिए, ट्रांसफार्मर तेल	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 19 89	- - - -अन्य कटिंग तेल, हाईड्रोलिक तेल, औद्योगिक व्हाइट तेल, जूट बैचिंग तेल, खनिज तेल प्रसाधन उद्योग के लिए, ट्रांसफार्मर तेल, जो किसी बीआईएस मानक के अनुरूप नहीं है	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 19 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 20	- *पैट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल (कच्चे तेल से भिन्न) और ऐसी निर्मितियां, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पैट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल का भार में 70% या अधिक है, जब ये तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक हैं, जिनमें बायो डीजल हो, अवाष्टि तेल से भिन्न :*				
2710 20 10	- - - मानक आईएस 1460 के अनुरूप स्वचालित डीजल ईंधन, जिनमें बायो डीजल अंतर्विष्ट हों	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 20 20	- - - मानक आईएस 16531 के अनुरूप डीजल ईंधन मिश्रण (बी6 से बी20)	कि.ग्रा.	10%	-	
2710 20 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";	

(ख) टैरिफ मद 2710 99 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :—

	"- - अन्य"				

(iv) शीर्ष 2711 में, टैरिफ मद 2711 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2711 19	- - *अन्य:*				
2711 19 10	- - - मानक आईएस 4576 के अनुरूप एलपीजी (अस्वचालित प्रयोजनों के लिए)	कि.ग्रा.	10%	-	
2711 19 20	- - - मानक आईएस 14861 के अनुरूप एलपीजी (स्वचालित प्रयोजनों के लिए)	कि.ग्रा.	10%	-	
2711 19 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";	

(v) शीर्ष 2713 में, टैरिफ मद 2713 11 00 और 2713 12 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2713 11	- - अनिष्तापितः				
2713 11 10	- - - मानक आईएस 17049 के अनुरूप एल्युमीनियम उद्योग में एनोड बनाने के लिए कच्चा पैट्रोलियम कोक	कि.ग्रा.	10%	-	
2713 11 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-	
2713 12	- - निष्तापितः				
2713 12 10	- - - मानक आईएस 17049 के अनुरूप एल्युमीनियम उद्योग में एनोड बनाने के लिए निष्तापित पेट काक	कि.ग्रा.	10%	-	
2713 12 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";	

(18) अध्याय 28 में,—

(i) टिप्पण 3 के खंड (i) में, "शीर्ष 3813 के" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 3813 के" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टैरिफ मद 2836 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा ;

	"- सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट (सोडियम बाईकार्बोनेट)";				

(19) अध्याय 29 में,—

(i) टिप्पण 5 के खंड (इ) के पैरा (1) में, "वर्गीकृत किया जाएगा ; और" शब्दों के स्थान पर, "वर्गीकृत किया जाएगा ;" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 7 में, "थीयोएल्डीहाइड के चक्रीय बहुलक" शब्दों के स्थान पर, "थीयोएल्डीहाइड, चक्रीयबहुलक" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) टैरिफ मद 2901 29 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2901 29 30	- - -	डाई हाइड्रो मायक्रीन	कि.ग्रा.	10%	-
2901 29 40	- - -	टेट्राडेसेन	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 2902 में,—

(क) टैरिफ मद 2902 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"2902 19	- -	अन्यः			
2902 19 10	- - -	साइक्लो प्रोपेल एक्टेटलिन	कि.ग्रा.	10%	-
2902 19 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2902 90 50 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2902 90 60	- - -	एन-प्रोपेल बेनजेन	कि.ग्रा.	10%	-";

(v) शीर्ष 2904 में, टैरिफ मद 2904 10 40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) शीर्ष 2905 में,—

(क) टैरिफ मद 2905 22 40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2905 22 50	- - -	डाइहाइड्रोमायरसिनोल	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2905 39 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2905 39 20	- - -	हेक्सलेन ग्लायकोल	कि.ग्रा.	10%	-";

(vii) शीर्ष 2907 में, टैरिफ मद 2907 29 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2907 29 20	- - -	ट्रिस (पी-हाइड्रॉक्सी फिनायल) इथेन	कि.ग्रा.	10%	-
2907 29 30	- - -	टर्टियरी ब्यूलाइल हाइड्रोक्विनोन	कि.ग्रा.	10%	-";

(viii) शीर्ष 2909 में,—

(क) टैरिफ मद 2909 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"2909 19	- -	अन्यः			
2909 19 10	- - -	टेरीटियरी अमाइल मिथायल इथर	कि.ग्रा.	10%	-
2909 19 20	- - -	मिथायल टेरीटियरी बुटाइल इथर (एमटीबीई)	कि.ग्रा.	10%	-
2909 19 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2909 41 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- -	2,2'-आक्सीडिथनोल (डिथट्रलेन क्लिकोल, डिजोल)";	

(ग) टैरिफ मद 2909 49 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2909 49	- -	अन्यः			
2909 49 10	- - -	फिनोक्सी इथानोल	कि.ग्रा.	10%	-
2909 49 20	- - -	1-(4-फिनोक्सीफिनोक्सी) प्रोपेन-2-ओएल	कि.ग्रा.	10%	-
2909 49 30	- - -	मेटाफिनाक्सी बेन्जाइल अल्कोहल (एमपीबीए)	कि.ग्रा.	10%	-
2909 49 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-"

(घ) टैरिफ मद 2909 50 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2909 50 40	- - -	4-मेथोक्सी फिनाल (हाइड्रोकुनेन का मोनो मिथायल इथर)	कि.ग्रा.	10%	-";

"2909 50 50	- - - बूटीलेटिड हाइड्रोक्सीएनीसोल (बीएचए)	कि.ग्रा.	10%	-";

(ix) शीर्ष 2912 में, टैरिफ मद 2912 29 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2912 29 30	- - - हेक्सेल सिनेमिक एल्डिहाइड	कि.ग्रा.	10%	-";

(x) शीर्ष 2914 में,—

(क) टैरिफ मद 2914 29 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2914 29 30	- - - पेंटेज-2-साइक्लोपेंटेल-1-एक	कि.ग्रा.	10%	-
2914 29 40	- - - साइक्लोहैक्साने डिओन	कि.ग्रा.	10%	-
2914 29 50	- - - 7-एन्टेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-आक्टाहाइड्रो, 1, 1, 6, 7-टेट्रा मिथायल नेफ्थालेन / 1-(2, 3, 8, 8-टेट्रामिथयल थ्-1,2,3,4,5,6,7,8-आक्टाहाइड्रोनेफ्थालेन -2-वाईएल) इथोनान	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2914 79 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2914 79 30	- - - टेरी फ्लोरो मिथायल एसीटोफिनोल	कि.ग्रा.	10%	-
2914 79 40	- - - क्लोरो-4-(4-क्लोरो फेनाक्सी) एसाटोफिनान	कि.ग्रा.	10%	-
2914 79 50	- - - डाईक्लोरोएसिटोफिनान	कि.ग्रा.	10%	-";

(xi) शीर्ष 2915 में,—

(क) टैरिफ मद 2915 39 60 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2915 39 70	- - - आर्थो टेरटेरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेल ऐसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-
2915 39 80	- - - परा टेरटेरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेल ऐसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2915 39 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - - *अन्यः*			
2915 39 91	- - - -मिथायल साइक्लोहेक्सेल एसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-
2915 39 92	- - - -एथेलिन ग्लाकोल मोनो इथिल इथर एसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-
2915 39 99	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 2915 90 20 से 2915 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2915 90 40	- - - पिअलोयल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 50	- - - एन-वैलिरल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 60	- - - एन-आक्आनायल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 70	- - - नियोडिकेनोयल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
	"- - - *अन्यः*			
2915 90 91	- - - -हेक्सोइक अम्ल (कैप्रोइक अम्ल)	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 92	- - - -ऑक्टोइक अम्ल (केप्रिलिक अम्ल)	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 93	- - - -ट्राई फ्लूरो एसेटिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 94	- - - -इथायल डिफ्लूरो एसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 95	- - - -इथायल ट्राइफ्लेरो एसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 99	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xii) शीर्ष 2916 में,—

(क) टैरिफ मद 2916 19 60 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2916 19 70	- - - इरूसिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2916 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2916 20	-	साइक्लेनिक, साइक्लिनिक या साइक्लोटेरेपिनिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, उनके एनहाइड्राइडेस, प्रोक्साइडड, पेरोक्सी अम्ल और उनकी व्युपत्तियां :			
2916 20 10	- - -	डी. वी. अम्ल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2916 20 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 2916 39 50 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2916 39 60	- - -	डाइक्लोरो फिनाइल एसीटाइल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-";

(xiii) शीर्ष 2917 में 2917,—

(क) टैरिफ मद 2917 13 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2917 13	- -	ऐसेलइक अम्ल, सेबसिक अम्ल, उनके लवण और एस्टर :			
2917 13 10	- - -	सेबसिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2917 13 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2917 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पालीकारोक्सीलिक" शब्द के स्थान पर, "पालीकार्बोक्सीलिक" शब्द रखा जाएगा ;

(xiv) शीर्ष 2918 में,—

(क) उपशीर्ष 2918 19 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

	"- -	अन्यः";			

(ख) टैरिफ मद 2918 19 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2918 19 20	- - -	कालिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2918 19 30	- - -	रिसिनोलेइक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 2918 23 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2918 23 40	- - -	बेंजिल सैलीसिलेअ	कि.ग्रा.	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 2918 30 40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2918 30 50	- - -	फ्लूओरो बेंजोयल ब्यूट्रिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-";

(ङ) टैरिफ मद 2918 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"2918 99	- -	अन्यः			
2918 99 10	- - -	सोडियम फिनोक्सी एसीटेट	कि.ग्रा.	10%	
2918 99 20	- - -	मिथाइल (ई)-2-[2-(क्लोरो मिथाइल) फिनाइल] -3-मेथोक्सीएक्सायक्रीलेट	कि.ग्रा.	10%	
2918 99 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xv) शीर्ष 2920 में, टैरिफ मद 2920 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2920 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xvi) शीर्ष 2921 में,—

(क) टैरिफ मद 2921 42 15 और टैरिफ मद 2921 42 21 से 2921 42 24 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

2921 42 15	- - - -	2-4-5 हाइक्लोरोलिनील			
	"- - -	एन-बेंजील-एन-एथीलेनिलिन, एन, एन-डाइथेलेनिलिन, एन, एन -डिमेथेलेनिलिन, मेटा नाइट्रोऐनिलिन, पैरा नाइट्रोएनिलिन :			
2921 42 21	- - - -	एन -बेंजील-एन -एथीलेनिलिन	कि.ग्रा.	10%	-
2921 42 22	- - - -	एन, एन-डाइथेलेनिलिन	कि.ग्रा.	10%	-
2921 42 23	- - - -	एन,एन -डिमेथेलेनिलिन	कि.ग्रा.	10%	-
2921 42 24	- - - -	एन-एथीलेनिलिन	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2921 43 10 और 2921 43 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2921 43 10	- - - *एन, एन-डाइथाइल टोलूडाइन*	कि.ग्रा.	10%	-
2921 43 20	- - - *एन, एन-डाइथाइल टोलूडाइन*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 2921 49 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2921 49 20	- - - पैरा क्यूमिडाइन	कि.ग्रा.	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 2921 59 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2921 59 40	- - - डायमिनोस्टिलबेन 2,2-डाइसल्फोनिक अम्ल (डास्डा)	कि.ग्रा.	10%	-";

(xvii) शीर्ष 2922 में,—

(क) उपशीर्ष 2922 11 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

	"- - मोनोइथेनोलामाइन और उसके लवण:"			

(ख) टैरिफ मद 2922 29 26 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पिक्रामिक अम्ल(टी-श्रेणी)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, ", पैरा क्रिसीडाइन आवर्ती सल्फोनिक अम्ल" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 2922 29 35 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2922 29 36	- - - -पैरा क्रिसीडाइन आर्थो सल्फोनिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-";

(xviii) शीर्ष 2930 में, टैरिफ मद 2930 90 97 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2930 90 98	- - - -डाईक्लोरो डाईफिनायल सल्फोन	कि.ग्रा.	10%	-";

(xix) शीर्ष 2932 में, टैरिफ मद 2932 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2932 99	- - *अन्य:*			
2932 99 10	- - - सिनेआल	कि.ग्रा.	10%	-
2932 99 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xx) शीर्ष 2933 में,—

(क) टैरिफ मद 2933 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - - अन्य:			
2933 19 91	- - - -फ्लूओरो-3-(डाइफ्लूओरोमिथाइल)-1-मिथाइल-1 एच-पायराजोल-4-कार्बोनिल फ्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2933 19 99	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2933 39 17 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 2933 69 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2933 69 20	- - - 4-[4,6-बिस (2,4-डाइमेथिलफिनायल)-1,3,5-ट्रायजिन-2-वाई]-1,3-बेंजीनेडिमाल	कि.ग्रा.	10%	-
2933 69 30	- - - ट्रिस (2-हाइड्रोक्सीथाइल) आइसोसायनरेट	कि.ग्रा.	10%	-
2933 69 40	- - - एथीलहैक्साइलट्रायजोन	कि.ग्रा.	10%	-
2933 69 50	- - - 2,4,6-ट्राई(2,4-डाईहाइड्रोक्सिल-3-मेथिलफिनायल)-1,3,5-ट्राइजिन	कि.ग्रा.	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 2933 79 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2933 79	- - अन्य:			
2933 79 10	- - - एन-मिथिल-2-पाइरोलाइडान	कि.ग्रा.	10%	-
2933 79 20	- - - एन-एथिल-2-पाइरोलाइडान	कि.ग्रा.	10%	-
2933 79 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ङ) टैरिफ मद 2933 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "फ्लूनिट्राजेपम(आईएनएन), फ्लूराजपम (आईएनएन), हालाजेपम (आईएनएन)", शब्दों के स्थान पर, "फ्लूनिट्राजेपम(आईएनएन), फ्लूराजपम (आईएनएन), हालाजेपम (आईएनएन)" शब्द रखे जाएंगे ;

(ढ) टैरिफ मद 2933 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2933 99	- -	अन्यः			
2933 99 10	- - -	इमिडाजो पाइरिडाइन मिथाइल एमीन	कि.ग्रा.	10%	-
2933 99 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xxi) शीर्ष 2934 में,—

(क) टैरिफ मद 2934 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "क्लैक्सजोलम" शब्द के स्थान पर, "क्लोक्साजोलम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 2934 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"2934 99	- -	अन्यः			
2934 99 10	- - -	क्लोरो थायाफिन-2-कार्बोक्सलिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2934 99 20	- - -	मोर्फोलिन	कि.ग्रा.	10%	-
2934 99 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xxii) शीर्ष 2937 में, टैरिफ मद 2937 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "प्रेडनाइसोन, (डिहाइड्रोकोर्टीसोन)", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "प्रेडनाइसोन(डिहाइड्रोकोर्टीसोन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(xxiii) शीर्ष 2939 में,—

(क) टैरिफ मद 2939 19 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- -	अन्य";	

(ख) टैरिफ मद 2939 79 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2939 79	- -	अन्यः			
2939 79 10	- - -	निकोटिन	कि.ग्रा.	10%	-
2939 79 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(20) अध्याय 30 में,—

(i) शीर्ष 3004 में, टैरिफ मद 3004 20 99 की प्रविष्टि के पश्चात् आने वाली स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "हारमोन्स और अन्य उत्पाद" शब्दों के स्थान पर, "हारमोन्स या अन्य उत्पाद" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 3006 में, उपशीर्ष 3006 60 में के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "हारमोन्स, या अन्य उत्पाद" शब्दों के स्थान पर, "हारमोन्स, अन्य उत्पाद पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(21) अध्याय 31 के टिप्पण 1 के खंड (ग) में, "(शीर्ष 3824 के, आप्टिकल तत्वों से भिन्न, जिनका प्रत्येक का भार 2.5 ग्राम से कम है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "शीर्ष 3824 के, आप्टिकल तत्वों से भिन्न, जिनका प्रत्येक का भार 2.5 ग्राम से कम है (आप्टिकल तत्वों से भिन्न)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(22) अध्याय 32 में,—

(i) शीर्ष 3204 में, उपशीर्ष 3204 15 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "उन पर निर्मितियां" शब्दों के स्थान पर, "उन पर आधारित निर्मितियां" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 3207 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "चीनी मिट्टी इनेमल" शब्दों के स्थान पर, "चीनी मिट्टी, इनेमेलिंग" शब्द रखे जाएंगे ;

(23) अध्याय 33 में,—

(i) शीर्ष 3301 में, टैरिफ मद 3301 30 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा ;

"- - -	अन्यः"

(ii) शीर्ष 3307 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "सम्मिलित, निर्मित किया गया" शब्दों के स्थान पर, "सम्मिलित ; निर्मित किया गया" शब्द रखे जाएंगे ;

(24) अध्याय 34 के शीर्ष 3402 में,—

(i) शीर्ष 3402 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "(साबुन से भिन्न)," शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "(साबुन से भिन्न);" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) उपशीर्ष 3402 90 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ;

"-	अन्यः"

(25) अध्याय 37 के शीर्ष 3703 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "टेक्सटाइल्स सुग्राहीकृत" शब्दों के स्थान पर "टेक्सटाइल्स, सुग्राहीकृत" शब्द रखे जाएंगे ;

(26) अध्याय 38 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 3 में, "(पी क्लोरोफेनाइल) इथेन" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(पी-क्लोरोफेनाइल) इथेन" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) अनुपूरक टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष 3804 में,—

(क) शीर्ष 3804 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "केलिए लाइज" शब्दों के स्थान पर, "सेलाइज" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपशीर्ष 3804 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "केलिए लाइज" शब्दों के स्थान पर, "सेलाइज" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 3808 में,—

(क) उपशीर्ष 3808 92 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- - कवकनाशी:";

(ख) उपशीर्ष 3808 93 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पादपवृद्धि विनियामक" शब्दों के स्थान पर, "पादपवृद्धि किया गया विनियामक" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) शीर्ष 3824 में,—

(क) टैरिफ मद 3824 88 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"- अन्यः";

(ख) उपशीर्ष 3824 99 और टैरिफ मद 3824 99 11 से 3824 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3824 99 00	- -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(27) अध्याय 39 में,—

(i) शीर्ष 3901 में,—

(क) टैरिफ मद 3901 10 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3901 10 10	- - -	रैखिक मध्य घनत्व पालिएथिलीन (एलएलडीपीई), जिसमें एथिलीन मोनोमर यूनिट कुल पालिमर अंश के भार के अनुसार 95% है या उससे अधिक है	कि.ग्रा.	10%	-
3901 10 20	- - -	रैखिक मध्य घनत्व पालिएथिलीन (एलएलडीपीई)	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 3901 40 00, उपशीर्ष 3901 90 और टैरिफ मद 3901 90 10 से 3901 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3901 40	-	ऐथालीन-एल्फा-ओलेफिन कोपोलिमर्स, जिनका विनिर्दिष्ट गुरुत्व 0.94 से कम है :			
3901 40 10	- - -	रैखिक मध्य घनत्व पालिएथिलीन (एलएलडीपीई), जिसमें एथिलीन मोनोमर यूनिट कुल पालिमर अंतर्वस्तु के भार के अनुसार 95% से कम है	कि.ग्रा.	10%	-
3901 40 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
3901 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ii) शीर्ष 3904 में,—

(क) टैरिफ मद 3904 40 00 से 3904 50 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

3904 40 00	-	अन्य विनाइल क्लोराइड कोपालिमर	कि.ग्रा.	10%	-
"3904 50	-	विनाइलिडीन क्लोराइड बहुलकः";			
3904 50 10	- - -	एक्रीलोनट्रप्ट के साथ विनाइलड्रेन क्लोराइड 4 माइक्रोमीटर या अधिक विस्तार योग्य मानकों के रूप में किंतु 20 माइक्रोमीटर से कम	कि.ग्रा.	10%	-

(ख) टैरिफ मद 3904 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3904 90	-	अन्यः			
3904 90 10	- - -	क्लोरीनकृत पालि विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन	कि.ग्रा.	10%	-
3904 90 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(iii) शीर्ष 3906 में, टैरिफ मद 3906 90 10 से 3906 90 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3906 90 40	- - -	पालि (एक्रिलिक अम्ल)	कि.ग्रा.	10%	-
3906 90 50	- - -	पालिएक्रीलोइट्राइल (पीएएन)	कि.ग्रा.	10%	-
3906 90 60	- - -	एक्रीलोनाइट्राइल के समबहुलक	कि.ग्रा.	10%	-
3906 90 70	- - -	सोडियम पालिएक्रीलेट	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 3907 में,—

(क) टैरिफ मद 3907 61 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3907 61	- -	78 एमएल/जी या उससे अधिक की यानता संख्या वाली			
3907 61 10	- - -	पीईटी फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10%	-
3907 61 90	- - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 3907 69 10 से 3907 69 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3907 69 30	- - -	पीईटी फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10%	-
3907 69 90	- - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) उपशीर्ष 3907 99 और टैरिफ मद 3907 99 10 से 3907 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3907 99 00	- -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(v) शीर्ष 3908 में, टैरिफ मद 3908 10 10 से 3908 10 90, उपशीर्ष 3908 90 और टैरिफ मद 3908 90 10 से 3908 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

		"- - - पालिएमाइड -6 (नायलान-6):			
3908 10 11	- - - -	फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10%	-
3908 10 19	- - - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10%	-
	- - -	पालिएमाइड -11 (नायलान -11):			
3908 10 21	- - - -	फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10%	-
3908 10 29	- - - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10%	-
	- - -	पालिएमाइड -12 (नायलान -12):			
3908 10 31	- - - -	फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10%	-
3908 10 39	- - - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10%	-
	- - -	पालिएमाइड -6,6 (नायलान -6,6):			
3908 10 41	- - - -	फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10%	-
3908 10 49	- - - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10%	-
	- - -	पालिएमाइड -6,9 (नायलान -6,9):			
3908 10 51	- - - -	फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10%	-
3908 10 59	- - - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10%	-
	- - -	पालिएमाइड -6,10 (नायलान -6,10):			
3908 10 61	- - - -	फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10%	-
3908 10 69	- - - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10%	-
	- - -	पालिएमाइड -6,12 (नायलान -6,12):			
3908 10 71	- - - -	फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10%	-
3908 10 79	- - - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10%	-
3908 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(vi) शीर्ष 3911 में, उपशीर्ष 3911 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पेट्रोलियम रेजिन, कौमारोन-इण्डीन", शब्दों के स्थान पर, "पेट्रोलियम रेजिन, कौमारोन, इण्डीन" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) शीर्ष 3920 में, उपशीर्ष 3920 91 और टैरिफ मद 3920 91 11 से 3920 91 19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"-	अन्य प्लास्टिक के :			
3920 91	- -	पालि (विनाइल यूटीरल)के :			
3920 91 10	- - -	दृढ़, सपाट	कि.ग्रा.	10%	-
3920 91 20	- - -	नम्म, सपाट	कि.ग्रा.	10%	-
3920 91 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(28) अध्याय 40 में,—

(i) टिप्पण 5 के खंड (ख), पैरा (iii) में, "वल्कनीकृत" शब्द के स्थान पर "स्टेबिलाइजर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 4010 में,—

(क) उपशीर्ष 4010 31 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"- -	समलंबी अनुप्रस्थ काट (वी पट्टा) का सिराहीन संचारन पट्टा (वी-धारीदार), का 60 से.मी. से अधिक किंतु 180 से.मी. से अनधिक बाहरी परिधि का :";	

(ख) उपशीर्ष 4010 33 के सामने आने वाले खंड स्तंभ (2) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- -	समलंबी अनुप्रस्थ काट (वी पट्टा) का सिराहीन संचारन पट्टा (वी-धारीदार), का 180 से.मी. से अधिक किंतु 240 से.मी. से अनधिक बाहरी परिधि का :";	

(29) अध्याय 42 में, टिप्पण 2 के खंड (च) में, "घोड़े के चाबुक" शब्दों के स्थान पर, "घुड़सवारी चाबुक" शब्द रखे जाएंगे ;

(30) अध्याय 44 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ड) में, "अनुभाग 17" शब्द और अंकों के स्थान पर, "अनुभाग 18" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) अनुपूरक टिप्पण 1 में, "आईएस : 710-1976" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "आईएस : 710" अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) अनुपूरक टिप्पण 2 में, "आईएस : 709-1974 और आईएस : 4859-1968" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "आईएस : 709 और आईएस : 4859" अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 4402 में, उपशीर्ष 4402 10 और टैरिफ मद 4402 10 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"4402 10 00	-	बांस के	एमटी	5%	-";

(31) अध्याय 46 के शीर्षक 4601 में, टैरिफ मद 4601 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"-	अन्यः";	

(32) अध्याय 48 में,—

(i) शीर्ष 4818 में, टैरिफ मद 4818 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "निर्मलन" शब्द के स्थान पर, "निर्मलन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 4820 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "उत्पाद-शुल्क पुस्तिकाएं" शब्दों के स्थान पर, "अभ्यास पुस्तिका" शब्द रखे जाएंगे ;

(33) अध्याय 53 में, शीर्ष 5310 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "बेसफाइबर" शब्दों के स्थान पर, "बास्ट फाइबर" शब्द रखे जाएंगे ;

(34) अध्याय 55 में,—

(i) शीर्ष 5502 में,—

(क) उपशीर्ष 5502 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"-	सेल्यूलोज ऐसिटेट के :";	

(ख) उपशीर्ष 5502 90 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"-	अन्यः";	

(ii) शीर्ष 5504 में, टैरिफ मद 5504 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5504 10	-	विसकोस रेयन के :			
5504 10 10	- - -	बांस से भिन्न काष्ठ से अभिप्राप्त	कि.ग्रा.	20%	-
5504 10 20	- - -	बांस से अभिप्राप्त	कि.ग्रा.	20%	-
5504 10 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	20%	-";

(35) अध्याय 56 में, शीर्ष 5605 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "जिम्प जो टैक्सटाइल सूत है" शब्दों के स्थान पर, "जिम्प नहीं, जो टैक्सटाइल सूत है" शब्द रखे जाएंगे ;

(36) अध्याय 57 में,—

(i) शीर्ष 5701 में, टैरिफ मद 5701 10 00, उपशीर्ष 5701 90 और टैरिफ मद 5701 90 10 से 5701 90 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5701 10	-	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के :			
5701 10 10	- - -	हस्तनिर्मित	व.मी.	25%	-
5701 10 90	- - -	अन्य	व.मी.	25%	-
5701 90	-	अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :			
	- - -	सूत :			
5701 90 11	- - - -	हस्तनिर्मित	व.मी.	25%	-
5701 90 19	- - - -	अन्य	व.मी.	25%	-
5701 90 20	- - -	कयर के, जिसमें जियो टैक्सटाइल भी है	व.मी.	25%	-
	- - -	रेशम के :			
5701 90 31	- - - -	हस्तनिर्मित	व.मी.	25%	-
5701 90 39	- - - -	अन्य	व.मी.	25%	-";

(ii) शीर्ष 5702 में,—

(क) उपशीर्ष 5702 50 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- - - मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्रियों के :";

(ख) टैरिफ मद 5702 50 29 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- - - अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :";

(37) अध्याय 59 के शीर्ष 5907 में टैरिफ मद 5907 00 19 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- - - अन्य:";

(38) अध्याय 60 में, उपशीर्ष टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अनुपूरक टिप्पणः

टैरिफ मद 6001 91 00, 6001 92 00 और उपशीर्ष 6001 99 में फैब्रिक के उत्पादन के दौरान या उसके पश्चात् लूपों की कटाई के माध्यम से उत्पादित कट फाईल फैब्रिक सम्मिलित है ।";

(39) अध्याय 61 में,—

(i) शीर्ष 6103 में, टैरिफ मद 6103 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"- *जोड़ा* :";

(ii) शीर्ष 6115 में, टैरिफ मद 6115 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"- *अन्य:*";

(40) अध्याय 62 में,—

(i) टिप्पण 3 के खंड (ख) में, "संगत आकार के समनुरूप में", शब्दों के स्थान पर, "समनुरूप या संगत आकार में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अनुपूरक टिप्पण :

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "खादी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) परिधान की वस्तुएं या कपड़ों के उपसाधन, जो सूत, रेशम या भारत में हाथ से कते हुए ऊनी सूत से या ऐसे किन्हीं दो या सभी सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघों पर बुना हुआ कोई वस्त्र निर्मित है ; और

(ख) केवीआई (खादी ग्राम उद्योग आयोग) द्वारा प्रमाणित या मान्यताप्राप्त व्यक्ति द्वारा उत्पादित है ।";

(iii) शीर्ष 6203 में,—

(क) टैरिफ मद 6203 29 00 से 6203 31 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6203 29	- -	अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :		
	- - -	*रेशम के :*		
6203 29 11	- - - -	खादी	इ. 25% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6203 29 19	- - - -	अन्य	इ. 25% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6203 29 90	- - -	अन्य	इ. 25% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
	-	*जैकिट और ब्लेजर :*		
6203 31	- -	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के :		
6203 31 10	- - -	खादी	इ. 25% या 815 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6203 31 90	- - -	अन्य	इ. 25% या 815 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(ख) टैरिफ मद 6203 39 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— :

	"- - -	रेशम के :		
6203 39 11	- - - -	खादी	इ. 25% या 755 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6203 39 19	- - - -	अन्य	इ. 25% या 755 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(ग) टैरिफ मद 6203 42 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :— :

"6203 42	- -	*सूत के :*		
6203 42 10	- - -	हस्तकरघा के	इ. 25% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6203 42 90	- - -	अन्य	इ. 25% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(iv) शीर्ष 6204 में,—

(क) टैरिफ मद 6204 29 11 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— :

"6204 29 12	- - - -	खादी	इ. 25%	-";

(ख) टैरिफ मद के स्थान पर 6204 31 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6204 31	- -	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के :		
6204 31 10	- - -	खादी	इ. 25% या 370 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 31 90	- - -	अन्य	इ. 25% या 370 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(ग) टैरिफ मद 6204 39 11 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6204 39 12	- - - -खादी	इ.	25% या 350 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(घ) टैरिफ मद 6204 42 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- - - हस्तकरघा के";

(ङ) टैरिफ मद 6204 62 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6204 62	- - सूत केः			
6204 62 10	- - - हस्तकरघा के		25% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 62 90	- - - अन्य		25% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(v) शीर्ष 6205 में,—

(क) टैरिफ मद 6205 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

6205 20	- *सूत के :*			
6205 20 10	- - - हस्तकरघा के	इ.	25% या 85 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6205 20 90	- - - अन्य	इ.	25% या 85 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(ख) टैरिफ मद के स्थान पर, 6205 90 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	- - - *रेशम के :*			
6205 90 11	- - - -खादी	इ.	25% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6205 90 19	- - - -अन्य	इ.	25% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(vi) शीर्ष 6206 में, टैरिफ मद 6206 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6206 30	- *सूत केः*			
6206 30 10	- - - हस्तकरघा के	इ.	25% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6206 30 90	- - - अन्य	इ.	25% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(vii) शीर्ष 6207 में, टैरिफ मद 6207 19 90 से 6207 22 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6207 19 90	- - - अन्य	इ.	25% या 30 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
	- *नाइट शर्ट और पायजामा :*			
6207 21	- - सूत केः			
6207 21 10	- - - हस्तकरघा के	इ.	25%	-
6207 21 90	- - - अन्य	इ.	25%	-
6207 22 00	- - मानव निर्मित फैब्रिकों के	इ.	25%	-";

(viii) शीर्ष 6208 में, टैरिफ मद 6208 21 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6208 21	- - *सूत के :*			
6208 21 10	- - - हस्तकरघा के	इ.	25%	-
6208 21 90	- - - अन्य	इ.	25%	-";

(ix) शीर्ष 6209 में, टैरिफ मद 6209 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6209 20	-	*सूत के:*		
6208 20 10	- - -	हस्तकरघा के	इ. 25%	-
6208 20 90	- - -	अन्य	इ. 25%	-";

(x) शीर्ष 6211 में,—

(क) टैरिफ मद 6211 39 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6211 39	- -	अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :		
	- - -	*रेशम के :*		
6211 39 11	- - - -	हस्तकरघा के	इ. 25%	-
6211 39 19	- - - -	अन्य	इ. 25%	-
6211 39 90	- - -	अन्य	इ. 25%	-";

(ख) टैरिफ मद 6211 49 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	"- - -	*रेशम के :*		
6211 49 21	- - - -	खादी	इ. 25%	-
6211 49 29	- - - -	अन्य	इ. 25%	-";

(xi) शीर्ष 6214 में, टैरिफ मद 6214 20 20 और 6214 20 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - -	*स्कार्फ :*		
6214 20 21	- - - -	खादी	इ.	25% या 180 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो -
6214 20 29	- - - -	अन्य	इ.	25% या 180 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो -
	- - -	मफलर :		
6214 20 31	- - - -	खादी	इ.	25% या 180 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो -
6214 20 39	- - - -	अन्य	इ.	25% या 180 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो -";

(xii) शीर्ष 6215 में, टैरिफ मद 6215 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6215 10	-	*रेशम या रेशम अपशिष्ट के :*		
6215 10 10	- - -	खादी	इ.	25% या 55 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो -
6215 10 90	- - -	अन्य	इ.	25% या 55 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो -";

(41) अध्याय 68 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ख) में, "अभ्रक चूर्ण विलेपित कागज" शब्दों के स्थान पर, "अभ्रक चूर्ण विलेपित कागज और पेपरबोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 6813 में, उपशीर्ष 6813 20, टैरिफ मद 6813 20 10 से 6813 89 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6813 20	-	जिसमें ऐसबेस्टास है :		
6813 20 10	- - -	ब्रेक लाइनिंग और पैड	कि.ग्रा.	15% -
6813 20 90	- - -	ऐसबेस्टास की घर्षण सामग्री	कि.ग्रा.	15% -
	-	जिसमें ऐसबेस्टास नहीं है :		
6813 81 00	- -	ब्रेक लाइनिंग और पैड	कि.ग्रा.	15% -
6813 89 00	- -	अन्य	कि.ग्रा.	15% -";

(42) अध्याय 70 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण में, "7013 91" अंकों के स्थान पर, "7013 91 00" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 7005 में, उपशीर्ष 7005 21 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "मास(बाडी टिन्टिड) ओपेसिफाइड", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "मास(बाडी टिन्टिड), ओपेसिफाइड" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 7018 मे, शीर्ष 7018 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "आभूषण, कांच" शब्दों के स्थान पर, "आभूषण; कांच" शब्द रखे जाएंगे ;

(43) अध्याय 71 में,—

(i) शीर्ष 7103 में, उपशीर्ष 7103 10 और टैरिफ मद 7103 10 11 से 7103 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7103 10	- अकर्तित या मात्र कर्तित या सपूल रूप से आकारित :			
	- - - *खनिजीय प्रजातियों "बेरिल" और "क्रायसोबेरिल" के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 10 31	- - - - रत्न पन्ना	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 32	- - - - पीला/स्वर्ण/गुलाबी/लाल/हरा बेरिल	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 33	- - - - क्राईसोबेरिल (जिसमें क्राईसोबेरिल लहसुनिया भी है)	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 34	- - - - एलेक्जेन्ड्राइट (जिसमें एलेक्जेन्ड्राइट लहसुनिया भी है)	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 39	- - - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - *खनिजीय प्रजातियों "कोरंडम" और "फेल्डसपर" के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 10 41	- - - - माणिक्य	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 42	- - - - नीलम	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 43	- - - - मूनस्टोन	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 49	- - - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - *"गार्नेट" और "लजुराईट" खनिजीय प्रजातियों के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 10 51	- - - - गार्नेट	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 52	- - - - लेपिस-लजूली	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 59	- - - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - *"प्रेन्हाइट" और "क्वार्टज" खनिजीय प्रजातियों के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 10 61	- - - - प्रेन्हाइट	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 62	- - - - अगेट	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 63	- - - - एवेन्चराइन	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 64	- - - - चोलेइडीनी	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 69	- - - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - *खनिजीय प्रजातियों "टूरमेलाइन" और "जायसाइट" के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 10 71	- - - - टूरमेलाइन	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 72	- - - - टेन्जनाइट	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 79	- - - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- *अन्यथा निर्मित :*			
7103 91	- - माणिक्य, नीलम और रत्न पन्ना :			
7103 91 10	- - - माणिक्य	सी/के	10%	-
7103 91 20	- - - नीलम	सी/के	10%	-

7103 91 30	- - - रत्न पन्ना	सी/के	10%	-	
7103 99	- - अन्यः				
	- - - *"रत्न पन्ना" से भिन्न, "बेरिल" और "क्राईसोबेरिल" खनिजीय प्रजातियों के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*				
7103 99 11	- - - - पीला/स्वर्ण/गुलाबी/लाल/हरा बेरिल	सी/के	10%	-	5
7103 99 12	- - - - क्राईसोबेरिल (जिसमें क्राईसोबेरिल लहसुनिया है)	सी/के	10%	-	
7103 99 13	- - - - अलेक्जेन्ड्राइट (जिसमें अलेक्जेन्ड्राइट लहसुनिया है)	सी/के	10%	-	
7103 99 19	- - - - अन्य	सी/के	10%	-	
	- - - "माणिक्य" और "नीलम"से भिन्न, "कोरंडम" और "फेल्डसपर" खनिजीय प्रजातियों के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :				10
7103 99 21	- - - - मूनस्टोन	सी/के	10%	-	
7103 99 29	- - - - अन्य	सी/के	10%	-	
	- - - "गार्नेट" और "लैजुराइट" खनिजीय प्रजातियों के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :				
7103 99 31	- - - - गार्नेट	सी/के	10%	-	
7103 99 32	- - - - लेपिस-लजूली	सी/के	10%	-	15
7103 99 39	- - - - अन्य	सी/के	10%	-	
	- - - मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न दृढ "प्रेन्हाइट" और "क्वार्टज" खनिजीय प्रजातियां :				
7103 99 41	- - - - प्रेन्हाइट	सी/के	10%	-	
7103 99 42	- - - - अगेट	सी/के	10%	-	
7103 99 43	- - - - एवेन्चराइन	सी/के	10%	-	20
7103 99 44	- - - - चोलेइडीनी	सी/के	10%	-	
7103 99 49	- - - - अन्य	सी/के	10%	-	
	- - - *खनिजीय प्रजातियों "टूरमेलाइन" और "जायसाइट" के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*				
7103 99 51	- - - - टूरमेलाइन	सी/के	10%	-	25
7103 99 52	- - - - टेन्जनाइट	सी/के	10%	-	
7103 99 59	- - - - अन्य	सी/के	10%	-	
7103 99 90	- - - अन्य	सी/के	10%	-";	

(ii) शीर्ष 7104 में, टैरिफ मद 7104 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7104 20	- अन्य, अकर्तित या मात्र कर्तित या सपूल रूप से आकारित :				30
7104 20 10	- - - प्रयोगशाला निर्मित या प्रयोगशाला में वर्धित या मानवनिर्मित या कल्चरी या संश्लिष्ट हीरा	कि.ग्रा.	10%	-	
7104 20 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";	

(iii) शीर्ष 7106 में,—

(क) टैरिफ मद 7106 91 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— 35

"7106 91	- - *अनगढ़ :*				
7106 91 10	- - - दाने	कि.ग्रा.	12.5%	-	
7106 91 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	12.5%	-";	

(ख) टैरिफ मद 7106 92 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7106 92 20	- - - छड़	कि.ग्रा.	12.5%	-";	40

(44) अध्याय 72 के शीर्ष 7222 में, टैरिफ मद 7222 20 19 के सामने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - - अन्य:";			

(45) अध्याय 73 में, शीर्ष 7304 में,—

(i) टैरिफ मद 7304 22 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - स्टेनलेस इस्पात की ड्रिल पाइप";			

(ii) टैरिफ मद 7304 23 90 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

	"- - - अन्य:";			

(iii) टैरिफ मद 7304 49 00 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् आने वाली स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- अन्य, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के, मिश्रधातु के :";			

(46) अध्याय 74 में, शीर्ष 7404 में,—

(i) टैरिफ मद 7404 00 21 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"7404 00 21	- - - - सभी बोर और आकारों के खाली या नष्ट कारतूस, जिसमें निम्नलिखित हैं : आईएसआरआई कोड शब्द 'लेक' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ जीवित 70/30 पीतल कवच मुक्त बुलैटस, लोहा और अन्य कोई विजातीय पदार्थ ; आईएसआरआई कोड शब्द 'लैम्ब' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ मफल्ड (पोपड) 70/30 पीतल कवच मुक्त बुलैटस, लोहा और अन्य कोई विजातीय पदार्थ ;	कि.ग्रा.	5%	-";

(ii) टैरिफ मद 7404 00 22 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "मैगनीज कांस्य के ठोस" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और कोड शब्द 'लैम्ब' पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;

(iii) टैरिफ मद 7404 00 23 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7404 00 24	- - - - पीतल स्क्रैप, जिसमें निम्नलिखित हैं : आईएसआरआई कोड शब्द 'पर्च' के अंतर्गत आने वाले मैगनीज कांस्य के ठोस ; आईएसआरआई कोड शब्द 'इलीस' के अंतर्गत आने वाले उच्च लैड कांस्य ठोस और बोरिंग्स	कि.ग्रा.	5%	-
7404 00 25	- - - - ताम्र निकल स्क्रैप, जिसमें निम्नलिखित हैं : आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डांडी' के अंतर्गत आने वाले नए कुरपो निकल क्लिप और ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डॉन्ट' के अंतर्गत आने वाले कुरपो निकल ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डेल्टा' के अंतर्गत आने वाला सोल्डीकृत कुरपो निकल ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डिकॉय' के अंतर्गत आने वाली कुरपो निकल स्पिनिंग्स, टर्निंग्स, बोरिंग्स	कि.ग्रा.	5%	-";

(47) अध्याय 75 में, शीर्ष 7503 में, टैरिफ मद 7503 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "नए कुरपो निकल क्लिप" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "कोड शब्द डेथ" पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ;

(48) अध्याय 76 में, शीर्ष 7602 में, टैरिफ मद 7602 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में,—

(i) "आईएसआरआई कोड शब्द 'थ्रोब' के अंतर्गत आने वाला स्वेदित एलुमिनियम ;' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ii) "आईएसआरआई कोड शब्द 'थिर्ल' के अंतर्गत आने वाले एलुमिनियम ड्रास, स्पेटनर्स, स्पेलिंग्स, स्किमंग और स्वीपिंग्स ;";" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(49) अध्याय 78 में, शीर्ष 7802 में, टैरिफ मद 7802 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में,—

(i) "आईएसआरआई कोड शब्द 'रिले' के अंतर्गत आने वाला कवच आच्छादित केबल रहित सीसा आच्छादित तांबा केबल ;" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) "सीसा बैटरी प्लेटें" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "कोड शब्द 'रेन्टस' " शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ;

(50) अध्याय 79 में, शीर्ष 7902 में, टैरिफ मद 7902 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में,—

(i) "आईएसआरआई कोड शब्द 'स्कल' के अंतर्गत आने वाली रुपदा ढलवां सिल्पी या पिग जस्त ;", शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ii) "गर्म निमज जस्तदारक" शब्दों से प्रारंभ होने वाले तथा "संक्षारण या आक्सीकरण" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ;

(51) अध्याय 85 में,—

(i) शीर्ष 8517 में,—

(क) टैरिफ मद 8517 12 10 और 8517 12 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - - सेलुलर नेटवर्क के लिए टेलीफोन :			
8517 12 11	- - - -पुश बटन टाइप से भिन्न मोबाइल फोन	इ.	20%	-
8517 12 19	- - - -मोबाइल फोन, पुश बटन टाइप	इ.	20%	-
8517 12 90	- - - अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन	इ.	20%	-";

(ख) टैरिफ मद 8517 69 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 8525 में, उपशीर्ष 8525 60 और टैरिफ मद 8525 60 11 से 8525 60 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8525 60 00	- पारेषण उपकरण, जो ग्रहण उपकरण को समाविष्ट करते हैं	इ.	निःशुल्क	-";

(iii) शीर्ष 8527 में, उपशीर्ष 8527 99 और टैरिफ मद 8527 99 11 से 8527 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8527 99 00	- - अन्य	इ.	10%	-";

(52) अध्याय 90 में, शीर्ष 9018 में, टैरिफ मद 9018 90 29 से 9018 90 33 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9018 90 29	- - - -अन्य	इ.	10%	-
	- - - कृत्रिम गुर्दे (डायलासिस) उपकरण, रक्त ट्रांसफ्यूजन उपकरण :			
9018 90 31	- - - -कृत्रिम गुर्दे (डायलासिस) उपकरण	इ.	10%	-
9018 90 32	- - - -रक्त ट्रांसफ्यूजन उपकरण	इ.	10%	-".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
26 जून, 2019

निर्मला सीतारामन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के
अधीन
राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन, के लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 26 जून, 2019 के पत्र सं॰ 2(16)-बी॰(डी॰)/2019 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 05 जुलाई, 2019 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 2** वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2019-2020 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्‌गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए है ; और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है ।

निर्धारण वर्ष 2019-2020 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में आय-कर की उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2019-2020 के लिए कर के दायित्वाधीन है । ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2018 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर"की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में उन दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है । ये दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2018 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती करने के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी ।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में—

(i) प्रत्येक अनिवासी, जो कोई प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां—

(क) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ii) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है,किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(iii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(iv) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए उन दरों को, जिन पर "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और उन दरों को भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करने के लिए है।

इस भाग के पैरा क में आय-कर की निम्नलिखित दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [उपपैरा (ii) और उप पैरा (iii) में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित से भिन्न] या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है :—

2,50,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**;
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक की आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**;
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक की आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	**कुछ नहीं**;
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत;
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत ।

इस पैरा में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । इस पैरा में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं, पन्द्रह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । इस पैरा में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, पच्चीस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। इस पैरा में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, सैंतीस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2019-2020 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । ऐसी सहकारी सोसाइटियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2019-2020 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसी फर्मों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करने के लिए है । ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2019-2020 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है । ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, जिनकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है । देशी कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर कुल आय की पच्चीस प्रतिशत होगी, जहां पूर्ववर्ष 2017-2018 की कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां चार सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और अन्य सभी मामलों में आय-कर की दर कुल आय की तीस प्रतिशत होगी । देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों, की दशा में, कर की दर वही बनी रहेगी, जो निर्धारण वर्ष 2019-2020 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है ।

ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, सात प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । ऐसी देशी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, दो प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । देशी कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा । सीमांत राहत प्रदान की जाएगी ।

सभी अन्य मामलों (जिसमें धारा, 115ण, धारा 115थक, धारा 115द, धारा 115नक, धारा 115नघ आदि भी हैं) में अधिभार वर्तमान में बारह प्रतिशत की दर से लागू होगा ।

पहली अनुसूची के भाग 1 के अंतर्गत वर्तमान में आने वाले सभी मामलों में चार प्रतिशत की दर से "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" और चार प्रतिशत की दर से "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा । तथापि, वित्तीय वर्ष 2019-2020 में पहली अनुसूची के भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" तथा "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" बंद कर दिया जाएगा । पहली अनुसूची के भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" के नाम से ज्ञात एक नया उपकर चार प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा। पहली अनुसूची के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, स्रोत से कटौती किए गए या संगृहीत कर पर कोई "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा । उपकर, वेतन भुगतानों की दशा में स्रोत पर कटौती किए गए कर के संबंध में लागू रहेंगे । ये भारत में अनिवासी व्यक्तियों और देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों के मामले में भी उग्रहीत किए जाएंगे ।

विधेयक का खंड 3 आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (19कक) में कर तटस्थता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए निर्विलयन पद की परिभाषा का उपबंध है, जहां निर्विलयन के अनुसरण में अंतरित उपक्रम की संपत्ति और दायित्व बही मूल्य पर अभिलिखित किए जाएंगे ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बही मूल्य पर संपत्ति और दायित्वों को अभिलिखित करने की अपेक्षा उस दशा में लागू नहीं होगी जहां परिणामी कंपनी द्वारा प्राप्त उपक्रमों के संपत्ति और दायित्व कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना में निर्विलयन से ठीक पहले निर्विलीन कंपनी के लेखा-बहियों में प्रकट मूल्य से भिन्न मूल्य अभिलिखित किए गए हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 4** आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) ऐसी आय के लिए उपबंध करती है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय से संबंधित है ।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (viii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कतिपय आय, जो 5 जुलाई, 2019 को या उसके पश्चात् भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किसी व्यक्ति को संदत्त की गई कोई धनराशि या भारत में अवस्थित अंतरित की गई कोई संपत्ति है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 5** आय-कर अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित न होने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) पात्र विनिधान निधि होने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का उपबंध करती है ।

उक्त उपधारा का खंड (ञ) यह उपबंध करता है कि समग्र निधि का मासिक औसत एक अरब रुपए से कम नहीं होगी । उक्त खंड का पहला परंतुक यह और उपबंध करता है कि जहां निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है वहां समग्र निधि ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में एक अरब रुपए से कम नहीं होगी ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है वहां निधि से, इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में, जो भी पश्चातवर्ती हो, एक अरब रुपए की समग्र निधि को बनाए रखने की शर्त को पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी ।

इसके अतिरिक्त, उक्त उपधारा का खंड (ड) यह उपबंध करता है कि निधि द्वारा पात्र निधि प्रबंधक को उसके द्वारा अपनी ओर से किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप की बाबत संदत्त पारिश्रमिक उक्त क्रियाकलाप की असन्निकट कीमत से कम नहीं है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निधि द्वारा पात्र निधि प्रबंधक को उसके द्वारा उसकी ओर से किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप की बाबत संदत्त पारिश्रमिक उक्त क्रियाकलाप की असन्निकट कीमत के बजाय ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम से कम नहीं है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 6** आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो ऐसी आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक नया खंड (4ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे 17 सितंबर, 2018 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान जारी धारा 194ठग की उपधारा (2) के खंड (iक) में यथा निर्दिष्ट अंकित मूल्य के बंधपत्र के निर्गमन द्वारा भारत के बाहर किसी स्रोत से उधार ली गई धनराशियों के संबंध में किसी ऐसे अनिवासी को, जो कोई कंपनी नहीं है या भारतीय कंपनी या कारबार न्यास द्वारा किसी विदेशी कंपनी को संदेय ब्याज के रूप में किसी आय के संबंध में छूट का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा के खंड (12क) में यह और उपबंधित है कि धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम से अपना खाता बंद करने या उससे बाहर निकलने का विकल्प देने पर किसी निर्धारिती को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से कोई भी संदाय उस परिणाम तक, जहां तक यह उसके खाता बंद करने या स्कीम छोड़ने के विकल्प के समय उसे संदेय कुल रकम के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, कर से छूट प्राप्त होगी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे संदेय उक्त कुल रकम को चालीस प्रतिशत से बढ़ाकर साठ प्रतिशत किया जा सके, जो कर से छूट प्राप्त होगी ।

उक्त खंड (15) में उपखंड (ix) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी इकाई द्वारा किसी अनिवासी को, उसके द्वारा 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् उधार ली गई रकम के संबंध में संदेय ब्याज के रूप में किसी आय को कर से छूट होगी ।

इसमें "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" और "इकाई" पदों को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा के खंड (34क) में धारा 115थक में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा शेयरों के, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं हैं, क्रय द्वारा वापस लेने के मद्दे किसी शेयर धारक को उद्भूत होने वाली किसी छूट के लिए उपबंध करती है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 115थक में यथानिर्दिष्ट किसी कंपनी द्वारा मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध वापस लिए जाने वाले शेयरों के मद्दे किसी शेयर धारक को उद्भूत आय पर भी छूट का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 5 जुलाई, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 7** आय-कर अधिनियम की धारा 12कक का संशोधन करने के लिए है, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का उपखंड (क) अन्य बातों के साथ यह उपबंध करता है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, किसी न्यास या संस्था के आवेदन पर विचार करते समय, उसके क्रियाकलापों की असलियत के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज या जानकारी मंगा सकेगा ।

उक्त उपखंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, क्रियाकलापों की असलियत के अलावा किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं का भी समाधान करेगा, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन लिए सारवान् है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का उपखंड (ख) अन्य बातों के साथ यह उपबंध करता है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, न्यास या संस्था के उद्देश्यों और उसके क्रियाकलापों की असलियत के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् उक्त न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करने या रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार करने का आदेश पारित करेगा ।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, न्यास या संस्था के उद्देश्यों और उसके क्रियाकलापों की असलियत के बारे में स्वयं का भी समाधान करने के अलावा किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में भी स्वयं का यह समाधान करेगा कि वह उसके उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सारवान् है ।

उक्त धारा की उपधारा (4), अन्य बातों के साथ, उस समय रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का उपबंध करती है, यदि यह बात ध्यान में लाई जाती है कि छूट प्राप्त अस्तित्व के क्रियाकलापों को ऐसी रीति में किया जा रहा है, जिसके कारण या तो उसकी संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को छूट प्राप्त होनी बंद हो जाएगी ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि रद्दकरण के विद्यमान आधार के अलावा न्यास या संस्थान में किसी ऐसी अन्य विधि के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है, जिसका अनुपालन इस कारण से अपेक्षित है कि वह उसके उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन लिए तात्विक था और यह अभिनिर्धारित करने वाला आदेश, निदेश या डिक्री, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो कि ऐसा उल्लंघन किया गया है, यदि उसके बारे में कोई विवाद नहीं किया गया है या उसने अंतिमता प्राप्त कर ली है, ऐसे अन्य अतिरिक्त आधार होंगे, जिन पर रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा ।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 8** आय-कर अधिनियम की धारा 13क का संशोधन करने के लिए है, जो राजनैतिक दलों की आय के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि किसी राजनैतिक दल की ऐसी कोई आय, जो "गृह संपत्ति से आय" या "अन्य स्रोतों से आय" या "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है या स्वैच्छिक अभिदायों से प्राप्त हुई आय को ऐसे राजनैतिक दल की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

इस धारा का पहला परंतुक उन शर्तों को अधिकथित करता है, जिन्हें किसी राजनैतिक दल द्वारा पूरा किया जाना होगा ताकि उन पर इस धारा के उपबंध लागू हो सकें ।

उक्त परंतुक के खंड (घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति को विहित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके, जिसके माध्यम से राजनैतिक दल भी दो हजार रुपए से अधिक का संदान प्राप्त कर सकेंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 9** आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा किसी निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए किसी विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपगत पूंजी प्रकृति के संपूर्ण किसी व्यय की बाबत उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें उसके द्वारा ऐसा व्यय उपगत किया गया है, कटौती करने का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (8) के खंड (च) में यह उपबंधित है कि 'पूंजी प्रकृति के किसी व्यय' पद में कोई ऐसा व्यय सम्मिलित नहीं होगा जिसके संबंध में निर्धारिती किसी व्यक्ति के किसी एक दिवस में किसी बैंक पर आहरित किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके संदाय करने से भिन्न ऐसा कोई संदाय या कुल संदाय किए जाते हैं, जो दस हजार रुपए से अधिक है ।

उक्त खंड (च) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को यह उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके कि ऐसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित किया जाए, किया गया संदाय भी कटौती के रूप में अनुज्ञात होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 10** आय-कर अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (i) में यह उपबंधित है कि जहां, किसी निर्धारिती की दशा में, कर की कटौती, आय-कर अधिनियम के अधीन प्रभार्य ब्याज (जो अप्रैल, 1938 के प्रथम दिन से पूर्व सार्वजनिक अभिदान के लिए पुरोधृत उधार पर ब्याज नहीं है), स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या अन्य राशि की प्रकृति की किसी ऐसी रकम के संदाय पर, जो भारत के बाहर या भारत में किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी नहीं है, या विदेशी कंपनी को संदेय है,जिस पर अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर की जाएगी और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या ऐसी कटौती के पश्चात् उसका संदाय नहीं किया गया है या आय की विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या उसके पहले उसका संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसी राशि की रकम, कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

उक्त उपखंड के परंतुक में यह विनिर्दिष्ट है कि जहां किसी ऐसी राशि की बाबत, कर की कटौती किसी पश्चातवर्ती वर्ष में की गई है या कटौती पूर्ववर्ष के दौरान की गई है किंतु उसका संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् किया गया है वहां उस राशि को ऐसे पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है ।

उपखंड में एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि जहां कोई निर्धारिती, किसी ऐसी राशि पर अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, किंतु उसे धारा 201 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, वहां उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि निर्धारिती ने, धारा 201 की उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट आदाता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को उस राशि पर कर की कटौती कर ली है और उसका संदाय कर दिया है ।

धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (ic) के दूसरे परंतुक में "निवासी" शब्द का लोप करने के लिए उसी प्रकार के पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 11** आय-कर अधिनियम की धारा 40क का संशोधन करने के लिए है, जो व्यय का संदाय, जो कतिपय दशाओं में कटौती योग्य नहीं है, से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) ऐसे किसी व्यय के संबंध में मोक न देने का उपबंध करती है, जिसके लिए निर्धारिती, किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके संदाय करने से भिन्न ऐसा कोई संदाय करता है (या कुल संदाय करता है), जो दस हजार रुपए से अधिक है ।

उक्त उपधाराओं का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को यह नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके, जिसके द्वारा यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से जो विहित किया जाए, किए गए किसी संदाय को भी कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 12** आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है, जो कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) "वास्तविक लागत" पद को परिभाषित करती है, जिससे निर्धारिती की आस्तियों की ऐसी वास्तविक लागत अभिप्रेत होगी, जिसमें से लागत के उस भाग को, यदि कोई हो, घटा दिया जाए, जिसकी पूर्ति किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः की गई है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां निर्धारिती किसी ऐसी आस्ति या उसके भाग के अर्जन के लिए कोई व्यय उपगत करता है, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को किसी एक दिवस में किसी बैंक पर आहरित किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके संदाय करने से भिन्न ऐसा कोई संदाय या कुल संदाय किए जाते हैं, जो दस हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसे व्यय को वास्तविक लागत के अवधारण के प्रयोजनों के लिए छोड़ दिया जाएगा ।

उक्त दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को यह नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके, कि ऐसी इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित किया जाए, किए गए किसी संदाय की वास्तविक लागत के अवधारण के प्रयोजनों के लिए अनदेखी नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 13** आय-कर अधिनियम की धारा 43ख का संशोधन करने के लिए है, जो वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (घ) यह उपबंध करता है कि ऐसी कटौती, जो किसी ऐसी राशि की बाबत, जो निर्धारिती द्वारा किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से लिए गए किसी ऋण या उधार को शासित करने वाले करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार, ब्याज के रूप में संदेय है, को केवल ऐसे उधार लेने वाले की उस पूर्ववर्ती वर्ष में, जिसमें ऐसी राशि का उसके द्वारा वस्तुतः संदाय किया गया है, आय की संगणना में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

खंड (घक) अंतःस्थापित करके उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या निक्षेप लेने वाली किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी से किसी ऋण या उधार की दशा में, निर्धारिती द्वारा ऐसे ऋण या उधार को शासित करने वाले करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऐसी राशि पर ब्याज के रूप में संदेय किसी राशि की कटौती को केवल ऐसे उधार लेने वाले की, उस पूर्ववर्ती वर्ष में, जिसमें ऐसी राशि का उसके द्वारा वस्तुतः संदाय किया गया है, आय की संगणना में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

उक्त धारा में स्पष्टीकरण 3कक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां इस धारा के खंड (घक) में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत कोई कटौती, उस पूर्ववर्ती वर्ष में (जो 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष है) धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना में अनुज्ञात की जाती है, जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि को संदाय करने का दायित्व उपगत हुआ है, वहां निर्धारिती उस पूर्ववर्ती वर्ष की, जिसमें राशि का उसके द्वारा वस्तुतः संदाय किया गया है, आय की संगणना में इस धारा के अधीन ऐसी राशि की बाबत किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।

उक्त धारा में यह उपबंध करने के लिए स्पष्टीकरण 3गक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव कि किसी ऐसी राशि की कटौती, जो इस धारा के खंड (घक) के अधीन संदेय ब्याज है, तभी अनुज्ञात होगी, जब ऐसे ब्याज का वस्तुतः संदाय किया गया है और उक्त खंड में निर्दिष्ट कोई ब्याज, जिसे ऋण या उधार में संपरिवर्तित कर दिया गया है, वस्तुतः संदाय किया हुआ नहीं समझा जाएगा ।

"निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" तथा "सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" पदों को परिभाषित करने के लिए उक्त धारा के स्पष्टीकरण 4 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 14** आय-कर अधिनियम की धारा 43गक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि जहां आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल का मूल्य नियत करने संबंधी करार की तारीख और ऐसी आस्ति के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक नहीं है, वहां ऐसी आस्ति के अंतरण के प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को, करार की तारीख को स्टांप शुल्क मूल्य के रूप में लिया जाएगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि उपधारा (3) के उपबंध केवल उन मामले में लागू होंगे, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग आस्ति के अंतरण संबंधी करार की तारीख को या उसके पूर्व पाने वाले के खाते में देय किसी चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके प्राप्त किया गया है ।

उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को यह उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके कि उपधारा (3) के उपबंध उन मामलो के सम्बन्ध में भी लागू होंगे जिसमें प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति, जो विहित की जाए, द्वारा प्राप्त किया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 15** आय-कर अधिनियम की धारा 43घ का संशोधन करने के लिए है, जो लोक वित्तीय संस्थाओं, पब्लिक कंपनियों, आदि की आय की दशा में विशेष उपबंध से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा का खंड (क) यह उपबंध करता है कि किसी लोक वित्तीय संस्था, अनुसूचित बैंक, प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न सहकारी बैंक, राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम की दशा में, डूबंत या शंकास्पद ऋणों के कतिपय विहित प्रवर्गों के संबंध में ब्याज के माध्यम से हुई आय ऐसे कर से तब प्रभार्य होगी, जब इसे वस्तुतः प्राप्त

किया जाता है या जब उसे ऐसे अस्तित्व के लाभ और हानि लेखा में जमा किया जाता है, इसमें जो भी पूर्वतर हो ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के प्रति निर्देश को अंतःस्थापित किया जा सके, ताकि इस धारा के उपबंध के फायदे का विस्तार उक्त अस्तित्वों पर किया जा सके ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में "निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी", "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" और "सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपना" पदों को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 16** आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ का संशोधन करने के लिए है, जो उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि धारा 28 से धारा 43ग में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पात्र निर्धारिती की दशा में जो किसी पात्र कारबार में लगा हुआ है, यथास्थिति, ऐसे कारबार मद्दे पूर्ववर्ष में निर्धारिती के, कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत तक की राशि या पूर्वोक्त राशि से उच्चतर राशि जिसका पात्र निर्धारिती द्वारा अर्जित किए जाने का दावा किया गया है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ समझी जाएगें :

उपधारा (1) का परंतुक यह उपबंध करता है कि कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों की उस रकम की बाबत, जिसे किसी पूर्ववर्ष के दौरान या धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख से पूर्व उस पूर्ववर्ष के संबंध में पाने वाले के खाते में देय किसी चैक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक या समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके प्राप्त किया गया है, वहां ऐसी राशि के छह प्रतिशत के बराबर या उच्चतर राशि को कारबार और वृत्ति के लाभों और अभिलाभों के रूप में समझा जाएगा ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को यह उपबंध करने के लिए नियम बनाने को सशक्त किया जा सके कि पात्र निर्धारिती उपधारणात्मक कराधान प्रणाली के लिए विकल्प दे सकता है यदि वह इलैक्ट्रानिक पद्धति, जो विहित की जाए, से प्राप्त आवर्त के लाभ को छह प्रतिशत या अधिक की दर से घोषित करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 17** आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है, जो ऐसे संव्यवहारों से संबंधित है, जो अंतरण के रूप में नहीं माने गए हैं ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, जो किसी अनिवासी द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से किया गया है, जो धारा 115कग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बंधपत्र या वैश्विक निक्षेपागार रसीद है या किसी भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित मूल्य में बंधपत्र है या व्युत्पन्न है और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल को विदेशी मुद्रा में संदत्त किया गया है या उसमें संदेय है, अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, जो किसी विनिर्दिष्ट निधि द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से किया गया है, जो धारा 115कग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बंधपत्र या वैश्विक निक्षेपागार रसीद है या किसी भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित मूल्य में बंधपत्र है या व्युत्पन्न है और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल को विदेशी मुद्रा में संदत्त किया गया है या उसमें संदेय है, अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसी प्रतिभूतियों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं, का किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अंतरण, किसी अनिवासी या विनिर्दिष्ट निधि के हाथ में अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा ।

धारा 47 के खण्ड (viiकख) के स्पष्टीकरण में "प्रतिभूति", " विनिर्दिष्ट", "निधि न्यास", "यूनिट" और "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" पदों की परिभाषाओं को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 18** आय-कर अधिनियम की धारा 50ग का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उपधारा (1) का दूसरा परंतुक यह विनिर्दिष्ट करता है कि पहला परंतुक केवल उस मामले में लागू होगा, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग आस्ति के अंतरण के लिए करार की तारीख को या उससे पूर्व किसी पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी बैंक खाते की मार्फत इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा प्राप्त किया गया हो ।

उक्त दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को नियमों द्वारा यह उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके कि पहले परंतुक के उपबंध उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे, जिसमें प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति, जो विहित की जाए, द्वारा प्राप्त किया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 19** आय-कर अधिनियम की धारा 50गक का संशोधन करने के लिए है, जो कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि जहां निर्धारिती द्वारा किसी पूंजीगत आस्ति के, जो किसी कंपनी के कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर है, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित ऐसे शेयर के उचित बाजार मूल्य से कम है, तो इस प्रकार अवधारित मूल्य, पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध प्राप्त या प्रोद्भावी किसी ऐसे प्रतिफल को लागू नहीं होंगे, जो व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा अंतरण के परिणामस्वरूप और ऐसी शर्तों के, जो विहित की जाए, अध्यधीन हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 20** आय-कर अधिनियम की धारा 54छख का संशोधन करने के लिए है, जो आवासिक संपत्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किए जाने से संबंधित है ।

उक्त धारा में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि जहां पूंजी अभिलाभ पात्र निर्धारिती के (जिसे इसमें निर्धारिती कहा गया है) स्वामित्वाधीन किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो आवासिक संपत्ति (कोई गृह या भूखंड) है, अंतरण से उद्भूत होता है; और निर्धारिती, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत किए जाने की नियत तारीख के पूर्व, शुद्ध प्रतिफल का किसी पात्र कंपनी के (जिसे इसमें कंपनी कहा गया है) साधारण शेयरों में अभिदाय के लिए उपयोग करता है; और कंपनी ने, निर्धारिती द्वारा साधारण शेयरों में अभिदाय करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इस रकम का उपयोग नई आस्ति के क्रय के लिए किया है, वहां इस प्रकार उपयोग की गई रकम पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभारित नहीं होगी । इसमें यह और उपबंधित है कि नई आस्ति को अपने अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर विक्रीत या अन्यथा अंतरण नहीं किया जाएगा; 31 मार्च, 2017 के पश्चात् किए गए आवासिक संपत्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ (31 मार्च, 2019 को पात्र स्र्टाट-अप की दशा में) उक्त धारा के अधीन फायदे का पात्र नहीं होगा और निर्धारिती के पास पात्र कंपनी के शेयरों में अभिदाय के पश्चात् पचास प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी या पचास प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पात्र स्टार्ट-अप की दशा में ऐसी नई आस्ति के, जो कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर है, अर्जन की तारीख से अंतरण पर पांच वर्ष के स्थानपर तीन वर्ष का निर्बंधन लागू होगा ; 31 मार्च, 2021 तक किए गए आवासिक संपत्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ इस धारा के अधीन फायदे के पात्र होंगे और निर्धारिती के पास पात्र कंपनी में शेयरों के अभिदाय के पश्चात् पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी या पच्चीस प्रतिशत से अधिक मतदान का अधिकार होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 21** आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा 2 का खण्ड (viiख) के विद्यमान उपबंध,यह उपबंध करते हैं कि जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, किसी पूर्ववर्ष में, ऐसे व्यक्ति से, जो निवासी है, शेयरों के पुरोधरण के लिए ऐसा कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, वहां ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल, जो शेयरो के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, कर से प्रभार्य नहीं होगा, यदि शेयरो के पुरोधरण के लिए प्राप्त प्रतिफल किसी जोखिम पूंजी कंपनी या किसी जोखिम पूंजी निधि से जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा या व्यक्तियों के ऐसे किसी वर्ग या वर्गों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, किसी कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाता है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध है, किसी पूर्ववर्ष में किसी व्यक्ति से, जो निवासी है, शेयरों के पुरोधरण के लिए ऐसा कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, वहां ऐसे शेयरों के पुरोधरण के लिए कुल प्रतिफल, जो शेयरों के अंकित बाजार मूल्य से अधिक है, कर से प्रभारित नहीं होगा, यदि शेयरों के पुरोधरण के लिए प्रतिफल किसी विनिर्दिष्ट निधि से किसी जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है ।

"विनिर्दिष्ट निधि" पद को भी परिभाषित करने का प्रस्ताव है ।

उक्त खण्ड में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यह खंड पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना में अधिकथित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए किसी कंपनी को लागू नहीं किया गया है और कंपनी ऐसी शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहती है, वहां ऐसे शेयर के पुरोधरण के लिए प्राप्त कोई प्रतिफल, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें उक्त शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन करने में असफलता हुई है, आय-कर से प्रभार्य कंपनी की आय समझा जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (viii) में यह उपबंध किया गया है कि धारा 145क के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिकर या बढ़ाए हुए प्रतिकर पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय कर से प्रभार्य होगी ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें धारा 145ख की उपधारा (1) के निर्देश के साथ धारा 145क के खंड (ख) के निर्देश को प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (x) के उपखंड का दूसरा परंतुक यह विनिर्दिष्ट करता है कि पहला परंतुक केवल उस दशा में लागू होगा, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग, किसी खाते में देय चैक या खाते में देय मांगदेय पत्र या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करते हुए, आस्ति के अंतरण के लिए करार की तारीख को या उससे पूर्व प्राप्त किया गया है ।

उक्त दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को यह उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके कि पहला परंतुक उन मामलों के संबंध में भी लागू होगा, जहां प्रतिफल की रकम या उसका भाग किसी इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए, प्राप्त किया गया है ।

उक्त खण्ड (x) का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां ऐसा कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से किसी संपत्ति को प्रतिफल के बिना प्राप्त करता है, जिसका कुल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी संपत्ति के कुल उचित बाजार का समग्र मूल्य या किसी प्रतिफल के लिए प्राप्त करता है, जो ऐसी संपत्ति के कुल उचित बाजार मूल्य के पचास हजार रुपए से अधिक की रकम से कम है, तो ऐसी संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है, ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय होगी ।

उक्त खण्ड (x) के परंतुक में एक नया परंतुक (xi) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से प्राप्त कोई धनराशि या संपत्ति तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्तियों की आय नहीं होगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 22** आय-कर अधिनियम की धारा 79 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना से संबंधित है और जो यह उपबंध करती है कि किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है, पूर्ववर्ष में शेयरधृति में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां किसी भी ऐसी हानि को, जो उस पूर्ववर्ष के किसी पूर्ववर्ष में उपगत हुई थी, तब तक अग्रनीत नहीं किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेयर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित है, न रहे हों, जो उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेयरों को फायदाप्रद रूप से धारण करते थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का परंतुक उपबंध करता है कि यदि धारा 80झकग में यथानिर्दिष्ट किसी पात्र स्टार्ट-अप की दशा में पूर्वोक्त शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, वहां पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में उपगत हानि को पूर्ववर्ती वर्ष की आय के विरुद्ध अग्रनीत किया जाएगा और उसका मुजरा किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी के सभी शेयरधारक, जो वर्ष या वर्षों के अंतिम दिन, जिसमें हानि उपगत हुई थी, उन शेयरों को ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन धारण करना जारी रखते हैं और ऐसी हानि उस वर्ष से प्रारंभ होने वाले सात वर्षों के दौरान, जिनमें ऐसी कंपनी निगमित हुई है, उपगत हुई है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां उक्त मतदान शक्ति और शेयरधारण में कोई परिवर्तन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किसी शेयरधारक की मृत्यु या शेयरधारक के किसी नातेदार को उपहार के माध्यम से ऐसा उपहार करने वाले शेयरधारक के शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप होता है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी भारतीय कंपनी के शेयरधारण में किसी परिवर्तन को लागू नहीं होगी, जो किसी विदेशी कंपनी के समामेलन या आमेलन के इस शर्त के अधीन रहते हुए कि समामेलित या आमेलित विदेशी कंपनी के इक्यावन प्रतिशत शेयर समामेलित कंपनी के या पारिणामिक विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं, के परिणामस्वरूप होता है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी कंपनी को लागू नहीं होगी, जहां शेयरधारण में कोई परिवर्तन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् दिवाला और शोधन क्षमता संहिता, 2016 द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के परिणामस्वरूप हुआ है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (घ) यह उपबंध करता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी कंपनी को और उसकी समनुषंगियों तथा ऐसी समनुषंगी की समनुषंगियों को लागू नहीं होगी, जहां :—

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन लाई गई याचिका पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड को निलंबित कर दिया है और नए निदेशकों की नियुक्ति की है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है ; और

(ii) ऐसी कंपनी और उसकी समनुषंगियों तथा ऐसी समनुषंगी की समनुषंगी कंपनी के शेयरधारण में कोई परिवर्तन पूर्व वर्ष में अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के परिणामस्वरूप हुआ है ।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी यदि ऐसी अन्य कंपनी, कंपनी की साम्या शेयर पूंजी के आधे से अधिक अभिहित मूल्य को धारण करती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 23** आय-कर अधिनियम की धारा 80ग का संशोधन करने के लिए है, जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसे निर्धारिती द्वारा जो केंद्रीय सरकार का कर्मचारी है, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के किसी विनिर्दिष्ट खाते में, कम से कम तीन वर्षों की नियत अवधि के लिए ऐसे अभिदाय के रूप में संदत्त या जमा की गई कोई रकम, जो ऐसी स्कीम के अनुसार है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, कटौती के लिए पात्र होगी और उक्त खंड में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके "विनिर्दिष्ट खाते" पद को भी परिभाषित करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 24** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ का संशोधन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंधित है कि कर्मचारी के खाते में केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा किए गए अभिदाय के संबंध में, निर्धारिती को, उसकी कुल आय की संगणना में केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा अभिदाय की गई ऐसी संपूर्ण रकम, जो पूर्व वर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा में निर्दिष्ट कर्मचारी के खाते में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी अभिदाय के संबंध में निर्धारिती को, उसकी कुल आय की संगणना में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिदाय की गई ऐसी संपूर्ण रकम, जो पूर्व वर्ष में उसके वेतन के चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं है, की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 25** आय-कर अधिनियम में नई धारा 80ङङक और धारा 80ङङख अंतःस्थापित करने के लिए है,जो आयकर अधिनियम की कतिपय आवासीय संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती और विद्युत यान के क्रय की बाबत कटौती से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा 80ङङक, किसी वित्तीय संस्था से आवासीय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज के संबंध में उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों

के अधीन रहते हुए, एक लाख पचास हजार रुपए तक की कटौती का उपबंध करती है ।

प्रस्तावित नई धारा 80ङङख किसी वित्तीय संस्था से किसी वैद्युत यान के क्रय के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए एक लाख पचास हजार रुपए तक की कटौती के लिए उपबंध करने के लिए है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 26** आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक का संशोधन करने के लिए है, जो गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न कोई भी लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां कतिपय शर्तों के अधीन ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् अनुमोदित गृह निर्माण परियोजना इस धारा के अधीन कटौती की पात्र तभी होगी, जब गृह निर्माण परियोजना में समाविष्ट निवासी इकाई का कारपेट क्षेत्र उस दशा में साठ मीटर से अधिक नहीं है, जहां परियोजना बैंगलूरू, चैन्नेई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई (संपूर्ण मुम्बई महानगरक्षेत्र) महानगरों के भीतर अवस्थित है या उस दशा में नब्बे वर्गमीटर से अधिक नहीं है, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान में अवस्थित है ; और यदि गृह निर्माण परियोजना में आवासीय इकाई का स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

"स्टांप शुल्क मूल्य" पद को परिभाषित करने के लिए भी उक्त धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 27** आय-कर अधिनियम की धारा 80ञञकक का संशोधन करने के लिए है, जो नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती से संबंधित है ।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (i) के पहले परंतुक का खंड (ख) यह विनिर्दिष्ट करता है कि किसी विद्यमान कारबार के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारी लागत उस समय शून्य होगी यदि परिलब्धियों का संदाय, किसी बैंक खाते के माध्यम से बैंक खाते में देय चैक या खाते में देय मांगदेय पत्र या किसी इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करने से अन्यथा रीति से किया जाता है ।

उक्त खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को यह नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके, जिसके द्वारा यह उपबंध किया जा सकेगा कि किसी विद्यमान कारबार की दशा में, अतिरिक्त कर्मचारी लागत के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती उस समय अनुज्ञात की जाएगी, यदि ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों की परिलब्धियों का संदाय किसी ऐसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति से किया जाता है, जो विहित की जाए ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 28** आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक का संशोधन करने के लिए है, जो अपतट बैंककारी यूनिटों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय (i) जो अनुसूचित बैंक या भारत से बाहर किसी देश की विधियों द्वारा या उनके अधीन निगमित कोई बैंक है और जिसकी विशेष आर्थिक जोन में अपतट बैंककारी यूनिट है या (ii) जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिट है, जिसमें उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, ऐसी आय में से, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय (क) सौ प्रतिशत और उसके पश्चात् (ख) पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त धारा का उपधारा (1) को उपधारा (1) और उपधारा (1क) के द्वारा प्रतिस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की किसी यूनिट के संबंध में उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कटौती को दस वर्ष के लिए एक सौ प्रतिशत पर अनुज्ञात किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, कटौतियां, निर्धारिती के विकल्प पर, उसके द्वारा उस पूर्ववर्ष, जिसमें उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अनुज्ञा अभिप्राप्त की गई थी, से सुसंगत वर्ष आरंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए दावा किया जा सकेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 29** आय-कर अधिनियम की धारा 92गघ का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम मूल्यांकन करार का प्रभावी रूप देना से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि यदि किसी पूर्ववर्ष से, जिसे करार लागू होता है, सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण कार्यवाहियां उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात अवधि के अवसान से पूर्व पूरी कर ली जाती हैं, तो निर्धारण अधिकारी उस मामले में, जहां उपांतरित विवरणी उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार फाइल की जाती है, करार के अनुसार और उसे ध्यान में रखते हुए सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण या उसकी पुनःसंगणना करने की कार्यवाही करेगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी उस मामले में, जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी फाइल की जाती है, अग्रिम मूल्यांकन करार को ध्यान में रखते हुए और उसके निबंधनों के अनुसार, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण में अवधारित कुल आय को उपांतरित करते हुए आदेश पारित करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5) में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 30** आय-कर अधिनियम की धारा 92गङ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में द्वितीय समायोजन से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि निर्धारिती उस दशा में द्वितीय समायोजन करेगा, जहां कतिपय रूपों में अंतरण कीमत में प्राथमिक समायोजन किया जाता है । उक्त धारा के परंतुक में उन दशाओं में छूट का उपबंध है, जहां किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए प्राथमिक समायोजन की रकम एक करोड़ रुपए की सीमा से अधिक नहीं है और प्राथमिक समायोजन 1 अप्रैल, 2016 को या उससे पहले आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किया गया है ।

उक्त उपधारा के खंड (iii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां अंतरण कीमत में प्राथमिक समायोजन, निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् धारा 92गग के अधीन किए गए किसी अग्रिम मूल्यांकन करार द्वारा अवधारित किया जाता है, वहां द्वितीय समायोजन लागू होगा ।

उपधारा (1) में एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के उपबंधों के, जैसे वे इस विधेयक द्वारा उनका संशोधन किए जाने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, कारण संदत्त किन्हीं करों का, यदि कोई हों, कोई दावा या उन्हें अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि सहयुक्त उपक्रम को उपलब्ध अतिरिक्त धन विहित समय के भीतर ऐसे सहयुक्त उपक्रम से भारत में संप्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और संप्रत्यावर्तित नहीं किए जाने की दशा में उस पर ब्याज की संगणना उसे ऐसे सहयुक्त उपक्रम का अग्रिम समझते हुए की जाएगी ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अतिरिक्त धन या उसके भाग पर ब्याज की संगणना की जाएगी और यह कि अतिरिक्त धन को ऐसे सहयुक्त उपक्रम के अतिरिक्त जिसके पास अतिरिक्त धन उपलब्ध है, निर्धारिती के किसी ऐसे सहयुक्त उपक्रम से संप्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जो भारत में निवासी नहीं है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगें और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा में उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस दशा में, जहां अतिरिक्त धन या उसका भाग समय पर संप्रत्यावर्तित नहीं किया गया है, वहां ब्याज की गणना की विद्यमान अपेक्षा के अतिरिक्त निर्धारिती के पास ऐसे अतिरिक्त धन या उसके भाग पर अठारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने का विकल्प होगा ।

उक्त धारा में उपधारा (2ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा उपधारा 2क के अधीन अतिरिक्त धन या उसके भाग पर इस प्रकार संदत्त कर को असंप्रत्यावर्तित अतिरिक्त धन या उसके किसी भाग के संबंध में अंतिम संदाय समझा जाएगा और इस प्रकार संदत्त कर की रकम के संबंध में निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को उसके लिए कोई और प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा या दावा नहीं किया जाएगा ।

उक्त धारा में उपधारा (2ग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस रकम की बाबत, जिस पर उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय किया गया है, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा में उपधारा (2घ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि निर्धारिती उपधारा (2क) में निर्दिष्ट अतिरिक्त कर का संदाय करता है तो उससे उपधारा (1) के अधीन द्वितीय समायोजन करने या ऐसे कर के संदाय की तारीख से उपधारा (2) के अधीन ब्याज की संगणना करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

ये संशोधन 1 सितम्बर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 31** आय-कर अधिनियम की धारा 92घ को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज के रखरखाव और रखने से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा कतिपय व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज के रखरखाव, रखने और प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करती है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) कोई अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा और धारा 286 में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक अस्तित्व द्वारा विहित जानकारी और दस्तावेज को रखने और उसे बनाए रखने का उपबंध करती है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) बोर्ड को वह अवधि विहित करने के लिए सशक्त बनाती है जिसके लिए उक्त जानकारी और दस्तावेज रखे जाएगें ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस संबंध में जारी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, जो ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर तीस दिन तक और बढ़ाई जा सकती है, उसमें निर्दिष्ट जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करे ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट घटक अस्तित्व धारा 286 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी को ऐसी रीति में, ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो विहित की जाए, उसमें निर्दिष्ट अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 32** आय-कर अधिनियम की धारा 111क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (क) यह उपबंध करता है कि "साम्योन्मुखी निधि" का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (38) के स्पष्टीकरण में उसका है ।

उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "साम्योन्मुखी निधि" का वही अर्थ होगा, जो धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 33** आय-कर अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने के लिए है जो विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि अधिनियम के अध्याय 6क के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी करदाता को ऐसी आय से, जिसके संबंध में कर का अवधारण उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार किया गया है, कोई कटौती खंड (क) में यथा निर्दिष्ट आय की बाबत अनुज्ञात या उसके खंड (ख) में उपबंधित रीति में अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां ऐसे निर्धारिती की केवल उक्त उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट आय है या उसमें ऐसी आय सम्मिलित है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इसमें अंतर्विष्ट कोई बात, आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक के अधीन कटौती का दावा करने के प्रयोजन के लिए किसी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिट को लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 34 आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा कतिपय कंपनियों पर बही लाभ के आधार पर कर के उद्ग्रहण का उपबंध करती है, जो कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखा में प्रकट शुद्ध लाभ के कतिपय समायोजन करने के पश्चात् अवधारित की जाती है । इसमें यह भी उपबंध है कि ऐसी कंपनी के मामले में, जिसके विरुद्ध दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा निगमित दिवालिया समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन ग्रहण किया गया है, अनामेलित अवक्षयण की कुल रकम और अग्रणीत हानि बही लाभ घटाने के लिए अनुज्ञात होगी और अवक्षयण में हानि सम्मिलित नहीं होगी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनामेलित अवक्षयण और अग्रणीत हानि (अवक्षयण को छोड़कर) की कुल रकम को किसी कंपनी के मामले में बही लाभ से घटाने की भी अनुज्ञा दी जाएगी और उसकी अनुषंगी और ऐसी अनुषंगी की अनुषंगी को, जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए आवेदन पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल को हटा दिया है और नए निदेशकों की नियुक्ति कर दी है, जो उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

उक्त धारा में ये संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई कंपनी, दूसरी कंपनी की अनुषंगी होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी, कंपनी के सांकेतिक साम्या शेयर पूंजी के सांकेतिक मूल्य में आधे से अधिक, धारित करती है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 35** आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है, जो देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (8) में, यह उपबंधित है कि इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई है, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में व्युत्पन्न एकमात्र आय के रूप में ऐसे लाभांश को प्राप्त करने वाली कंपनी या व्यक्ति के हाथों में वर्तमान आय में से 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा) ऐसी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में एकमात्र आय से व्युत्पन्न कुल आय की बाबत वितरित लाभ पर कोई कर प्रभार्य नहीं होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे 1 अप्रैल, 2017 के पश्चात् संचित आय को उक्त उपधारा की परिधि में सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 36** आय-कर अधिनियम की धारा 115थक का संशोधन करने के लिए है जो शेयर धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि देशी कंपनी किसी शेयरधारक से ऐसे वापस लिए जाने वाले शेयरों पर, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं है, वितरित आय पर बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध वापस लिए जाने वाले शेयरों को भी लागू होंगे ।

यह संशोधन 5 जुलाई, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 37** आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की किसी रकम पर कर प्रभार्य होगा और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि ऐसी वितरित आय पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने की दायी होगी ।

उक्त उपधारा का, एक परंतुक अंतःस्थापित करके, संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए संव्यवहार से किसी विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि द्वारा व्युत्पन्न अपनी आय में से वितरित आय की किसी रकम की बाबत कोई अतिरिक्त आय-कर प्रभार्य नहीं होगा ।

उक्त धारा में "विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि", "इकाई", "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" और "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" पदों की परिभाषा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 38** आय-कर अधिनियम की धारा 115पख का संशोधन करने के लिए है, जो विनिधान निधि और उसके यूनिट धारकों की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (i), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि किसी पूर्व वर्ष के लिए किसी विनिधान निधि की किसी हानि को, जो किसी कारबार आय से भिन्न किसी अन्य आय को प्राप्त छूट को प्रभावी किए बिना, आय के किसी शीर्ष के अधीन

विनिधान निधि की कुल आय की संगणना का शुद्ध परिणाम है और जिसका पूर्णतया उक्त पूर्व वर्ष की आय के किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के प्रति पूर्णतया मुजरा नहीं किया जा सकता या जिसका मुजरा नहीं किया गया है, अग्रनीत करने की और अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार उसका मुजरा करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

उक्त उपधारा का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि ऐसी हानि यूनिट धारक को प्रोदभूत या उदभूत या प्राप्त नहीं होगी ।

उक्त उपखंडों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,—

"(i) "लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन संगणना के परिणामस्वरूप विनिधान निधि को हुई हानि को, यदि कोई हो, अग्रनीत किए जाने की अनुज्ञा दी जाएगी और अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार उसका मुजरा विनिधान निधि द्वारा किया जाएगा और ऐसी हानि यूनिट धारक को प्रोदभूत या उदभूत या प्राप्त नहीं होगी ; और

(ii) कोई अन्य हानि, यदि कोई हो, यूनिट धारक को प्रोदभूत या उदभूत या प्राप्त नहीं होगी, यदि ऐसी हानि किसी ऐसी यूनिट की बाबत उदभूत हुई है, जिसे यूनिट धारक द्वारा न्यूनतम बारह मास की अवधि के लिए धारित नहीं किया गया है ।

उक्त उपधारा में एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न किसी हानि, यदि कोई हो, जो 31 मार्च, 2019 को विनिधान निधि के स्तर पर संचित हुई है, यूनिट धारक द्वारा विनिधान निधि में किए गए विनिधानों की बाबत ऐसे यूनिट धारक की हानि के रूप में समझा जाएगा, जो 31 मार्च, 2019 को ऐसी यूनिट को धारण कर रहा था और ऐसे यूनिट धारक को, उस वर्ष से, जिसमें प्रथम बार हानि उदभूत हुई थी, उस वर्ष को प्रथम वर्ष के रूप में मानते हुए संगणित शेष अवधि के लिए अग्रनीत करने की अनुज्ञा दी जाएगी और हानि का उसके द्वारा अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार मुजरा किया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त हानि विनिधान निधि के लिए उपलब्ध नहीं होगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 39** आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), उसमें विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत किए जाने के लिए उपबंध करती है ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उपबंध किया जा सके, जिससे उक्त उपधारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान,—

(i) किसी बैंककारी कंपनी या किसी सहकारी बैंक के साथ रखे गए एक या अधिक चालू खातों में एक करोड़ रुपए से अधिक किसी रकम या कुल रकमों को जमा करता है ; या

(ii) किसी विदेश की यात्रा करने के लिए स्वयं हेतु या किसी अन्य व्यक्ति के लिए दो लाख रुपए से अधिक किसी रकम या कुल रकमों का व्यय उपगत करता है ; या

(iii) विद्युत के उपभोग के मद्दे एक लाख रुपए से अधिक रकम या कुल रकमों का व्यय उपगत करता है ; या

(iv) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं ।

उक्त उपधारा का आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उपबंध किया जा सके, जो धारा 54, धारा 54ख, धारा 54घ, धारा 54ङग, धारा 54च, धारा 54छ, धारा 54छक और धारा 54छख के अधीन किसी गृह या बंधपत्र या किसी अन्य आस्ति में विनिधान के लिए पूंजी अभिलाभ के फायदे के रोल ओवर के लिए दावा कर रहा है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 40** आय-कर अधिनियम की 139क का संशोधन करने के लिए है, जो स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि इसमें विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जिसे कोई स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है, निर्धारण अधिकारी को स्थायी लेखा संख्यांक दिए जाने के लिए आवेदन करेगा ।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (vii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे संव्यवहार करने का आशय रखता है जो बोर्ड द्वारा राजस्व के हित में विहित किया जाए, स्थायी लेखा संख्या देने के लिए निर्धारण अधिकारी को भी आवेदन करेगा ।

उक्त धारा में यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (5ड.) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के अधीन अपना स्थायी लेखा संख्यांक देने या सूचित करने या हवाला देने की अपेक्षा की है, और जिसे स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है और जो आधार संख्यांक रखता है, स्थायी लेखा संख्यांक के बदले में अपना आधार संख्यांक प्रस्तुत कर सकेगा या उसकी सूचना दे सकेगा या उसका हवाला दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्थायी लेखा संख्यांक दिया जाएगा । यह और कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे स्थायी लेखा संख्यांक दे दिया गया है और जिसने धारा 139कक की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपना आधार संख्यांक सूचित कर दिया है और वह स्थायी लेखा संख्यांक के बदले अपना आधार संख्यांक दे सकेगा या सूचित कर सकेगा या उसका हवाला दे सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (6) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का भी प्रस्ताव है कि उपधारा (5) के खंड (ग) के अधीन विहित किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह भी सुनिश्चित करेगा कि, यथास्थिति, स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्या का सम्यक् रूप से हवाला दिया गया है ।

इसमें यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (6क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसा संव्यवहार, जो विहित किया जाए, करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे संव्यवहारों से संबंधित दस्तावेजों में अपने, यथास्थिति, स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक का हवाला देगा और ऐसे स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणपित भी करेगा ।

इसमें यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (6ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि उपधारा (6क) के अधीन विहित संव्यवहारों से

संबंधित किन्हीं दस्तावेजों को प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि दस्तावेजों में, यथास्थिति, स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक का सम्यक् रूप से हवाला दिया गया हो और यह भी सुनिश्चित करेगा कि एसा स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक अधिप्रमाणित हो ।

इसमें बोर्ड को, नियमों द्वारा ऐसे संव्यवहारों के प्रवर्ग, जिसके संबंध में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऐसे संव्यवहारों से संबंधित दस्तावेजों में आधार संख्यांक का हवाला दिया जाएगा और वह रीति, जिसमें आधार संख्यांक का हवाला दिया जाएगा, विहित करने हेतु सशक्त करने का भी प्रस्ताव है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में ''आधार संख्यांक'' और ''अधिप्रमाणन'' पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 41** आय-कर अधिनियम की धारा 139कक का संशोधन करने के लिए है, जो आधार संख्या का उत्कथित किया जाना से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का परंतुक, उस दशा में, जहां कोई व्यक्ति राजपत्र में अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व आधार संख्या को सूचित करने में असफल रहता है, उस दशा में उस व्यक्ति को आबंटित स्थायी खाता संख्यांक को अविधिमान्य समझे जाने के लिए उपबंध करता है ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति आधार संख्या सूचित करने में असफल रहता है तो उस व्यक्ति को आबंटित स्थायी लेखा संख्यांक को, अधिसूचित तारीख के पश्चात्, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अप्रवर्तनीय कर दिया जाएगा ।

यह संशोधन 1 सितम्बर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 42** आय-कर अधिनियम की धारा 140क का संशोधन करने के लिए है, जो स्व-निर्धारण से संबंधित है ।

उक्त धारा 140क, अन्य बातों के साथ, स्वनिर्धारण कर के संदाय के लिए उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया उपखंड (iiक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ''धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत'' को उक्त उपधारा के अधीन संदेय कर अवधारण के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (1क) के खंड (i) में एक नया उपखंड (खक) अंतःस्थापित करने और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ''धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत'' को उक्त उपधारा के अधीन संदेय ब्याज का अवधारण के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (1ख) के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (iक) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के अधीन ''निर्धारित कर'' का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए ''धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत'' को कुल आय पर कर में से भी घटाया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 43** आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण से संबंधित है ।

उक्त धारा 143 की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, धारा 139 के अधीन दी गई विवरणी के संबंध में या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में कार्यवाही के लिए उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती को संदेय राशि या शोध्य प्रतिदाय का अवधारण करते समय ''धारा 89 के अधीन अनुज्ञेय कर की कोई राहत'' गणना में ली जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। ।

विधेयक का **खंड 44** आय-कर अधिनियम की धारा 194घक का संशोधन करने के लिए है, जो जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय से संबंधित है ।

उक्त धारा जीवन बीमा पालिसी के अधीन संदेय किसी राशि के, जिसके अंतर्गत ऐसी जीवन बीमा पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित ऐसी राशि भी है, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट प्राप्त रकम सम्मिलित नहीं है, एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती के उदग्रहण का उपबंध करती है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्रोत पर कर की कटौती का उदग्रहण, बढ़ी हुई पांच प्रतिशत की दर से उस आय पर किया जाएगा, जिसमें जीवन बीमा पालिसी के मोचन के द्वारा संदेय राशि समाविष्ट है, जिसके अंतर्गत ऐसी जीवन बीमा पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित ऐसी राशि भी है, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट प्राप्त राशि सम्मिलित नहीं है ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 45** आय-कर अधिनियम की धारा 194झक का संशोधन करने के लिए है, जो कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती के लिए उपबंध करती है । उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि स्रोत पर कर की कटौती वहां लागू नहीं होगी, जहां प्रतिफल की रकम पचास लाख रुपए से कम है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे 'स्थावर संपत्ति के लिए प्रतिफल' पद को स्पष्ट किया जा सके और क्लब सदस्यता फीस, कार पार्किंग फीस, विद्युत या जल सुविधा फीस, रखरखाव फीस, अग्रिम फीस या समान प्रकृति के कोई ऐसे अन्य प्रभार, जो स्थावर संपत्ति के अंतरण के आनुषंगिक हैं, को उसमें सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 46** आय-कर अधिनियम में नई धारा 194ड, जो कतिपय व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा कतिपय राशियों के संदाय से संबंधित है, और नई धारा 194ढ, जो कतिपय रकमों का संदाय नकद करने से संबंधित है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 194ड की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब (उनसे भिन्न, जिनसे धारा

194ग या धारा 194ञ के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती करना अपेक्षित है) द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी संविदा के अनुसरण में किसी संकर्म (जिसके अंतर्गत किसी संकर्म को करने के लिए श्रम की आपूर्ति भी है) को करने के लिए या वृत्तिक सेवाओं हेतु फीस के माध्यम से किसी प्राप्त करने वाले के खाते में किसी राशि को जमा करते समय या ऐसी राशि का नकद में या चेक या मांगदेय पत्र को जारी करके या किसी अन्य पद्धति द्वारा संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी राशि या ऐसी राशियों के योग के पांच प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है :

उक्त उपधारा का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आय-कर की कटौती उस समय नहीं की जाएगी, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निवासी को संदत्त की गई राशि या ऐसी राशियों का योग पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि धारा 203क के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिससे इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करना अपेक्षित है ।

प्रस्तावित नई धारा का स्पष्टीकरण, "संविदा", "वृत्तिक सेवाएं" और 'सकर्म' पदों को भी परिभाषित करता है।

प्रस्तावित नई धारा 194ढ में यह उपबंध है कि बैंककारी कारबार या किसी डाकघर के कारबार को चलाने में लगी कोई बैंककारी कंपनी, सहकारी सोसाइटी, जो किसी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् प्राप्तिकर्ता कहा गया है) ऐसी किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या डाकखाने के पास प्राप्तिकर्ता द्वारा धारित खाते से पूर्ववर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक, यथास्थिति, राशि या कुल राशि का नकद रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि के संदाय के समय, उतनी राशि को, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, के दो प्रतिशत के बराबर रकम का आय-कर के रूप में कटौती करेगा ।

उक्त धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित धारा सरकार को, किसी बैंककारी कारबार को चलाने में लगी किसी बैंककारी कंपनी, सहकारी सोसाइटी, किसी बैंककारी कंपनी की ओर से कारबार संवाददाता या बैंककारी कंपनी कारबार चलाने में लगी सहकारी सोसाइटी, बैंककारी कारबार चलाने में लगी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी श्वेत लेबल स्वाचालित टेलर मशीन प्रचालक या ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किए गए किसी संदाय को लागू नहीं होगी ।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 47** आय-कर अधिनियम की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य राशियों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां किसी अनिवासी की इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसी किसी राशि के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, यह समझता है कि ऐसी संपूर्ण राशि ऐसी आय नहीं होगी, जो प्राप्तिकर्ता के मामले में प्रभार्य हो, वहां वह निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा कि वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी राशि का इस प्रकार प्रभार्य समुचित अनुपात अवधारित करे और ऐसे अवधारण पर उस राशि के केवल उसी अनुपात पर, जो इस प्रकार प्रभार्य है, कटौती की जाएगी ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को ऐसा आवेदन करने का प्ररूप और रीति तथा ऐसी प्रभार्य राशि का समुचित अनुपात अवधारण करने की रीति विहित करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (7), बोर्ड को उन व्यक्तियों के वर्ग या मामलों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करती है, जहां किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि का, चाहे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो या नहीं, संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर से प्रभार्य राशि के समुचित अनुपात का अवधारण करने के लिए आवेदन करेगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को ऐसा आवेदन करने का प्ररूप और रीति तथा कर से प्रभार्य ऐसी राशि का समुचित अनुपात अवधारण करने की रीति विहित करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

ये संशोधन 1 नवंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 48** आय-कर अधिनियम की धारा 197 का संशोधन करने के लिए है, जो निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी राशियां, जिन पर धारा 194ङ के अधीन स्रोत पर कर की कटौती कर दी गई है, भी निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र की पात्र होंगी । यह संशोधन धारा 194ङ के प्रस्तावित अंतःस्थापन के लिए पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 49** आय-कर अधिनियम की धारा 201 का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती करने की या संदाय करने की असफलता के परिणामों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत उसमें विनिर्दिष्ट कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, जो किसी निवासी को संदत्त राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा की गई राशि पर, अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार, संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, ऐसे कर के संबंध में व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसे निवासी ने अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है, आय की उस विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी राशि को हिसाब में लिया है, आय की उस विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई आय पर देय कर का संदाय कर दिया है और विहित प्ररूप में लेखापाल से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देता है ।

उक्त पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "निवासी" शब्द के स्थान पर, "आदाता" शब्द रखा जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (1क) के परंतुक में समान संशोधन करने का और प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि किसी निवासी को किसी व्यक्ति से संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहने के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय दिया जाता है, अंत से सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि धारा 200 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन निर्धारिती द्वारा परिदत्त किए गए किसी संशोधन विवरण के संबंध में किसी निवासी से, संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल

रहने के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय दिया जाता है, पश्चात सात वर्षों की समाप्ति पर या उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें ऐसा संशोधन विवरण धारा 200 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन परिदत्त किया जाता है, इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो, किसी भी समय दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 50** आय-कर अधिनियम की धारा 206क को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय के संबंध में तिमाही विवरणी का दिया जाना से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में विनिर्दिष्ट कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी, जो किसी निवासी को, ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के माध्यम से उस दशा में, जहां संदायकर्ता कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी है, चालीस हजार रुपए से अनधिक और किसी अन्य दशा में पांच हजार रुपए से अनधिक किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगी और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे विवरण परिदत्त करेगी या परिदत्त कराएगी और ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में होंगे और ऐसी रीति में सत्यापित होंगे और उनमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी और उन्हें ऐसे समय के भीतर परिदत्त किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) बोर्ड को यह विहित करने के लिए सशक्त करती है कि कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में वर्णित व्यक्ति से भिन्न है और जो किसी निवासी को ऐसी किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, जो अध्याय 17 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी है, ऐसी अवधि के लिए, जो विहित किया जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगी और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा उपधारा (i) में निर्दिष्ट प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे विवरण परिदत्त करेगी या परिदत्त कराएगी और ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में होंगे और ऐसी रीति में सत्यापित होंगे और उनमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी और उन्हें ऐसे समय के भीतर परिदत्त किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3), यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिदत्त विवरण में प्रस्तुत की गई किसी त्रुटि का सुधार करने या उसमें दी गई जानकारी में कुछ अभिवृद्धि करने या उसमें से कुछ हटाने या उसे अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,विवरण प्रस्तुत किए जाने का उपबंध करती है ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगा ।

विधेयक का **खंड 51** आय-कर अधिनियम की धारा 228क का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशों से करार के अनुसरण में कर की वसूली से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अन्य बातों के साथ यह उपबंध है कि जहां केंद्रीय सरकार द्वारा आय-कर अधिनियम और किसी देश में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय-कर की वसूली के लिए किसी दूसरे देश की सरकार के साथ करार किया जाता है और जहां ऐसा दूसरा देश भारत में कोई संपत्ति रखने वाले किसी व्यक्ति से ऐसी तत्स्थानी विधि के अधीन शोध्य किसी कर की वसूली के लिए कोई प्रमाणपत्र भेजता है, तो बोर्ड ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर इसे उस दूसरे देश के साथ करार के अनुसरण में कर की वसूली के लिए ऐसे कर वसूली अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता में ऐसी संपत्ति स्थित है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कर वसूली का उपबंध किया जा सके जहां ऐसे व्यक्ति के संपत्ति के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है किन्तु उक्त व्यक्ति भारत में निवासी है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे कर वसूली का उपबंध किया जा सके जहां व्यतिक्रमी निर्धारिती की संपत्ति के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं किन्तु उक्त निर्धारिती किसी दूसरे देश में निवासी है ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 52** आय-कर अधिनियम की धारा 234क का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित है ।

उक्त धारा 234क, अन्य बातों के साथ, आय-कर की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज के प्रभार हेतु उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के उपखंड (ख) में एक नया उपखंड (iiक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कुल आय पर कर में से उपधारा के अधीन ब्याज प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए "धारा 89 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत" को भी घटाया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। ।

विधेयक का **खंड 53** आय-कर अधिनियम की धारा 234ख का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित है ।

उक्त धारा 234ख, अन्य बातों के साथ, अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज के प्रभार हेतु उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में एक नया उपखंड (iक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन ब्याज प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए "धारा 89 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत" को भी कुल आय कर में से भी घटाया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 54** आय-कर अधिनियम की धारा 234ग का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज से संबंधित है ।

उक्त धारा 234ग, अन्य बातों के साथ, अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज के प्रभार हेतु उपबंध करती है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (iक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन ब्याज प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए 'धारा 89 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत' को निवरणी में दी गई आय पर शोध्य कर में से भी घटाया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। ।

विधेयक का **खंड 55** आय-कर अधिनियम की धारा 239 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिदाय के लिए दावे का प्ररूप और परिसीमा से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 19 के अधीन प्रतिदाय का प्रत्येक दावा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति मं सत्यापित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त अध्याय के अधीन प्रतिदाय का प्रत्येक दावा धारा 139 के उपबंधों के अनुसार विवरणी देकर किया जाएगा ।

धारा 239 की उपधारा (2) का लोप किए जाने का भी प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 56** आय-कर अधिनियम की धारा 246क का संशोधन करने के लिए है, जो आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलीय आदेश से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (खख) में यह उपबंध है कि निर्धारिती धारा 92गघ की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण के किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती धारा 92गघ की उपधारा (3) के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।

यह संशोधन धारा 92गघ का संशोधन करने के लिए पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 57** आय-कर अधिनियम की धारा 269धध का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय उधार, निक्षेप और विनिर्दिष्ट राशि लेने या प्रतिग्रहण करने के ढंग से संबंधित है ।

उक्त धारा किसी व्यक्ति को बीस हजार रुपए के बराबर या अधिक राशि का कोई उधार या निक्षेप या कोई विनिर्दिष्ट धनराशि, पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके लेने से भिन्न ढंग से प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध करती है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को ऐसे नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके, जिसके द्वारा यकिसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति में सव्यवहार करना विहित किया जाए।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 58** आय-कर अधिनियम की धारा 269धन का संशोधन करने के लिए है, जो संव्यवहार करने के ढंग से संबंधित है ।

उक्त धारा किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति से एक दिन में या किसी एकल संव्यवहार की बाबत या किसी एक घटना या अवसर से संबंधित संव्यवहारों की बाबत पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके दो लाख रुपए के बराबर रकम या उससे अधिक की कुल रकम को प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध करती है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को ऐसे नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके, जिसके द्वारा किसी अन्य इलक्ट्रोनिक पद्धति में संव्यवहार करना विहित कया जाए।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 59** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 269धप अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विहित इलैक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय स्वीकार किए जाने से संबंधित है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई कारबार कर रहा है, यदि कारबार में, यथास्थिति, उसके कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष से ठीक पहले वर्ष के दौरान पचास करोड़ से अधिक हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही संदाय की अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धतियों की सुविधा के अतिरिक्त विहित इलैक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय को स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा ।

यह संशोधन 1 नवंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 60** आय-कर अधिनियम की धारा 269न का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय उधारों या निक्षेपों के प्रतिसंदाय के ढंग से संबंधित है ।

उक्त धारा किसी बैंककारी कंपनी या किसी सहकारी बैंक और किसी अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी और किसी फर्म या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा प्राप्त किसी उधार या उसके पास किए गए किसी निक्षेप या उसके द्वारा प्राप्त किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम को, पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करने से भिन्न किसी अन्य ढंग से प्रतिदाय करने से प्रतिषिद्ध करता है, यदि प्रतिसंदाय की जा रही रकम बीस हजार या इससे अधिक के बराबर है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को ऐसे नियम बनाने के लिए सशल किया जा सके जिसके द्वारा किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति में संव्यवहार करना विहित किया जाए।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 61** आय-कर अधिनियम की धारा 270क का संशोधन करने के लिए है, जो आय की कम रिपोर्ट करने और मिथ्या रिपोर्ट करने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) उस दशा को विनिर्दिष्ट करती है, जिसके अधीन व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय की कम रिपोर्ट की है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) उस रीति के लिए उपबंध करती है, जिसमें कम रिपोर्ट की गई आय का अवधारण किया जाएगा ।

उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ड) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह भी उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 148 के अधीन पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है, वहां किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय की कम रिपोर्ट की है, यदि निर्धारित आय उस अधिकतम रकम से, जो कर से प्रभार्य है, अधिक है ।

उक्त उपधारा (3) के खंड (i) के उपखंड (ख) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां विवरणी धारा 148 के अधीन पहली बार प्रस्तुत की गई है, वहां कंपनी, फर्म या स्थानीय प्राधिकारी के मामले में निर्धारित आय की रकम तथा किसी अन्य मामले में निर्धारित आय कि रकम और उस अधिकतम रकम, जो अन्य मामलों में कर से प्रभार्य नहीं है, के बीच के अंतर कम रिपोर्ट की गई आय समझा जाएगा ।

धारा 270क की उपधारा (10) के खंड (क) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले में जहां धारा 148 के अधीन पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है। व्यय रिपोर्ट की गई आय के संबंध में संदेय कर, कम रिपोर्ट की गई आय पर संगणित कर की वह रकम होगी, जो ऐसी अधिकतम रकम, जो कर से प्रभार्य नहीं है, वह ऐसे बढ़ाई गई थी, मानो वह कुल आय हो ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 62** आय-कर अधिनियम की एक नई धारा 271घख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो धारा 269धप के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 269धप में निर्दिष्ट विहित संदाय के इलेक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय ग्रहण करने के लिए सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है, तो वह शास्ति के माध्यम से, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

यह और प्रस्ताव है कि शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि ऐसी असफलता के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण थे ।

यह भी प्रस्ताव है कि ऐसी कोई शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

यह संशोधन 1 नवंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 63** आय-कर अधिनियम की धारा 271चकक का संशोधन करने के लिए है, जो वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण देने के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, पचास हजार रुपए की राशि की शास्ति के लिए उपबंध करती है, यदि धारा 285खक की उपधारा (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विवरण में गलत जानकारी प्रस्तुत करता है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे शास्ति को, 285खक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी व्यक्तियों पर, जो विवरण में गलत जानकारी प्रस्तुत करते हैं, विस्तारित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 64** आय-कर अधिनियम की धारा 272ख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 139क के उपबंधों के अनुसरण में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा में अन्य बातों के साथ धारा 139क के उपबंधों के अनुसरण में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे आधार संख्यांक के मिथ्या उत्कथित किए जाने या सूचित किए जाने पर भी शास्ति उद्गृहीत की जा सके ।

यह और प्रस्ताव है कि दस हजार रुपए की शास्ति ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए उद्गृहीत की जाएगी ।

नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे उपधारा (6क) के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, अपना स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक उत्कथित करने और अधिप्रमाणित करने की भी अपेक्षा की गई है, ऐसा करने में असफल होता है, वहां निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए दस हजार रुपए की शास्ति का संदाय करेगा ।

एक नई उपधारा (2ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि यदि किसी व्यक्ति से यह सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की जाती है कि धारा 139क की उपधारा (5) के खंड (ग) में विहित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों में, यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक सम्यक् रूप से उत्कथित है या ऐसा संख्यांक उक्त धारा की उपधारा (6क) के अधीन विहित संव्यवहारों की बाबत सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित कर दिया गया है और वह ऐसा करने में असफल होता है, वहां निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए दस हजार रुपए की शास्ति का संदाय करेगा ।

यह भी प्रस्ताव है कि नई उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) के अधीन शास्ति का आदेश पारित करने से पहले किसी व्यक्ति की सनवाई की जाएगी ।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 65** आय-कर अधिनियम की धारा 276गग का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी देने में असफल रहने से संबंधित है ।

उक्त धारा का परंतुक, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि सम्यक् समय के भीतर आय की विवरणी देने में असफल रहने के लिए उक्त धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर ऐसे व्यक्ति, जो कंपनी नहीं है, द्वारा संदेय कर तीन हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

उक्त परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व संदत्त स्व निर्धारण कर, यदि कोई हो, तथा उक्त परंतुक में स्रोत पर संग्रहीत कर के प्रति निर्देश का उपबंध किया जा सके और साथ ही उक्त धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही के लिए संदेय कर की अवसीमा तीन हजार रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 66** आय-कर अधिनियम की धारा 285खक का संशोधन करने के लिए है, जो वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने की बाध्यता से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिनसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा है ।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (ठ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, से भी उक्त धारा के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का दूसरा परंतुक यह विनिर्दिष्ट करता है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार का मूल्य या समग्र मूल्य पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

उक्त परन्तुक का लोप करने का भी प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (4), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि यदि विवरण में त्रुटि को उसमें विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, तो विवरण को अविधिमान्य माना जाएगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि विवरण में त्रुटि को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम के उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानो व्यक्ति ने विवरण में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी ।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 67** आय-कर अधिनियम की धारा 286 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यवस्था के लिए उपबंध करते हैं, जिसमें अंतरण कीमत दस्तावेजीकरण के लिए पुनरीक्षित मानक और देश-दर-देश रिपोर्टिंग के लिए एक टेम्पलेट अंतर्विष्ट है ।

उक्त धारा की उपधारा (9) के खंड (क) के उपखंड (i) में "लेखा वर्ष" पद को परिभाषित किया गया है जिससे उस मामले में कोई पूर्व वर्ष अभिप्रेत है, जहां मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व भारत में निवासी है ।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व भारत में निवारणी जिसके अंततः मूल अस्थित्व भारत के बाहर है, के मामले में लेखा वर्ष से पूर्व वर्ष अभिप्रेत नहीं है, किन्तु ऐसी वार्षिक लेखा अवधि अभिप्रेत है, जिसके संबंध में तत्समय प्रवृत्त या ऐसे देश या राज्य क्षेत्र को, जिसका ऐसा अस्तित्व निवासी है, लागू किसी विधि के अधीन अंतर्राष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व अपना वित्तीय विवरण तैयार करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 68** आय-कर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 68ख का संशोधन करने के लिए है, जो कुर्क की गई स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए समय की परिसीमा से संबंधित है ।

उक्त नियम के उपनियम (1) में यह उपबंधित है कि कर, शास्ति आदि की वसूली के लिए कुर्क की गई स्थावर संपत्ति का कोई विक्रय उस वित्तीय वर्ष के अंत से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी ऐसे कर, ब्याज, जुर्माना आदि या अन्य रकम की मांग करने के लिए आदेश दिया गया है, जिसकी वसूली के लिए स्थावर संपत्ति को कुर्क किया गया है, जो यथास्थिति, निश्चायक या अंतिम हो गई है ।

उक्त उपनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त अवधि को तीन वर्ष से बढाकर सात वर्ष किया जा सके ।

उक्त उपनियम में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पूर्वोक्त अवधि को तीन वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

सीमा शुल्क

विधेयक का **खंड 69** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (**1**) का संशोधन करन के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्थान सूची प्रस्तुत करने की सुविधा प्रवहण के भारसाधक व्यक्ति के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी ।

विधेयक का खंड 70 सीमाशुल्क अधिनियम में पहचान और अनुपालन के सत्यापन से संबधित एक नया अध्याय 12ख अंतःस्थापित करने के लिए है। इस खंड के अधीन प्रस्तावित नई धारा 99ख, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकारी राजस्व के हित के संरक्षण और तस्करी के निवारण के प्रयोजनों के लिए या सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा व्यक्तियों के सत्यापन के लिए सीमाशुल्क के उचित अधिकारी को सशक्त करने के लिए है । किसी व्यक्ति की पहचान का सत्यापन आधार संख्यांक या पहचान के कसी अन्य अनुकल्पी और साध्य-साधनों के माध्य से करने का प्रस्ताव है। धारा उन परिस्थितियों को भी विनिर्दिष्ट करती है जिनमें कतिपय मदों के फायदे या तो ऐसे व्यक्ति के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे या उन्हें देने से इनकार कर दिया जाएगा । यह खंड धारा के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को विनियम बनाने के लिए भी सशक्त करता है ।

विधेयक का **खंड 71** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 103 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने और उसकी उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है । उपधारा (1) का प्रस्तावित संशोधन सीमाशुल्क उप आयुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 100 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उसके अपने शरीर के भीतर छिपाए गए अधिहरण के लिए दायी कोई माल है, उसे स्कैन करने या उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए उचित अधिकारी को समर्थ बनाने के लिए है । उपधारा (6) का प्रस्तावित संशोधन मजिस्ट्रेट को उस उचित अधिकारी द्वारा स्कैनिंग या स्क्रीनिंग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने हेतु समर्थ बनाने के लिए भी है ।

विधेयक का **खंड 72** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1), उपधारा (4) और उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है ।

उपधारा (1) का संशोधन, सीमाशुल्क अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने भारत या भारतीय सीमाशुल्क सागर खंड से बाहर अपराध किया है, गिरफ्तार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए है ।

उपधारा (4) का संशोधन उन कतिपय अपराधों के लिए, जो संज्ञेय होंगे, उपबंध करने हेतु उसमें दो नए खंड (ग) और खंड (घ) अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उपधारा (6) का संशोधन उस अपराध के लिए, जो अजमानतीय होगा, उपबंध करने हेतु उसमें एक नया खंड (ड.) अंतःस्थापित करने के लिए है ।

"लिखत" पद को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 73** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे विद्यमान परंतुक को दो परंतुकों से प्रतिस्थापित किया जा सके और उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट किया जा सके जिनमें अभिगृहीत माल की अभिरक्षा कतिपय व्यक्ति को दी जा सकेगी । संशोधन उन दशाओं को विनिर्दिष्ट करने के लिए भी है जिनमें ऐसे माल की अभिरक्षा, जहां ऐसे माल का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है, कतिपय व्यक्तियों को दी जा सकती है ।

एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अधिकारी को सरकारी राजस्व की सुरक्षा करने या तस्करी को रोकने के लिए किन्हीं दस्तावेजों और वस्तुओं को अभिगृहीत करने की शक्ति के अतिरिक्त किसी बैंक खाते को छह मास से अनधिक की अवधि के लिए अनंतिम रूप से कुर्क करने हेतु सशक्त बनाया जा सके। यह भी मानती है कि सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए किसी बैंक खाते की अनंतिम कुर्की की अवधि को बढ़ा सकेगा और ऐसे व्यक्ति को सूचित कर सकेगा, जिसका बैंक खाता इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अनंतिम रूप से कुर्क किया जाता है ।

विधेयक का **खंड 74** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110क का संशोधन करने के लिए है जिससे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने पर धारा 110 के अधीन अनंतिम रूप से कुर्क किए गए बैंक खाते को बैंक खाता धारक को निर्मुक्त करने के संबंध में सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 75** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 114कख अंतःस्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित धारा यह उपबंध करने के लिए है कि किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने किसी लिखत को कपटपूर्वक दुरभिसंधि जानबूझकर मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर अभिप्राप्त किया है और ऐसे लिखत का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर्तव्य के निर्वहन के लिए किया गया है, ऐसा व्यक्ति, जिसको लिखत जारी की गई थी, ऐसी लिखत के अंकित मूल्य से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा । 'लिखत' पद को परिभाषित करने लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 76** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 117 का संशोधन करने के लिए है जिससे शास्ति की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर चार लाख रुपए किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 77** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 125 के पहले परंतुक का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिहरण के बदले में कोई जुर्माना धारा 28 के अधीन बंद समझे गए मामलों के संबंध में अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 78** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे इसमें एक नया खंड (ङ) अंतःस्थापित करके किसी प्राधिकारी से कपटपूर्वक, दुरभिसंधि, जानबुझकर मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर कोई लिखत प्राप्त करने और जहां ऐसी लिखत का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, वहां इसे दंडनीय अपराध बनाया जा सके ।

उपधारा (1) की मद (i) में एक नया खंड (ड.) कपटपूर्वक, दुरभिसंधि, जानबुझकर मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर कोई लिखत किसी प्राधिकारी से अभिप्राप्त करने के लिए है, जहां ऐसी लिखत का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो दंडनीय अपराध है, यदि लिखत के उपयोग से संबंधित शुल्क पचास लाख रुपए से अधिक है ।

इसमें 'लिखत' पद को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 79** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 149 का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए समय, रीति और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 80** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है । प्रस्तावित संशोधन सीमाशुल्क अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा 99ख और धारा 149 के उपबंधों के अधीन बोर्ड को विनियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 81** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्ति की अधिकतम सीमा को पचास हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 82** सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी कतिपय अधिसूचनाओं का, स्टेरिक अम्ल का टैरिफ वर्गीकरण "3823 10 90" से "3823 11 00" में परिवर्तन, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में करने हेतु, भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 83** तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) तारीख 30 जून, 2017 का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है, जिससे स्टेरिक अम्ल के टैरिफ वर्गीकरण को "3823 20 90" से बदलकर "3823 11 00" किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 84** अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1270(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2018 को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई, 2017 से प्राइवेट सड़क यान के अस्थायी आयात पर क्नवेंशन के अनुसार यानों के अस्थायी आयात पर अधिसूचना सं. सा.का.नि. 665(अ) तारीख 2 अगस्त, 1976 का संशोधन करने के लिए है, जिससे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उदग्रहणीय एकीकृत कर से भूतलक्षी प्रभाव से छूट दी जा सके

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 85** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 के अधीन उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे प्रति पाटन शुल्क के मामले में प्रवंचनारोधी उपबंध का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 86** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि सुरक्षा शुल्क की अवधारणा के बारे में पदाभिहित प्राधिकारी के निष्कर्षों के विरुद्ध अपील का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 87** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,—

(क) कतिपय टैरिफ मदों की बाबत टैरिफ दरों को पुनरीक्षित करने की दृष्टि से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन और अध्याय 98 के आध्याय टिप्पण का संशोधन करने के लिए है, जिससे शीर्ष 9804 के कार्यक्षेत्र से मुद्रण पुस्तकों को अपवर्जित किया जा सके ;

(ख) नाम पद्धति की सुमेलित प्रणाली से त्रुटियों का सुधार करने और कतिपय प्रविष्टियों को सुमेलित करने तथा ऐसी तारीख से, जैसा कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, कतिपय प्रविष्टियों से नई टैरिफ पंक्तियां सृजित करने की दृष्टि से भी पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति मे संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 88** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 804(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 2015 का, अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 186(अ), तारीख 22 फरवरी, 2016 को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए संशोधन करने के लिए है, जिससे टैरिफ शीर्ष ''5402'' से टैरिफ उपशीर्ष ''5402 47'' तक को 21 अक्तूबर, 2015 से 22 फरवरी, 2016 तक प्रतिपाटन शुल्क से उद्ग्रहणीय माल के टैरिफ वर्गीकरण को भूतलक्षी रूप से परिवर्तित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 89** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 285(अ), तारीख 8 मार्च, 2016 का संशोधन करके अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 665 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2016 को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है, जिससे विस्तारित पोलीप्रोपलीन बीड़स और टस-पोलीमर को 8 मार्च, 2016 से 5 जुलाई, 2016 तक प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण से भूतलक्षी रूप से अपवर्जित किया जा सके ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

विधेयक का **खंड 90** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि टैरिफ मद ''2709 20 00'' के संबंध में टैरिफ दर को ''शून्य'' से ''एक रूपया प्रति टन'' तक पुनरीक्षित किया जा सके ।

केन्द्रीय माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 91** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (4) का ''न्यायनिर्णयन प्राधिकरण'' की परिभाषा में ''राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण'' शब्द अंतःस्थापित करने हेतु, संशोधन करने के लिए है जिससे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की परिभाषा से उस प्राधिकरण को अपवर्जित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 92** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जिससे सेवाओं के पूर्तिकार या मिश्रित पूर्तिकारों (जो पूर्व की संयुक्त स्कीम के लिए पात्र नहीं है), जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक आवर्त पचास लाख रुपए तक है, के लिए वैकल्पिक संयुक्त स्कीम का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 93** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है जिससे बीस लाख रुपए की उच्चतर अवसीमा छूट को चालीस लाख रुपए से अनधिक तक उस पूर्तिकार की दशा में उपबंध किया जा सके, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा हुआ है ।

विधेयक का **खंड 94** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने वाले व्यक्तियों, जो रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने या प्राप्त कर लेने का आशय रखते हैं, के लिए आज्ञापक रूप से आधार प्रस्तुत करने या उसका अधिप्रमाणन करने के लिए ऐसी रीति में उपबंध किया जा सके, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

विधेयक का **खंड 95** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में नई धारा 31क का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्तिकार अपने प्राप्तिकर्ता को डिजीटल संदायों के लिए सुविधा आज्ञापक रूप से प्रदान करेगा ।

विधेयक का **खंड 96** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 का संशोधन करने के लिए है जिससे ऐसे करदाता, जो संरचना उदग्रहण के लिए विकल्प लेता है, द्वारा कर के वार्षिक विवरणियों और त्रैमासिक संदायों को प्रस्तुत करने के लिए उपबंध किया जा सके और करदाताओं के कतिपय अन्य प्रवर्ग के लिए, नई प्रस्तावित विवरणी प्रणाली के अधीन त्रैमासिक और मासिक संदायों हेतु विकल्प के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 97** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 का संशोधन करने के लिए है जिससे आयुक्त को, वार्षिक विवरणी और समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 98** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है जिससे करदाता को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते में किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को किसी रकम का अंतरण करने की सुविधा का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 99** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केवल शुद्ध नकद कर दायित्व पर ही ब्याज प्रभारित किया जा सके, सिवाय उन मामलों के, जहां कर का संदाय अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् किया जाता है ।

विधेयक का **खंड 100** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 का संशोधन करने के लिए है जिससे आयुक्त को, स्रोत पर कर का संग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा मासिक और वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 101** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 53क का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे केंद्र और राज्यों के बीच इलैक्ट्रानिक नकद खाता में धारा 49 के अधीन करदाता को दी गई नई सुविधा के परिणामस्वरूप रकम के अंतरण के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 102** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को, राज्य करों के प्रतिदाय के संबंध में करदाताओं को रकम के प्रतिदाय का वितरण करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 103** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 95 के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है जिससे ''अग्रिम विनिर्णय'' की परिभाषा में ''राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण'' को सम्मिलित किया जा सके । यह खंड केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 95 में एक नया खंड (च) भी अंतःस्थापित करने के लिए है ताकि ''राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' पद को परिभाषित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 104** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतःस्थापन करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 101क राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने के लिए है । यह खंड राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति, कार्यावधि, सेवा की शर्तों और उन्हें हटाए जाने की रीति के लिए भी उपबंध करता है ।

प्रस्तावित नई धारा 101ख, अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अपील फाइल करने और दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा समान प्रश्न पर दिए गए विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है ।

प्रस्तावित नई धारा 101ग, यह उपबंध करने के लिए है कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, अपील फाइल किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा । यह खंड यह उपबंध भी करता है कि जहां किसी मुद्दे पर सदस्यों के बीच मतभेद है, वहां उसका विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

विधेयक का **खंड 105** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 102 का संशोधन करने के लिए है जिससे राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपने अग्रिम विनिर्णय का सुधार करने के लिए उसे सशक्त करने के लिए उस धारा की परिधि के भीतर लाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 106** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 103 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय आवेदकों, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं और सभी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों पर, जिनके पास स्थायी खाता संख्यांक है और उक्त आवेदकों तथा वही स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों या अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों पर आबद्धकर होगा । यह खंड यह उपबंध भी करता है कि ऐसा विनिर्णय तब तक आबद्धकर होगा जब तक कि विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

विधेयक का **खंड 107** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 104 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय उस समय शून्य होगा, जहां विनिर्णय को किसी कपट या सारवान तथ्यों को छिपाकर या तथ्यों का ादिर्व्यप देशन करके अभिप्राप्त किया गया है ।

विधेयक का **खंड 108** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 105 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास, अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।

विधेयक का **खंड 109** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 106 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

विधेयक का **खंड 110** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 का संशोधन करने के लिए है जिससे धारा 44 की उपधारा (1) और धारा 52 की उपधारा (4) और उपधारा (5) को उस धारा की परिधि के अंतर्गत लाने हेतु आयुक्त या संयुक्त सचिव, बोर्ड के अनुमोदन से उक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

विधेयक का **खंड 111** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 171 में नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को मुनाफाखोरी की रकम के दस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 112** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 674(अ), तारीख 28 जून, 2017 का संशोधन करने के लिए है, जिससे 1 जुलाई, 2017 से 14 नवंबर, 2017 तक ''यूरेनियम अयस्क सांद्र'' को केंद्रीय कर के उदग्रहण से भूतलक्षी छूट दी जा सके ।

एकीकृत माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 113** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 17क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 के अधीन करदाताओं को प्रदान की गई नई सुविधा के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच इलैक्ट्रानिक नकद खाता में रकम के अंतरण के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 114** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 667(अ), तारीख 28 जून, 2017 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि 1 जुलाई, 2017 से 14 नवंबर, 2017 तक ''यूरेनियम अयस्क सांद्र'' को एकीकृत कर के उदग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट दी जा सके ।

संघ और राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 115** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ), तारीख 28 जून, 2017 का संशोधन करने के लिए है, जिससे 1 जुलाई, 2017 से 14 नवंबर, 2017 तक ''यूरेनियम अयस्क सांद्र'' को संघ राज्यक्षेत्र कर के उदग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट दी जा सके ।

सेवा कर

विधेयक का **खंड 116,** 1 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा लिकर, लाइसेंस प्रदान करने के रूप में सेवा पर सेवा कर से भूतलक्षी रूप से छूट देने का उपबंध करता है ।

विधेयक का **खंड 117** भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा छात्रों को 1 जुलाई, 2003 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के दौरान कार्यकारी विकास कार्यक्रम के सिवाय दीर्घकालिक डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए सेवा कर से भूतलक्षी रूप से छूट का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 118** किसी औद्योगिक या वित्तीय कारबार क्षेत्र के विकासकर्ताओं के लिए राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम या उपक्रमों द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के पचास प्रतिशत या अधिक स्वामित्व वाले किसी अन्य अस्तित्व द्वारा 1 अक्तूबर, 2013 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के दौरान वित्तीय कारबार के लिए अवसंरचना विकास हेतु प्लाटों का दीर्घकालिक पट्टा दिए जाने के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या ऐसे अस्तित्व के माध्यम से, जो पूर्णतः ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन है, सेवा के लिए संदत्त बयाना की रकम पर भूतलक्षी रूप से सेवा कर से छूट का उपबंध करने के लिए है ।

अध्याय 5, **खंड 119 से खंड 134** तक सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान स्कीम, 2019 का उपबंध करने के लिए है।

यह स्कीम, केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के पूर्व विवादों के समापन के लिए, के साथ-साथ, कोई घोषणा करने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा असंदत्त करों के प्रकटन को सुनिश्चित करने के लिए, एक मुश्त उपाय है । स्कीम का प्रवर्तन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से किया जाएगा । इसमें यह उपबंधित है कि पात्र व्यक्ति देय कर को घोषित करेंगे और उनका संदाय स्कीम के उपबंधों के अनुसार करेंगे । यह, उन व्यक्तियों को, जो घोषित देय कर का संदाय करते हैं, कतिपय उन्मुक्तियों, जिसके अंतर्गत शास्ति, ब्याज या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन कोई अन्य कार्यवाहियां भी है, के लिए भी उपबंध करती है ।

प्रकीर्ण

विधेयक के **खंड 135 से खंड 142,** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 45झक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि की विद्यमान रकमों को बढ़ाया जा सके ।

अधिनियम में नई धारा 45झघ और धारा 45झङ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी गैर- बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशकों को पद से हटाने और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल को कतिपय आधारों पर अधिक्रांत करने के लिए रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदान की जा सके ।

अधिनियम में नई धारा 45ङकक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे रिजर्व बैंक को संपरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का उपबंध किया जा सके यदि कोई संपरीक्षक रिजर्व बैंक द्वारा धारा 45ङक के अधीन दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है ।

अधिनियम में नई धारा 45ङखक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के संकल्प से संबंधित है ।

अधिनियम में नई धारा 45ढकक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो रिजर्व बैंक की समूह कंपनी के संबंध में शक्ति से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 58ख का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे शास्ति की विद्यमान रकमों को बढ़ाया जा सके ।

अधिनियम की धारा 58छ का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे पांच हजार रुपए, पांच लाख रुपए और पच्चीस हजार रुपए की विद्यमान शास्ति को बढ़ाकर क्रमशः पच्चीस हजार रुपए, दस लाख रुपए और एक लाख रूपए किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 143** बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है, जो पूंजी के बारे में अपेक्षा से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी शाखा के माध्यम से पुनःबीमा कारबार में लगी हुई किसी विदेशी कंपनी को रजिस्ट्रीकरण के लिए तब निर्बंधित किया जाएगा, जब उसकी शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि कम से कम दस अरब रुपए हो ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 144 और खंड 145** प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है । उक्त अधिनियम की धारा 23क का सशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज को सूचना देने के अतिरिक्त उक्त सूचना बोर्ड को भी दी जा सकेगी ।

विधेयक का **खंड 146 और खंड 147** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में पांच से अनधिक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 148** साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिए है । अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "केवल चार कंपनियों" के स्थान पर, "चार कंपनियों तक" का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 149 और खंड 150** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का संशोधन करने के लिए है । अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में पांच से अनधिक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक के **खंड 151 से खंड 171** राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का संशोधन करने के लिए है ।

ऐसी आवास वित्त संस्थाओं के विनियमन को राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित करने का प्रस्ताव है और उक्त प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 153** उक्त अधिनियम की धारा 29क का संशोधन करने के लिए है, जो रजिस्ट्रीकरण और शुद्ध स्वामित्व निधि की अपेक्षा से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 154** उक्त अधिनियम की धारा 29ख का संशोधन करने के लिए है, जो आस्तियों का बनाए रखने से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 155** उक्त अधिनियम की धारा 29ग का संशोधन करने के लिए है, जो आरक्षित निधि से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 156** उक्त अधिनियम की धारा 30 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो धन के निक्षेप की याचना करने वाले प्रोस्पेक्टस या विज्ञापन का रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन या प्रतिषेध करने से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 157** उक्त अधिनियम की धारा 30क को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो नीति निर्धारित करने और निदेश जारी करने की रिजर्व बैंक की शक्ति से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 158** उक्त अधिनियम की धारा 31 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक की आवास वित्त संस्थाओं से निक्षेपों के संबंध में जानकारी संगृहीत करने से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 159** उक्त अधिनियम की धारा 32 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो अध्याय 5 के अधीन आवास वित्त संस्था द्वारा विवरण आदि प्रस्तुत करने के विवरण से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 160** उक्त अधिनियम की धारा 33 का संशोधन करने के लिए है, जो लेखापरीक्षक की शक्तियों और कर्तव्य से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 161** उक्त अधिनियम की धारा 33क को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो निक्षेप स्वीकार करने और आस्तियों के अन्य संक्रामण को प्रतिसिद्ध करने की राष्ट्रीय आवास बैंक की शक्ति से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 162** उक्त अधिनियम की धारा 33ख का संशोधन करने के लिए है, जो परिसमापन अवधि फाइल करने की राष्ट्रीय आवास बैंक की शक्ति से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 163** उक्त अधिनियम की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है, जो निरीक्षण से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 164** उक्त अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निक्षेपों की याचना न किया जाना से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 165** उक्त अधिनियम की धारा 35क का संशोधन करने के लिए है, जो जानकारी का प्रकटन से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 166** उक्त अधिनियम की धारा 35ख को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो किसी आवास वित्त संस्था को छूट देने की रिजर्व बैंक की शक्ति से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 167** उक्त अधिनियम की धारा 44 का संशोधन करने के लिए है, जो विश्वस्तता और गोपनीयता के बारे में बाध्यता से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 168** संपूर्ण अधिनियम में राष्ट्रीय आवास बैंक के स्थान पर, रिजर्व बैंक रखने के लिए अधिनियम की धारा 46 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 169** अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए ह, जिससे "राष्ट्रीय आवास बैंक" के स्थान पर, "राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" रखा जा सके ।

यह और प्रस्ताव है कि "प्राधिकृत अधिकारी" के स्थान पर, "राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण" रखा जा सके ।

विधेयक का **खंड 170** उक्त अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करने के लिए है, जो अपराधों के संज्ञान से संबंधित है ।

विधेयक का **खंड 171** उक्त अधिनियम की धारा 52क को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक की जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति से संबंधित है ।

विधेयक के **खंड 172 से खंड 176** बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 का संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 23 में यह उपबंधित है कि प्रारंभक अधिकारी को समुचित प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेजों, लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों की किन्हीं सुसंगत विषयों की बाबत इस अधिनियम के अधीन जांच या अन्वेषण करने या करवाए जाने की शक्ति होगी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी या कभी भी लागू हुई नहीं समझी जाएगी, जहां किसी प्रारंभक अधिकारी द्वारा धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 नवंबर, 2016 से प्रभावी होगा ।

अधिनियम की धारा 24 यह उपबंध करती है कि जहां प्रारंभक अधिकारी की यह राय है कि बेनामी संपत्ति का कब्जा रखने वाले व्यक्ति संपत्ति का सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अन्य संक्रामण कर सकता है तो वह अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से लिखित में आदेश द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी किए जाने की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की अवधि के लिए संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा और प्रारंभक अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना दिए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सूचना की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए संपत्ति कुर्क करने के स्थान पर वह सूचना उस मास की अंतिम तारीख को जारी की जाएगी, जिसमें वह सूचना जारी की गई थी ।

उक्त धारा की उपधारा (4) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करने के स्थान पर उक्त आदेश उक्त मास की अंतिम तारीख से पारित किया जाएगा, जिसमें वह सूचना जारी की गई थी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे उपधारा (5) के अधीन दी गई समयावधि से किसी न्यायालय द्वारा मंजूर रोक के कारण समय को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उपधारा (4) के अधीन पारित आदेश निर्दिष्ट करने में छोड़ा जा सके और यदि रोकावधि के छोड़ दिए जाने के पश्चात् यदि शेष अवधि सात दिन से कम है तो शेष अवधि को सात दिन के लिए बढ़ा दिया गया समझा जाएगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (7) उपबंध करती है कि कोई आदेश पारित करने के लिए एक वर्ष की अवधि की संगणना में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा कार्यवाहियां रोक दी जाती हैं, नहीं छोड़ी जाएगी ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई आदेश पारित करने के लिए एक वर्ष की अवधि की संगणना में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा कार्यवाहियां रोक दी जाती हैं, छोड़ दी जाती है । यह प्रस्ताव भी है कि यदि रोकावधि को छोड़ देने के पश्चात् शेष अवधि साठ दिन से कम है तो शेष अवधि को साठ दिन के लिए बढ़ा दिया गया समझा जाएगा ।

उक्त अधिनियम में नई धारा 54क और धारा 54ख को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी समन की अनुपालना की प्रत्येक असफलता के लिए पच्चीस हजार रुपए की शास्ति संदेय होगी ; या ऐसी इत्तिला देने में, जिसकी धारा 21 के अधीन देने के लिए उससे अपेक्षा की गई थी, पच्चीस हजार रुपए की शास्ति संदेय होगी ।

उक्त धारा की उपधारा (2) ऐसे प्राधिकारी के लिए उपबंध करती है, जो शास्ति अधिरोपित करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत शास्ति का उद्ग्रहण चाहा गया है, सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा का परंतुक यह उपबंधित करता है कि कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि ऐसे उल्लंघन के उपयुक्त और पर्याप्त कारण थे ।

प्रस्तावित नई धारा 54ख उपबंध करती है कि किसी प्राधिकारी की अभिरक्षा में अभिलेखों या दस्तावेजों की प्रविष्टियां धारा 3 या अध्याय 7 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन की किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्रहण की जाएंगी और ऐसी सभी प्रविष्टियों को या तो प्राधिकारी की अभिरक्षा में ऐसी प्रविष्टियों वाले अभिलेखों और दस्तावेजों

को पेश करके या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अभिरक्षा में अभिलेख या दस्तावेज हैं और यह कथन करते हुए कि यह मूल प्रविष्टियों की सत्य प्रति है और यह कि ऐसी मूल प्रविष्टियां उसकी अभिरक्षा में के अभिलेख या दस्तावेजों में अंतर्विष्ट हैं, अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रविष्टियों की प्रति पेश करके साबित की जा सकेंगी ।

उक्त अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3, धारा 53 या धारा 54 के अधीन किसी अपराध की बाबत कोई भी अभियोजन, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

उपधारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ''सक्षम प्राधिकारा'' पद को परिभाषित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक के **खंड 177 से खंड 181,** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के कतिपय उपबंधों का सशोधन करने के लिए हैं ।

उक्त अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास विशाल अधिशेष के संचयन को निर्बंधित किया जा सके ।

उक्त अधिनियम की धारा 15ग का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी सूचीबद्ध कंपनी या किसी ऐसे व्यक्ति, जो बोर्ड से अपेक्षा करने पर विनिधानकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए मध्यवर्ती के रूप में भले ही किसी इलैक्ट्रानिक माध्यम से, न कि अनावश्यक रूप से लिखित में रजिस्ट्रीकृत हो, की असफलता भी उस धारा के अधीन शास्ति की कोटि में आएगी ।

उक्त अधिनियम की धारा 15च का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे उस स्टाक विनिमय, जिसका रजिस्ट्रीकृत स्टाक दलाल सदस्य है, द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में संविदा नोटों को जारी करने की असफलता के लिए धनीय शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

एक नई धारा 15जकक को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे इस अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित जानकारी, अभिलेख, दस्तावेज (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं) का परिवर्तन, विनाश, विकृति, छिपाव या मिथ्याकरण के लिए धनीय शास्ति का उपबंध किया जा सके और जिससे बोर्ड की अधिकारिता के भीतर किसी विषय के अन्वेषण, जांच, संपरीक्षा, निरीक्षण या समुचित प्रशासन में बाधा, अड़चन या प्रभावित करने के लिए भी उपबंध किया जा सके। यह अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा विनियमित बोर्ड के मध्यवर्तियों के इलैक्ट्रानिक डाटा बेस के संरक्षण के लिए भी उपबंध है ।

विधेयक का **खंड 182** केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000 की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार के कृत्यों से संबंधित है । सड़क परियोजनाओं, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की परियोजनाएं भी हैं, के विकास और अनुरक्षण हेतु निधियों के आबंटन के लिए मानदंड तैयार करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iv) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (v), जो विनिर्दिष्ट और ऐसी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग तथा उन पर उपगत व्यय के लिए राज्यों को निधि जारी करने के लिए उपबंध करता है, का लोप करने और उक्त उपधारा के खंड (v) और खंड (vii) का लोप करने का प्रस्ताव है ।

उक्त उपधारा का खंड (vii) संविधान की पहली अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को निधियों के शेयर के आबंटन का उपबंध करता है ।

विधेयक का **खंड 183** केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000 की धारा 11 की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जो सड़क परियोजनाओं, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की परियोजनाएं भी हैं, के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आबंटन हेतु मानदंड तैयार करने के लिए धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (iv) के प्रतिनिर्देश रखने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 184** केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000 की धारा 12 की उपधारा (2) के नीचे खंड (ग) का लोप करने के लिए है, जो ऐसी रीति का उपबंध करता है जिसमें अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए स्कीमें तैयार की जाती है और स्वीकृत की जाती है ।

विधेयक का **खंड 185** वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है । उसका उपखंड (क) सामान्यतः पेट्रोल के नाम से ज्ञात मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त शुल्क की दर को सात रूपए प्रति लीटर से बढ़ाकर दस रूपए प्रति लीटर करने के लिए है । उसका उपखंड (ख) उच्च गति डीजल तेल पर उत्पाद-शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क की दर को एक रूपए प्रति लीटर से बढ़ाकर चार रूपए प्रति लीटर करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 186 भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है, जो कर छूट या फायदे को प्रभावशील बनाए रखने से संबंधित है ।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि कर या आय, लाभ या अभिलाभ के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिती में किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ या प्राप्त किसी रकम की बाबत आय-कर या कोई अन्य कर 31 मार्च, 2019 तक प्रशासक द्वारा संदेय नहीं होगा ।

उक्त उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त उपक्रम को आय-कर की छूट को 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाली अवधि से 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक के **खंड 187 से खंड 192** धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए हैं ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के समक्ष आने वाली विभिन्न कठिनाईयों को दूर करने के लिए धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के उपखंड (i) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

वित्तीय सतर्कता यूनिट, भारत के समक्ष आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (ii) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है ।

धारा 12क का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें नई अंतःस्थापित धारा 12कक के प्रतिनिर्देश का उपबंध किया जा सके ।

उक्त अधिनियम में नई धारा 12कक को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे बढ़ी हुई सम्यक् तत्परता के लिए उपबंध किया जा सके ।

उक्त अधिनियम की धारा 15 का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें अंतःस्थापित नई धारा 12कक के प्रतिनिर्देश का उपबंध किया जा सके ।

धारा 72क को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे अंतःमंत्रालयीय समन्वयन समिति गठित करने की केंद्रीय सरकार, को शक्ति अनुज्ञात की जा सके जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानकों के कार्यान्वयन के संबंध में सभी सुसंगत/सक्षम प्राधिकरणों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए उत्तरदायी है । यह वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानकों, सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानकों के अनुरूप धन शोधन निवारण या आतंकवाद कार्य ढ़ाचे के वित्तपोषण के मुकाबले को सुदृढ़ करने के लिए धन शोधन निवारण या आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला संबंधी नीतियों या क्रियाकलापों को निवारित करने, उनका समन्वयन करने, मॉनिटर करने और पुनर्विलोकन करने के लिए अपेक्षित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 73 का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे नियम बनाए जाने संबंधी उपबंधों का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 193,** वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 99 का संशोधन करने के लिए है, जो कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार के मूल्य से संबंधित है ।

उक्त धारा में उपबंधित है कि प्रतिभूतियों में विकल्प के विक्रय के संबंध में कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य, जहां विकल्प का प्रयोग किया गया है, तय की गई कीमत होगी ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिभूतियों में विकल्प के विक्रय के संबंध में कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य, जहां विकल्प का प्रयोग किया गया है, अंतरस्थ मूल्य होगा ।

इस धारा के नीचे एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, ''अंतरस्थ मूल्य'' पद को परिभाषित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 194** संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का, नई धारा 10क अंतःस्थापित करके, ंशोधन करने के लिए है जो बैंक इत्यादि द्वारा संदाय के इलेक्ट्रानिक ढंगों के उपयोग के लिए प्रभार अधिरोपित नहीं किए जाने से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा में यह उपबंध है कि उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई बैंक या प्रणाली प्रदाता, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 269धप के अधीन विहित इलेक्ट्रानिक संदाय के ढंगों का उपयोग करने के लिए किसी पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभार अधिरोपित नहीं करेगा ।

यह संशोधन 1 नवंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक के **खंड 195 से खंड 198** काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (उक्त अधिनियम) के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए हैं ।

विधेयक का **खंड 195** उक्त अधिनमियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (2) के विद्यमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि ''निर्धारिती'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के अर्थांतर्गत भारत में निवासी है ।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ''निर्धारिती'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम की धारा 6 के अर्थांतर्गत भारत में निवासी है या जो पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थांतर्गत भारत में निवासी नहीं है या साधारण निवासी नहीं है किन्तु उस पूर्ववर्ष में भारत में निवासी था, जिससे धारा 4 में निर्दिष्ट आय संबंधित है ।

एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस पूर्ववर्ष में, जिसमें भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्ति अर्जित की गई है और आस्ति के अर्जन का पूर्ववर्ष धारा 72 के खंड (ग) के उपबंधों को प्रभाव दिए बिना अवधारित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 196** उक्त अधिनमियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य बातों के साथ, उक्त अधिनियम के अधीन केस के निर्धारण या पुनःनिर्धारण का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त उपधाराओं के अधीन ''पुनर्निधारित'' और ''पुनर्निर्धारण'' पद का निर्देश किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 197** उक्त अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जो आयुक्त (अपील) की शक्तियों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि आयुक्त (अपील) शास्ति आदेश की पुष्टि या उसे रद्द कर सकेगा ।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयुक्त (अपील) शास्ति आदेश को इस प्रकार परिवर्तित कर सकेगा, जिससे शास्ति में अभिवृद्धि की जा सके या उसे कम किया जा सके ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 198** उक्त अधिनमियम की धारा 84 का संशोधन करने के लिए है जो आय-कर अधिनियम के उपबंधों के लागू होने से संबंधित है ।

उक्त धारा आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों को काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 को आवश्यक उपांतरणों सहित लागू होने के लिए उपबंध करती है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर अधिनियम की धारा 144क के उपबंध कतिपय उपांतरणों सहित काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 को भी लागू होंगे ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 199 और खंड 200** वित्त अधिनियम, 2016 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है जो आय घोषणा स्कीम, 2016 (इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 187 की उपधारा (1) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि अप्रकटित आय की बाबत कर, उपकर और शास्ति का संदाय अधिसूचित देय तारीख को या उससे पहले किया जाएगा ।

उक्त उपधारा में परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कर, उपकर और शास्ति का संदाय धारा 187 की उक्त उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित देय तारीख के भीतर नहीं किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो अधिसूचित तारीख को या उससे पहले ऐसी रकम, देय तारीख के ठीक पश्चात् प्रारंभ होने वाली और ऐसे संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ऐसी रकम पर ब्याज सहित संदाय कर सकेंगे।

उक्त अधिनियम की धारा 191 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि स्कीम के अधीन की गई किसी घोषणा के अनुसरण में कर, उपकर या शास्ति की कोई रकम प्रतिदेय नहीं होगी ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें इस स्कीम के अधीन कर, उपकर और शास्ति की संदेय रकम से अधिक रकम का संदाय प्रतिदेय होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 201** वित्त अधिनियम, 2018 की छठीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि सामान्य रूप से पेट्रोल और उच्च गति डीजल तेल के नाम से ज्ञात मोटर स्प्रिट पर सड़क और अवसंरचना उपकर की दर को आठ रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर दस रूपए प्रति लीटर किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 202** वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 2 का निरसन करने के लिए है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में कारबार संबंध गठित नहीं करने के कतिपय क्रियाकलापों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (ड) में संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि रकम की गणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित किया जाए।

विधेयक का **खंड 8** आय-कर अधिनियम की धारा 13क का संशोधन करने के लिए है, जो राजनैतिक दलों की आयों के संबंध में विशेष उपबंधों से संबंधित है।

उक्त धारा के पहले परंतुक के खंड (घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि इसमें विनिर्दिष्ट संदाय ऐसे अन्य इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकेगा, जो विहित किया जाए।

विधेयक का **खंड 9** आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (8) के खंड (च) का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि बैंक खाते के माध्यम से संदाय के अतिरिक्त संदाय ऐसे अन्य इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से किया जाएगा, जो विहित किया जाए।

विधेयक का **खंड 11** आय-कर अधिनियम की धारा 40क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय परिस्थितियों में कटौती नहीं करने योग्य व्ययों या संदायों से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को यह उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है कि ऐसे अन्य इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से, संदाय करना भी कटौती के रुप में अनुज्ञात होगा।

विधेयक का **खंड 12** आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है, जो कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों से आय के सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाओं से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को यह उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है कि ऐसे इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से किए गए संदाय की, वास्तविक लागत के अवधारण के प्रयोजनों के लिए उपेक्षा नहीं की जाएगी।

विधेयक का **खंड 14** आय-कर अधिनियम की धारा 43गक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) का प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को यह नियम बनाने के लिए सशक्त करता है कि उपधारा (3) के उपबंध उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग किसी इलैक्ट्रानिक ढंग द्वारा प्राप्त किया गया है।

विधेयक का **खंड 16** आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ का संशोधन करने के लिए है, जो उपधारणात्मक आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के परंतुक का प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को यह उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है कि कोई पात्र निर्धारिती उपधारणात्मक कराधान प्रणाली का विकल्प ले सकेगा, यदि वह किसी इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से प्राप्त आवर्त का छह प्रतिशत या उच्चतर दर पर लाभ की घोषणा करता है।

विधेयक का **खंड 18** आय-कर अधिनियम की धारा 50ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, जिससे बोर्ड को यह उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके कि पहला परंतुक उन मामलों की बाबत भी लागू होगा, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग ऐसे इलैक्ट्रानिक ढंग के रूप में प्राप्त किया गया है, जो विहित किया जाए।

विधेयक का **खंड 19** आय-कर अधिनियम की धारा 50गक का, यह उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित करने हेतु संशोधन करने के लिए है कि उक्त धारा का उपबंध, उक्त धारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा और ऐसी शर्त पर, जो विहित की जाए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त और प्रोद्भूत किसी प्रतिफल को लागू नहीं होगा।

विधेयक का **खंड 21** आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (x) के उप खंड (ख) के दूसरे परन्तुक का संशोधन करने का प्रस्ताव बोर्ड को उसमें निर्दिष्ट अन्य इलेक्ट्रोनिक ढंग का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है।

उक्त खंड (x) के परंतुक में एक नया खंड (xi) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं, से प्राप्त कोई धनराशि या संपत्ति ऐसे व्यक्तियों की आय नहीं होगी।

विधेयक का **खंड 27** आय-कर अधिनियम की धारा 80ञञकक का संशोधन करने के लिए है, जो नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती से संबंधित है, जिससे उक्त धारा के स्पष्टीकरण के पहले परंतुक के खंड (ख) का, बोर्ड को यह उपबंध करने के लिए सशक्त करने हेतु उपबंध किया जा सके कि अतिरिक्त कर्मचारी लागत की रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि ऐसी परिलब्धियों का संदाय इलैक्ट्रानिक ढंग से भी किया जाता है।

विधेयक का **खंड 31** आय-कर अधिनियम की धारा 92घ का संशोधन करने के लिए है, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज के रखे जाने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) बोर्ड को, जानकारी और दस्तावेज रखे जाने और अनुरक्षण की रीति विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड को, ऐसी अवधि विहित करने हेतु सशक्त करने का और प्रस्ताव है, जिसमें उक्त सूचना और दस्तावेज रखे और अनुरक्षित किए जाएंगे।

विधेयक का **खंड 39** आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है।

उपधारा (1) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो बोर्ड को नियमों द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें विहित करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 40** आय-कर अधिनियम की धारा 139क का संशोधन करने के लिए है, जो स्थायी खाता संख्यांक से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (vii) अंतःस्थापित करने और बोर्ड को उसमें निर्दिष्ट संव्यवहार विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

बोर्ड को संव्यवहार के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करने और स्थायी खाता संख्यांक और आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए नई उपधारा (6क) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है।

बोर्ड को उपधारा (6क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्थायी खाता संख्यांक और आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन की रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त करने हेतु नई उपधारा (6ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव भी है।

विधेयक का **खंड 41** आय-कर अधिनियम की धारा 139कक का संशोधन करने के लिए है, जो आधार संख्यांक के उत्कथित किए जाने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को आबंटित आधार संख्यांक संसूचित करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को आबंटित स्थायी खाता संख्यांक ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, अधिसूचित तारीख के पश्चात् अमान्य कर दिया जाएगा।

विधेयक का **खंड 47** आय-कर अधिनियम की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य राशियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को ऐसा आवेदन करने के प्ररूप और रीति और प्रभार्य ऐसी राशियों का ऐसा समुचित अनुपात अवधारित करने की रीति विहित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (7) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को ऐसा आवेदन करने का प्ररूप और रीति और कर से प्रभार्य ऐसी राशियों को ऐसा समुचित अनुपात अवधारित करने की रीति विहित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 50** आय-कर अधिनियम की धारा 206क का संशोधन करने के लिए है, जो कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय की बाबत त्रैमासिक विवरणी देने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि किसी निवासी को पैंतालीस हजार रुपए से अनधिक की किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी, धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी, जहां संदायकर्ता कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी है और किसी अन्य दशा में ब्याज के रूप में (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) पांच हजार रुपए है वहां ऐसे प्ररूप में ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए, ऐसी अवधि के लिए, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किए जाएं, ऐसा विवरण तैयार करेंगे और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेंगे या परिदत्त करवाएंगे।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि बोर्ड, किसी निवासी को अध्याय 17 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी उपधारा (1) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, ऐसी अवधि के लिए, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किए जाएं, ऐसा विवरण तैयार करने और उसे आय-कर प्राधिकारी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करने या करवाने की अपेक्षा कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) में, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिदत्त विवरण में जानकारी जोड़ने, उसे हटाने या उसे अद्यतन करने का ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति में सत्यापित शुद्धि विवरण देने का उपबंध है, जो विहित की जाए।

विधेयक का **खंड 57** आय-कर अधिनियम की धारा 269धध का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय ऋणों तथा निक्षेपों और विनिर्दिष्ट राशि लेने या ग्रहण करने के ढंग से संबंधित है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को यह उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके कि किसी निक्षेपकर्ता से ऋण या निक्षेप या बीस हजार रुपए के बराबर किसी विनिर्दिष्ट राशि या इससे अधिक राशि लेना या ग्रहण करना अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसी राशि किसी इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

विधेयक का **खंड 58** आय-कर अधिनियम की धारा 269धन का संशोधन करने के लिए है, जो संव्यवहार करने के ढंग से संबंधित है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को यह उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके कि किसी व्यक्ति से किसी एक दिन में या किसी एकल संव्यवहार की बाबत या एक दशा से संबंधित संव्यवहारों की बाबत या किसी व्यक्ति से एक अवसर पर कुल मिलाकर दो लाख रुपए के बराबर या उससे अधिक की रकम की प्राप्ति को भी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसी राशि किसी इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

विधेयक का **खंड 60** आय-कर अधिनियम की धारा 269न का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय ऋणों या निक्षेपों के प्रतिसंदाय के ढंग से संबंधित है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को यह उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके कि किसी बैंककारी कंपनी या किसी सहकारी बैंक और किसी अन्य कंपनी या कोआपरेटिव सोसाइटी और किसी फर्म या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई ऋण या किया गया कोई निक्षेप या प्राप्त किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम का प्रतिसंदाय, जो बीस हजार रुपए के बराबर या उससे अधिक है, भी अनुज्ञात किया जाएगा यदि प्रतिसंदाय इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से किया गया है।

विधेयक का **खंड 66** आय-कर अधिनियम की धारा 285खक का संशोधन करने के लिए है, जो वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्टनीय लेखा का विवरण देने की बाध्यता से संबंधित है।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (ठ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न ऐसे व्यक्ति से भी, जो विहित किया जाए, उक्त धारा के अधीन विवरण देने के लिए अपेक्षा की जाएगी।

अप्रत्यक्ष कर

विधेयक का **खंड 80** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें नए खंड (टक) और खंड (ढ) अंतःस्थापित किए जा सकें। उक्त नए खंड निम्नलिखित के बारे में विनियम बनाने के लिए, बोर्ड को सशक्त करने के लिए हैं,—

(क) अध्याय 12ख के अधीन अधिप्रमाणन की रीति और ऐसे अधिप्रमाणन के लिए समय सीमा, ऐसे दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करने की रीति और ऐसे प्रस्तुतीकरण के लिए समय सीमा और पहचान के लिए वैकल्पिक साधन प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति तथा ऐसी पहचान प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा, छूट दिए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए निलंबन किया जा सकेगा ;

(ख) धारा 149 के अधीन किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए प्ररूप और रीति, समय सीमा तथा निर्बंधन और शर्तें।

विधेयक का **खंड 92** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है। उक्त खंड का उपखंड (ग), उसमें एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सरकार को, उक्त उपधारा के अधीन कर की रकम की संगणना करने के प्रयोजन के लिए राज्य में आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त का तीन प्रतिशत से अनधिक की दर विहित करने के लिए, परिषद् की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार को सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 93** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है,जिससे तीसरा परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके, जो सरकार को, राज्य के अनुरोध पर और परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे पूर्तिकार के मामले में, जो माल की पूर्ति में अनन्य रूप से लगा हुआ है और ऐसी कतिपय शर्तों और परिसीमाओं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन रहते हुए, कुल आवर्त को बीस लाख रुपए से बढ़ाकर ऐसी उच्चतर रकम, जो चालीस लाख रुपए से अधिक न हो, तक करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का **खंड 94** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है,जिससे उसमें नई उपधारा (6क), उपधारा (6ख), उपधारा (6ग) और उपधारा (6घ) अंतःस्थापित की जा सकें। उक्त उपधारा (6क), केंद्रीय सरकार को, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे प्ररूप और रीति तथा समय, जिसके भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करवाएगा या उसके कब्जे का सबूत प्रस्तुत करेगा और यदि व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं की जाती है,तब वह रीति, जिसमें पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए जाने, का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 95** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 31क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे सरकार को, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उसके द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रानिक संदाय का ढंग विहित करने का उपबंध करेगा और ऐसे ढंग, ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों, जिनका इन नियमों में उपबंध किया जाए, के अधीन रहते हुए संदाय करने के लिए प्राप्तिकर्ता को विकल्प प्रदान करेगा, के वर्ग के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 96** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 का संशोधन करने के लिए है,जिससे नई विवरणी प्रणाली के लिए उपबंध करने हेतु और सरकार को विवरणी में प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियों, प्ररूप, रीति और समय, जिसके भीतर विवरणी फाइल की जा सकेगी, के बारे में नियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (7) को प्रतिस्थापित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 98**, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 में नई उपधारा (10) और उपधारा (11) अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सरकार को किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए सामान्य पोर्टल पर उक्त अधिनियम के अधीन कर की किसी रकम, ब्याज, शास्ति, फीस या इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी रकम को उपकर पर एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर संबंधी अंतरण के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है और ऐसे अंतरण प्रतिदाय के रूप में समझे जाएंगे।

विधेयक का **खंड 101**, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 53क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सरकार को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जिनका नियमों द्वारा उपबंध किया जाए, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम को राज्य कर खाते या संघ राज्यक्षेत्र कर खाते में अंतरित करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 102**, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में एक नई उपधारा (8क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे सरकार को, नियमों द्वारा उपबंधित रीति में, राज्य कर के प्रतिदाय को संवितरित करने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 104**, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में नियमों द्वारा, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए, नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतःस्थापन करने के लिए है :—

(क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के तकनीकी सदस्यों (केंद्र) और तकनीकी सदस्यों (राज्यों) की नियुक्ति की रीति और ऐसी नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना ;

(ख) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ग) अपील का प्ररूप, ऐसी अपील की फीस और उसके सत्यापन की रीति।

विधेयक का **खंड 113**, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 17क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सरकार को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जिसका नियमों द्वारा उपबंध किया जाए, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित रकम के बराबर रकम को राज्य कर खाते या संघ राज्यक्षेत्र कर खाते में अंतरित करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक के **खंड 119 से खंड 134**, सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम, 2019 के लिए उपबंध करते हैं। उसका **खंड 131**, केंद्रीय सरकार को, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है :—

(क) वह प्ररूप, जिसमें कोई घोषणा की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें ऐसी घोषणा का सत्यापन किया जा सकेगा ;

(ख) पदाभिहित समिति के गठन की रीति तथा उसकी प्रक्रिया और कार्यकरण के नियम ;

(ग) घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम के प्राक्कलन का प्ररूप और रीति और उससे संबंधित प्रक्रिया ;

(घ) घोषणाकर्ता द्वारा संदाय करने का प्ररूप और रीति तथा अपील वापस लेने के संबंध में सूचना ;

(ङ) ऐसे उन्मोचन प्रमाणपत्र का प्ररूप और रीति, जो घोषणाकर्ता को दिया जा सकेगा ;

(च) वह रीति, जिसमें अनुदेश जारी किए जा सकेंगे और प्रकाशित किए जा सकेंगे ;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।

विधेयक का **खंड 189**, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में बढ़ी हुई सम्यक् तत्परता से संबंधित एक नई धारा 12कक अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त धारा, केंद्रीय सरकार को, यह नियम बनाने के लिए सशक्त करती है कि प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व प्रत्येक विनिर्दिष्ट संव्यवहार प्रारंभ करने के पूर्व,—

(क) ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, ऐसे विनिर्दिष्ट संव्यवहार को करने वाले ग्राहकों की पहचान अधिप्रमाणित करेगा ;

(ख) ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ग्राहक का स्वामित्व और वित्तीय स्थिति, जिसके अंतर्गत उसकी निधियों का स्रोत भी है, की जांच करने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा ;

(ग) विनिर्दिष्ट संव्यवहार करने के पीछे का प्रयोजन और संव्यवहार के पक्षकारों के बीच के संबंध की आशयित प्रकृति को अभिलिखित करने के लिए ऐसे अतिरिक्त उपाय करेगा, जो विहित किए जाएं ;

(घ) जहां किसी ग्राहक द्वारा किए गए किसी विनिर्दिष्ट संव्यवहार या विनिर्दिष्ट संव्यवहारों की श्रृंखला को संदेहास्पद समझा जाता है या उसमें अपराध के आगमों के अंतर्वलित होने की संभावना है, वहां रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ग्राहक के साथ कारबार संबंध की भावी मानीटरी को बढ़ा देगा, जिसके अंतर्गत और अधिक संवीक्षा या संव्यवहार की ऐसी रीति सम्मिलित है, जो विहित की जाए।

2. वे विषय, जिनकी बाबत विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचनाएं या आदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

3. इसलिए, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

लोक सभा

———

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक

———

[**श्रीमती निर्मला सीतारामन,**
वित्त मंत्री]